Tuesday 03, August, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Digitized On
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 53, मंगलवार, 3 अगस्त, 1971/12 श्रावण, 1893 (शक)

No. 53, Tuesday, August 3, 1971/Sravana 12, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1532. विदेशी नियन्त्रणाधीन सिगरेट एककों को अधिकार में लेना	Taking over of Foreign Controlled Cigarette Units ..	1—3
1533. दिल्ली में सीमेंट की कमी	Scarcity of Cement in Delhi ..	3—5
1534. पंजाब में बड़े पैमाने की नयी परियोजनायें स्थापित करना	Setting up of New large Scale Projects in Punjab .	5—6
1535. भारतीय चमड़ा और जूता निगम लिमिटेड, कानपुर में उत्पादन	Production in Tannery and Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur	6—8
1536. सरकारी क्षेत्र में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड परियोजना की स्थापना	Setting up of Graphite Electrode Project in Public Sector ..	8—9
1537. पश्चिम रेलवे के फलना और रानी स्टेशनों पर ऊपरी पुल	Over-Bridges at Falna and Rani Stations (Western Railway)	9—10
1539. देहरादून में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory at Dehra Dun ..	10—11
1540. तमिलनाडु में ग्लुकोस की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाना	Issue of licence for setting up of a Glucose Factory in Tamil Nadu ..	11—12
1541. क्यम कुलम से पुनालूर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Kayamkulam to Punaloor ..	12—13
1542. पश्चिम बंगाल से ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in West Bengal ..	13—15
1543. फरक्का बांध से निकलने वाले पोषक नहर के हुगली नदी को	Water for Hooghly River on completion of Feeding Canal taking off from Farakka Barrage ..	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1545. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधिमण्डल की प्रधानमन्त्री से भेंट	Meeting of the Delegation of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry with Prime Minister ..	17—18
1546. उत्तर बंगाल में कलकत्ता उच्च-न्यायालय की सर्किट बेंच	Circuit Bench of Calcutta High Court in North Bengal ..	18—19
1547. बंगलौर और भोपाल अनुसंधान केन्द्रों में बिजली के उपकरणों में शार्ट सर्किट का पता लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था में देरी	Delay in Establishing Short Circuit Testing Facilities in Electrical Equipment at Bangalore and Bhopal Research Centres..	19
1548. रेलवे अधिकारियों को सैलून दिये जाने का मापदण्ड	Criteria for Entitlement of Saloons Provided to Railway Officers ..	19—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1531. हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण के मामले में हेरा फेरी	Racketeering in Reservation at Howrah Station ..	22—23
1538. मैसूर में सिंचाई-विकास कार्यक्रम	Irrigation Development in Mysore ..	24
1544. रेल के माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण सीमेंट उद्योग में संकट	Crisis in Cement Industry due to non-availability of Railway Wagons ..	24
1549. लमडिंग डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Railway Employees of Lumding Division (Northeast Frontier Railway) ..	25
1550. केरल में वेली स्टेशन का बन्द किया जाना	Closing Down of Veli Station in Kerala ..	25
1551. मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में सिंचाई की सुविधाओं का विकास	Irrigation Development in Tumkur District of Mysore State ..	25—26
1552. पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम	Rural Industries Projects Programme in West Bengal ..	26
1553. कम वोल्टेज वाले बिजली के लैम्पों की कमी	Shortage of Low Watt Electric Lamps	26
1554. सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Cement ..	27
1555. स्कूटरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में कारखाने की स्थापना	Setting up of a Factory in Public Sector to Manufacture Scooters	27

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
1556. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में विद्युतीकरण	Electrification by DDA in Delhi	..	27—28
1557. दिल्ली के निकट यमुना नदी में पानी के स्तर का चढ़ना	Rise in the Water Level of Jamuna River near Delhi	..	28
1558. बाढ़ के कारण बिहार में क्षति	Damage in Bihar due to Floods	..	28
1559. गोल्ड स्पाट के लिये पेय आधारों का निर्माण करने वाली कम्पनी को विदेशी मुद्रा की आय	Export Earnings of Coy. Manufacturing Beverage Bases for Gold Spot	..	28—29
1560. पंजाब में जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने की योजना	Scheme to Survey water Resources in Punjab	..	29
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
6693. लाइसेंसों के लिये आसाम से भेजे गये अनिर्णीत आवेदनपत्र	Pending Applications from Assam for Licences	..	30
6694. आसाम में विदेशी सहयोग से औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects with Foreign Collaboration in Assam	..	30—31
6695. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance Demanded by Brahmaputra Flood Control Commission	..	31
6696. नवागढ़ स्टेशन (पश्चिम रेलवे) से भेजी गई कपड़े की गांठों के खोने पर व्यापारियों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to Traders for the loss of cloth Bales Booked from Nawagarh Station (Western Railway)	.	31—32
6697. मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक, विजयवाड़ा (दक्षिण मध्य रेलवे) के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Divisional Commercial Superintendent, Vijayawada (South Central Railway)	..	32
6698. आन्ध्र प्रदेश में ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5) के रेलवे फाटक पर भूमिगत पुल बनाना	Underbridge at level crossing on Trunk Road No. 5 in Andhra Pradesh		32
6699. वर्तमान मतदान प्रणाली का विरोध	Opposition to present system of voting	..	33
6700. बिहार में बाढ़ पीड़ित लोगों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum given by Flood Affected People of Bihar	..	33
6701. व्यास बांध (पोंग बांध) के निर्माण के कारण बेघरबार हुए लोगों को मुआवजा	Compensation to persons rendered Homeless due to construction of Beas Dam (Poong Dam)	..	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6702. राजस्थान में नई रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Laying of New Railway lines in Rajasthan ..	34
6703. बाढ़ों से संरक्षण के लिए आसाम द्वारा मांगा गया ऋण	Loan Demanded by Assam for protection from Floods ..	34—35
6704. गुजरात राज्य में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिये बिजली	Power for Rural Industries project Programme in Gujarat State	35
6705. नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में नीति	Policy regarding laying of new railway Links ..	36
6706. आसाम में सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facility in Assam	36
6707. रेलवेज में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Over-Staffing on Railways ..	36—37
6708. नाशवान वस्तुओं के पार्सलों पर निशान लगाने की पद्धति में परिवर्तन	Change in marking system of parcels containing perishable articles ..	37—38
6709. दिल्ली जंक्शन पर प्राप्त हुये नाशवान पदार्थों के खेप	Consignments of Perishable Articles received at Delhi Junction ..	38
6710. रेलवे में निर्माण निरीक्षण के कार्य भार के बारे में अध्ययन प्रतिवेदन	Study Report on the Work load of Inspectors of Works on Railways ..	39
6711. आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	Projects sanctioned by Rural Electrification Corporation in certain Districts of Andhra Pradesh ..	39—40
6712. दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धियों के लिये रखे गये अध्यापकों को भुगतान	Payment to Teachers in Delhi engaged for the correction of voters lists ..	40
6713. रेलवे के स्कूलों तथा कालिजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes teachers in Railway Schools and Colleges ..	41
6714. रेलवे के स्कूलों / कालिजों के अध्यापकों तथा प्रिंसिपलों के वेतनमान	Grades of Railway School/College Teachers and Principals ..	41—42
6715. दक्षिण रेलवे की डिवीजनों के सन्तुलनपत्र	Balance sheets of Divisions of Southern Railway ..	42
6716. गुन्टकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के गाड़ी परीक्षकों तथा न्यूटरल गाड़ी परीक्षकों के ऊंचे वेतनमान	Higher Scale of pay for train Examiners and Neutral Train Examiners, Guntakal Division (Southern Railway) ..	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6717. दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन, गुंटकल (दक्षिण रेलवे) की मांगों पर की गई कार्यवाही	Action taken on the demands of Southern Railway Mazdoor Union, Guntakal Division ..	42—43
6718. दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ा से पुरी अथवा वाल्टेयर तक तेज चलने वाली रेल गाड़ी का चलाया जाना	Running of Faster Train from Howrah to Puri or Waltair on South Eastern Railway	43
6719. औद्योगिक गृहों में वृद्धि	Growth of Industrial Houses	43—44
6720. नेशनल फैडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एण्ड वैन्डर्स द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum given by National Federation of Railways Porters and Vendors ..	44—45
6721. माल डिब्बों के न मिलने से पूर्वी जोन की और सीमेंट, सी० आई० चादरें तथा भवन निर्माण की अन्य सामग्री के वहन पर प्रभाव	Effect of Non-Availability of Railway Wagons on the movement of Cement C. I. Sheets and other Building Materials towards Eastern Zone ..	45
6722. ताप्ती नदी पर नवथा सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति में हुई प्रगति	Progress made in the implementation of Navtha Irrigation Project on Tapti River ..	45—46
6723. आसाम सा मिल और टिम्बर कम्पनी लिमिटेड नामसाई (नेफा)	Staff in Assam saw mill and Timber company Limited at Namsai (NEFA) ..	46
6724. कलकत्ता में विमको दियासलाई के कारखाने को पोटाशियम क्लोरेट की सप्लाई	Supply of Potassium Chlorate for WIMCO Match Factory in Calcutta ..	46—47
6726. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को रियायतों का दिया जाना	Grant of Concessions to industries in Backward Areas	47—51
6727. रायपुर जिले में महानदी पर बांध का निर्माण	Construction of a dam on the river Mahanadi in Raipur District ..	51
6728. मैसर्स घेरजी टैक्सटाइल आरगेनाइजेशन द्वारा भेजी गयी राशि	Remittances to M/s Gherzi Textile Organisation ..	51—52
6729. लुमडुंग डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations by Railway Employees of Lumding Division ..	52
6730. पश्चिम रेलवे के गंगापुर स्टेशन पर रेलवे सेवा का बन्द रहना	Dislocation of Train service at Gangapur Station on Western Railway ..	52
6731. पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ स्टेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध चोरी के आरोप	Theft charge against Employees of Mau Station of North Eastern Railway ..	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6732. वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों द्वारा रेल की हलचल नाम खुला पत्र	Open letter 'Rail Ki Halchal' by Employees of Varanasi Division (North Eastern Railway) ..	53
6733. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Chief Vigilance Officers of North Eastern Railway ..	53
6734. रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के पद को समाप्त करना	Abolition of the post of Additional Members in the the Railway Board ..	53—54
6735. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of British India Corporation ..	54
6736. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का चेयरमैन	Chairman of British India Corporation ..	54
6737. रेलवे में सहकारी आवास समितियां	Co-operative Housing Societies in Railways..	54
6738. पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी आवास समिति, कानपुर के लिये अतिरिक्त भूमि	Surplus land for North Eastern Railway Staff Co-operative Housing Society, Kanpur ..	55
6739. उत्तर रेलवे पर जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन के बीच रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a Train between Jodhpur and Marwar Junction on Northern Railway	55
6740. मैसूर में नये उद्योग	New Industries in Mysore	55—56
6741. बंगलौर में औजार बनाने के कारखाने की स्थापना के लिये भारत और डेनमार्क में करार	Indo-Danish Agreement to set up a Tool Room in Bangalore ..	56
6742. टेलीप्रिन्टरों को कम्प्यूटरों से सम्बद्ध करने वाली सूक्ष्म तरंग संचार व्यवस्था	Micro wave Communication connecting Teleprinters to Computers ..	56
6743. सचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा लुगदी और कागज परियोजना आरम्भ करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र	Application for licences for starting of Pulp and Paper Project by Century Spinning and Manufacturing Company ..	57
6744. पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in West Bengal	57—58
6745. पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद मेल में दिल्ली से जामनगर तक डिब्बा जोड़ा जाना	Addition of compartment to Ahmedabad Mail from Delhi to Jamnagar on Western Railway	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
6746. औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा	UAR Delegation's visit to India to Study Industrial Development ..	59
6747. भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistan Nationals working on Indian Railways ..	59—60
6748. पश्चिम बंगाल में पिछड़े जिलों में उद्योगों का विकास	Development of industries in backward districts in West Bengal ..	60
6749. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में सियालदाह और न्यू बोंगाई गांव के बीच वातानुकूलित गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Air conditioned train between Sealdah and New Bongaigaon on North East Frontier Railway ..	60
6750. कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural electrification in Cooch Behar, West Bengal ..	61
6751. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में वाष्प विद्युत और पनबिजली पैदा करने वाले एककों की क्षमता	Capacities of Steam and hydro power generating units in Bharat Heavy Electricals Limited ..	61—62
6752. इम्फाल स्थित आदिम जाति तकनीकी संस्थान को नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Adim Jati Technical Institute in Imphal ..	62
6753. मनीपुर में लोकटक बहुउद्देश्यीय परियोजना के निकट सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities near Loktak Multi purpose Project Manipur ..	62—63
6754. परक्कुणम रेलवे फाटक पालघाट (केरल) में ऊपरि पुल	Overbridge at Parakkunnan Railway Gate, Palghat (Kerala) ..	63
6755. कोल्लेमकोल्ड त्रिचूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन	Survey Report of Kollemkode Trichur Railway Line ..	64
6756. नेफा में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Nefa ..	64
6757. नेफा में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre for developing Small Scale Industries in NEFA ..	64
6758. तुमकुर जिले में सिंचाई के लिये भद्रा नहर से पानी लिया जाना	Drawing of Water from Bhadra Canal, to Tumkur District for Irrigation ..	65
6759. संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये शैक्षाणिक योग्यतायें	Educational Qualifications for candidates contesting elections to Parliament and State Legislatures ..	65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6760. बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता	Aid to Industrial Co-operative Societies formed by unemployed Engineers ..	65
6761. बन्दल, बर्दवान डिवीजन पर रेलवे विद्युतीकरण में कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Casual Workers of Railway Electrification at Bandel, Burdwan Division ..	[66
6762. असम मेल में भोजन यान का न होना	Dining Car not provided in Assam Mail ..	66
6764. सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement ..	66
6765. मालेश्वर सागर परियोजना, केरल का केन्द्र द्वारा अनुमोदन	Central Clearance to Malleswar Sagar Project, Kerala ..	66—67
6766. शोरानूर नीलम्बूर रेलवे पर लाइन का रख-रखाव	Maintenance of Shoranur Nilambur Railway Line ..	67
6767. मिरजापुर और हरपालपुर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Mirzapur and Harpalpur ..	67
6768. समस्तीपुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों (पूर्वोत्तर रेलवे) की मांगों के बारे में की गई कार्यवाही	Action taken on Demands of Railway Employees of Samastipur Division (North Eastern Railway) ..	67
6769. बरौनी गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision Regarding Grant of Project Allowance to Employees of Barauni Garahara Area ..	68
6770. रेलवे वैगन वर्कशाप, रायपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए चयन की कसौटी	Criteria for Screening employees of Railway Wagon Workshop, Raipur ..	68
6771. रायपुर रेलवे बस्ती के लिये प्राइमरी स्कूल	Primary School for Railway Colony at Raipur ..	68—69
6772. रायपुर में रेलवे कालोनी और रायपुर सिटी के बीच परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं	Transport Facilities between Railway Colony at Raipur and Raipur City ..	69
6773. रेलवे वर्कशाप, रायपुर की पंजीकृत श्रमिक संघ द्वारा सदस्यता शुल्क एकत्र करने पर रोक	Registered Labour Union of Railway Workshop Raipur Debarred from Collection of Membership Fee ..	69
6774. उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान	Central Industrial Establishments in Uttar Pradesh ..	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6775. पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट क्लैक्टरों तथा ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों की संयुक्त वरिष्ठता	Combined Seniority of Tickets Collectors and Travelling Ticket Examiners (North Eastern Railway) ..	70
6776. लिमका पेय का तैयार किया जाना	Manufacture of Beverage Limca	70—71
6777. सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेल लाइन	Railway Line between Sitamarhi and Muzaffarpur (North Eastern Railway) ..	71
6778. पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व रेलवे विद्युतीकरण नैमित्तिक कर्मचारी संघर्ष समिति से अभ्यावेदन	Representation from Eastern and South Eastern Railway Electrification casual workers' Action Committee ..	71—72
6779. गुजरात में लघु इंजीनियरी कारखानों में हड़ताल	Strike in Small Scale Engineering Factories in Gujarat ..	72
6780. एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम और उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना	Keeping Monopolies and Restrictive Trade Practices Act and Industries (Development and Regulation) Act in abeyance in Respect of West Bengal ..	72
6781. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कार्य-काल	Tenure of the Chairman, Railway Board ..	72—73
9782. दामोदर घाटी निगम में कार्यकारी पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी	Deputationists in Executive Posts in DVC ..	73
6783. दामोदर घाटी निगम के वरिष्ठ कार्यकारी पदों के रिक्त स्थान	Vacant Senior Executive posts in Damodar Valley Corporation ..	73
6784. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Annual Power Survey report of Central Electricity Authority	74
6785. मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास के लिये सर्वेक्षण	Survey for Industrial Development of backward districts of Madhya Pradesh ..	74
6786. रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण कराने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान करना	Payment by Madhya Pradesh Government for carrying out surveys for Railway Lines	74—75
6787. पंखों के मूल्यों में वद्धि	Increase in price of Fans	75
6788. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की योग्यताएं	Qualifications of Managing Director National Industrial Development Corporation Ltd. New Delhi	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6789. रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project allowance to Railway Staff	76
6790. कालिंदी पन बिजली परियोजना मैसूर	Kalinadi Hydro Electric Project Mysore ..	77
6791. आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में मेनर परियोजना	Manner project in Karimnagar District Andhra Pradesh ..	77
6792. दिल्ली में औद्योगिक उपक्रमों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Industrial undertakings in Delhi	77—78
6793. आंध्र प्रदेश में लघु एकक	Small Scale Units in Andhra Pradesh ..	78
6794. राजकोट डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के मीठापुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी पर विस्फोट	Explosion on a goods train at Mithapur Station Rajkot Division (Western Railway) ..	78
6795. उड़ीसा में बिजली के पारेषण और वितरण के सम्बन्ध में योजना	Transmission and distribution scheme in Orissa ..	79
6796. मैसर्स शंक व्हील्स, दुर्गापुर द्वारा ट्रैक्टरों के पहियों के निर्माण हेतु कच्चे माल का आयात	Import of raw materials for manufacture of Tractor wheels by M/s Sankey Wheels Durgapur ..	79—80
6797. औद्योगिक एककों के विस्तार के लिये जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued for expansion of Industrial Units ..	80
6798. उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन	Reorganisation of North Bengal Flood Control Board ..	80—81
6799. मचेरिया स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के सुपारी के व्यापारियों को दी गई क्षतिपूर्ति	Compensation paid to Betel Traders of Macheria Station (South Central Railway) ..	81
6800. हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर व्यय	Expenditure on Seul Project in Himachal Pradesh ..	81—82
6801. पोंग बांध से निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Outstees of Pong Dam	82
6802. पोंग बांध क्षेत्र में बाढ़	Floods in Pong Dam Area	82
6803. दामोदर घाटी निगम के तिलैया और कोनार बांधों से हजारीबाग और गया जिलों में नहरों का निर्माण	Construction of Canals in Hazaribagh and Gaya Districts from Tilaiya and Konar Dams of DVC ..	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.		
6804. जिला हजारीबाग (बिहार) में कागज की मिल के लिये लाइसेंस	Licence for Paper Mill in Hazaribagh District (Bihar)	83
6805. पूर्वी रेलवे में पटना तथा धनबाद के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Express Train between Patna and Dhanbad on Eastern Railway ..	83
6806. पश्चिम भारत पुंतागली रेलवे के कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of WIP Railway Employees ..	83—84
6807. रेलवे द्वारा अपनाने हेतु 'ब्राउन सिस्टम आफ डिसिप्लिन' में संशोधन	Modification of 'Brown System of Discipline' for Adoption by Railways ..	84
6808. धनबाद मंडल (पूर्वी रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के रिक्त पद	Vacant Posts of Commercial clerks in Dhanbad Division (Eastern Railway) ..	84—85
6809. पश्चिम रेलवे में सीकर तथा लोहारू स्टेशनों के बीच अतिरिक्त रेल सेवा	Additional Train Service between Sikar and Loharu Stations on Western Railway ..	85
6810. व्यास भाखड़ा, तथा व्यास सतलुज लिंक परियोजनाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का नियतन	Allocation of Employees working on Beas Bhakra and Beas Sutlej Link Project ..	85—86
6811. रेलवे द्वारा धनबाद क्षेत्र में हुई हड़ताल पर किया गया व्यय	Expenditure incurred by Railways in Dhanbad Region Strike ..	86
6812. देश में निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Indigenous Tractors	87
6813. जम्मू और काश्मीर के कारगिल और लेह स्थानों पर बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Kargil and Leh (Jammu and Kashmir) ..	87
6814. औद्योगिक कच्चे माल का थोक मूल्य सूचकांक और तैयार उत्पाद	Index of Wholesale prices of Industrial Raw Materials and finished products ..	88
6815. उत्तरी रेलवे में कानपुर और टूंडला के मध्य तांबे के ऊपरी कर्षण तारों की चोरी	Removal of overhead copper traction wire between Kanpur and Tundla on Northern Railway ..	88
6816. केरल के कुटीर उद्योगों में असंतोष	Discontent among cottage Industrialists in Kerala ..	88
6817. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, केरल द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग से आर्थिक सहायता की मांग	Demand for Financial Assistance by Khadi Gramodyog Board Kerala from Khadi and Village Industries Commission ..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6818. केरल में कुटीर उद्योगों का विकास	Development of Cottage Industries in Kerala	89
6819. दक्षिण रेलवे के डेटा ट्रांसमिटिंग इन्सपेक्टरों की पदोन्नति	Promotion of Data Transmitting Inspectors on Southern Railway ..	89
6820. दक्षिण रेलवे में हैड सिगनलरों को पदोन्नत करना	Upgraded Post of Head Signallers on Southern Railway ..	90
6821. दक्षिण रेलवे के वेतन लिपिकों को राष्ट्रीय छुट्टी दिवस का वेतन	National Holiday Pay to Pay clerks of Southern Railway ..	90
6823. संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution	90—91
6824. कृषि कार्य के लिये समान बिजली की दरें	Uniform Rate ot Electricity for Agricultural Purposes ..	91
6825. शराब पर भारतीय मानक संस्थान चिह्न	ISI Marks on Liquor ..	91
6826. राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश	Investment in Public Sector Enterprises in Rajasthan	91—92
6827. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में मोहन मीकिन्स ब्रीवरीज द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Industries (Development and Regulation) Act by Mohan Meakins Breweries at Ghaziabad (Uttar Pradesh)..	92
6828. दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों पर मजूरी बोर्ड पंचाट की सिफारिशों का लागू किया जाना	Implementation of Wage Board Award Recommendations for DESU Employees..	92—93
6829. दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम में दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Regularisation of Daily Wage Workers of DESU ..	93
6830. विद्युत जनन क्षमता	Power Generation capacity.	94
6831. कतिपय परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिये भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of India and Pakistan to solve problems regarding certain projects ..	95
6832. श्रेणी 2 (परिशिष्ट 2-क अर्हता-प्राप्त) क्लर्कों की शिकायतों का दूर किया जाना	Redress of grievances of clerks Grade II (Appendix II-A Qualified)	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6833. लेखा विभाग में सेवा और उपयुक्तता के आधार पर श्रेणी दो के क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade II on the basis of service cum-Suitability in Accounts Department	95—96
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	96
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	97
समिति का निर्वाचन—	Election to Committee—	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings ..	97—98
संविधान (चौबीसवां संशोधन विधेयक)	Constitution (Twenty-Fourth Amendment) Bill ..	98—124, 125—126
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	98
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ..	98—100
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan ..	101—103
श्री आर० के० सिंह	Shri R. K. Sinha ..	103—104
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	104—105
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ..	105—106
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	106
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajeet Yadav ..	106—107
श्री फ्रैंक एंथनी	Shri Frank Anthony ..	107—108
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao ..	108
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	109—110
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel ..	110—111
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao ..	111—112
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri ..	112—113
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari	113
श्री मधु दण्डवते	Shri Madhu Dandavate ..	114—115
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Ray ..	115—118
श्री एम० मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	118
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh ..	119—120
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim ..	120—121
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	121
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	122
श्री पी० रंगानाथ शिनाय	Shri P. R. Shenoy ..	122—123
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Goswami	123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	123—124
श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक	Shri B. V. Naik	125
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	125
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	125—126
सदस्य की गिरफ्तारी—	Arrest of Member—	
(श्री ईश्वर चौधरी)	(Shri Ishwar Chaudhry)	124—125

LOK SABHA
लोक-सभा

मंगलवार, 3 **अगस्त**, 1971/12 **श्रावण**, 1893 (**शक**)
Tuesday, August 3, 1971/Sravana 12, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी नियंत्रणाधीन सिगरेट एककों को अधिकार में लेना

*1532. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी नियंत्रणाधीन सिगरेट एककों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह सरकार की नीति के अनुरूप नहीं होगा ।

श्री कृष्ण हाल्दर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिगरेटों के उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक कार्य विदेशी कम्पनियों के नियंत्रण में है जो अपने लाभ की भारी धनराशि अपने देशों में ले जाती हैं, क्या सरकार विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों द्वारा अपने लाभ की धनराशि को अपने देशों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : एकाधिकार को समाप्त करने के लिये हमने हाल ही में कुछ भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी किये हैं और भारतीय स्वामित्व वाली कई कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये हैं ।

श्री कृष्ण हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विदेशी नियंत्रण वाली सिगरेट कम्पनियों के नाम और उनकी संख्या क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में उन्हें औसतन कितना-कितना

लाभ हुआ ? क्या यह भी सच है कि भारी लाभ के बावजूद हैदराबाद की वजीर सुल्तान कम्पनी, जो कि ब्रिटिश एकाधिकार वाली सिगरेट कम्पनी अर्थात् इंडिया तम्बाकू कम्पनी की सहायक कम्पनी है, को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये आशय-पत्र दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी जिसे अब इंडिया तम्बाकू कम्पनी कहा जाता है विदेशी कम्पनियों में से एक है, जिसके 74 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं। दि वजीर सुल्तान कम्पनी हैदराबाद के 67 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं। मैसर्ज गोडफेरी फिल्पस बम्बई के 92.65 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं। इससे भी बढ़कर दो अन्य कम्पनियां, दि नैशनल तम्बाकू कम्पनी बम्बई के 20 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं तथा डी० मकरोपोलो बम्बई के 33 प्रतिशत शेयर भारत में रह रहे विदेशियों के पास हैं। इनके इलावा 5 अन्य भारतीय कम्पनियां हैं जो सिगरेटों का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त, 13 भारतीय कम्पनियों को सिगरेटों के उत्पादन के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं। यह सच है कि कम्पनी-कार्य विभाग ने जानकारी दी है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी अर्थात् इंडियन तम्बाकू कम्पनी ने 1967, 1968 और 1969 में क्रमशः 106.52 लाख रुपये, 117.60 लाख रुपये तथा 138.30 लाख रुपये बाहर भेजे। दि वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी ने वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में क्रमशः 16.29 लाख, 25.76 लाख तथा 9 लाख रुपए बाहर भेजे। यह भी सच है कि इस कम्पनी ने कार्य बढ़ाने के लिये इस आधार पर प्रार्थना की कि वे अपनी पूंजी को इस प्रकार कम कर देंगे कि कम्पनी भारतीय बन जाए। यह मामला विचाराधीन है।

श्री कृष्ण हाल्दर : क्या यह सच है कि इंडियन तम्बाकू कम्पनी को मूलतः लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन करने दिया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह सच है कि यह कम्पनियां दो पारियों के आधार पर निर्धारित क्षमताओं से अधिक उत्पादन कर रही हैं। परन्तु यह कम्पनियां उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम बनने से पहले से विद्यमान थीं। हमने तकनीकी विकास के महा निदेशक को कम्पनी से यह पूछने के लिये लिख भेजा है कि उन्होंने उत्पादन क्यों बढ़ाया है।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं। मुझे पता चला है कि कुछ राज्य सरकारों ने भी आशय-पत्र जारी किये हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम एकाधिकार समाप्त करने के लिये वचनबद्ध हैं क्या सरकार ध्यान रखेगी कि विदेशी कम्पनियां उन फर्मों के साथ सहयोग तो नहीं करती जिन्हें आशय-पत्र जारी किये गये हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : एकाधिकार समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमने कई फर्मों के नाम आशय-पत्र जारी किये हैं, जिनमें सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम सम्मिलित हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि हमें विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव : जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार की नीति है कि विदेशी सिगरेट कम्पनियों को अधिकार में न लिया जाये। वास्तविक बात यह है कि यह कम्पनियां भारी मुनाफे अपने देशों को भेज रही हैं। क्या सरकार इन सहयोग करारों पर पुनर्विचार करेगी जिससे कि विदेशों में भेजे जाने वाले लाभों की दर घट सके ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह प्रशंसनीय सुझाव है। मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा और इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन कराऊंगा।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

*1533. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमेंट की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनाज में भारी गमनागमन के कारण जब सीमेंट के गमनागमन के लिये ढके हुये माल डिब्बे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो दिल्ली में सीमेंट की मौसमी कमी, विशेषरूप से मई और जून में, प्रतिवर्ष होती रहती है। कलकत्ता क्षेत्र में माल डिब्बों के असाधारणरूप से बड़े पैमाने पर रुक जाने के कारण और इसके फलस्वरूप यातायात में गड़बड़ी और मन्दगति से मालडिब्बों को खाली करना और साथ ही साथ सीमेंट की मांग में वृद्धि के कारण इस वर्ष ये कमी कुछ अधिक तीव्र हो गई है। कभी-कभी कमी होने का समाचार मिला है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली में सीमेंट की गम्भीर कमी रही है। दिल्ली के लिये सीमेंट जल्दी भेजने और तत्काल उपलब्ध कराने का सुनिश्चय करने के लिये आवश्यक माल डिब्बे उपलब्ध कराने आदि के सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। वास्तव में, जनवरी-मई, 1971 की अवधि में, 1970 की इसी अवधि की तुलना में दिल्ली को सीमेंट का सम्भरण करने में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 79,704 मी० टन, अर्थात् पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक रही है।

श्री एम० कतामुतु : विवरण में यह बताया गया है कि यह कमी सामयिक है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जब कभी यहां सीमेंट अथवा खाद्यान्नों की कमी की चर्चा होती है तो अक्सर यही उत्तर दिया जाता है कि यह माल गाड़ी के डिब्बे न मिलने के कारण हुआ है। मन्त्रियों का यह भी कहना है कि माल डिब्बे कलकत्ता में रुके पड़े हैं। क्या दिल्ली में सीमेंट की कमी का कारण केवल माल डिब्बों का उपलब्ध न होना है अथवा इसका कोई अन्य कारण है ? यदि इसका कारण माल डिब्बों का उपलब्ध न होना है तो कितने डिब्बों की मांग की गई तथा रेलवे से कितने डिब्बे मिले ?

श्री घनश्याम ओझा : वर्ष में इस समय अक्सर ऐसा होता है। हर साल इस अवधि में जबकि खाद्यान्नों की ढुलाई बहुत अधिक होती है हमें इस क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी कठिनाई होती है। पर इस साल हम अधिक माल डिब्बों की मांग करने के कारण स्थिति को कुछ सुधारने में सफल हो सके हैं तथा इस बार स्थिति काफी संतोषजनक है। बड़ी लाइन पर 30 प्रतिशत अधिक माल डिब्बे उपलब्ध हैं तथा मीटर गेज लाइन पर हमें 10 प्रतिशत अधिक डिब्बे उपलब्ध हैं।

पंजाब में बड़े पैमाने की नयी परियोजनायें स्थापित करना

+

*1534. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में बड़े पैमाने की नई परियोजनायें स्थापित करने के लिये 14 आशय-पत्र जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में कौन-कौन सी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). 1-1-1970 से 30-6-1971 तक की अवधि में पंजाब में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए 19 आशय-पत्र जारी किये गये थे। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण**

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	निर्माण की जाने वाली वस्तु	आशय-पत्र जारी करने की तारीख
1.	पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़	प्लेन प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज आदि।	23-5-1970
2.	—वही—	कांच की बोतलें	29-5-1970
3.	—वही—	सेमीकन्डक्टर डिवाइसेंज, इलैक्ट्रोलेटिक केपेसिटर्स, प्लास्टिक फिलम पोलिस्टर एण्ड स्टैरोफ्लैक्स केपेसिटर्स, आदि	6-6-1970
4.	चौ० देविन्दर सिंह, द्वारा इंडस्ट्रियल केबल्स (1) लि० नई दिल्ली।	डोमेस्टिक रेफ्रीजेरेटर्स	10-6-1970
5.	श्री एस० के० चक्रवर्ती, बम्बई।	सिंगल सिलिंडर पम्प्स, मल्टी-सिलिंडर पम्प्स, एलीमैंट्स, आदि	28-7-1970
6.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चण्डीगढ़।	पोलिस्टर स्टेपिल फाइबर	12-8-1970

1	2	3	4
7.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चण्डीगढ़	एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स	12-11-1970
8.	—वही—	मैज स्टार्च, लिक्विड ग्लु-कोज, डेक्सट्रौज, आदि	7-12-1970
9.	—वही—	आटोमोबाइल टायर्स, एण्ड ट्यूब्स	12-12-1970
10.	—वही—	फरफुरल विद बाई प्रोडक्ट	6-1-1971
11.	श्री आर०एस० गोयल, अम्बाला कैंट।	जी० एल० एस० लैम्प्स, ट्रेन लाइटिंग लैम्प आदि।	7-1-1971
12.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप-मेंट कारपोरेशन, चंडीगढ़	स्कूटर्स	27-2-1971
13.	—वही—	ड्राई बैटरी सैल	11-2-1971
14.	श्री हरबन्स लाल, द्वारा मै० इंटरनेशनल मशीन टूल्स, लुधि-याना।	मल्टी स्पीड हब्स	1-3-1971
15.	मै०-परफैक्ट ट्रैक्टरर्स (प्रा०) लि०, पंजाब।	एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स	16-3-1971
16.	मै०-जय गैसेज (प्रा०) लि०, मन्डी गोविंदगढ़।	ओक्सीजन गैस	7-4-1971
17.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवल-पमेंट कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़।	टोइलेट सोप, ग्लैसरीन	26-4-1971
18.	श्री जय नारायन अरोरा, हाथरस।	ओक्सीजन गैस	18-5-1971
19.	मै० हिन्दुस्तान अशोका गैसेज मन्डी गोविंदगढ़।	ओक्सीजन गैस	19-6-1971

श्री प्रभुदास पटेल : जिन्हें आशय-पत्र जारी किये गये हैं क्या उनमें किसी बड़े व्यापार गृहों को शामिल किया गया है अथवा किसी नये उद्यमी को लाइसेंस दिया गया है ? क्या पंजाब के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य को भी पोलियेस्टर के कारखाने के लिए आशय-पत्र दिया गया है ?

श्री घनश्याम ओझा : विवरण में सभी उद्यमियों के नाम बताए गये हैं। उनमें से कुछ लाइसेंस पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को दिए गये हैं तथा कुछ व्यक्तियों को। जहां तक

पोलियेस्टर का सम्बन्ध है हमने तय किया है कि जहां कहीं उसका उत्पादन औद्योगिक विकास निगम कर सकता है वहां उसे पंजाब विकास निगम के समान ही समझा जायेगा ।

श्री प्रभुदास पटेल : जिन कारखानों के लिए आशय-पत्र दिये गये हैं उनमें कितना उत्पादन होगा ?

श्री घनश्याम ओझा : कारखानों के चालू होने से पहले यह बताना कठिन है कि उनमें कितना उत्पदान होगा ?

श्री पी० गंगादेव : इनमें से कितने कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे तथा कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री घनश्याम ओझा : विवरण में इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है ।

श्री पी० गंगा देव : कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन करने के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित, विवरण में क्रम संख्या 6 में दिए गये कारखाने पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

श्री घनश्याम ओझा : योजना अभी तैयार की जानी है । हमें यह नहीं पता कि इसमें कितनी पूंजी लगेगी । हम यह बता सकते हैं कि इसकी क्षमता लगभग 6000 मीटरी टन होगी ।

Shri Bhan Singh Bhaura : Out of 19 letters of intent issued, 11 have been given to the State. Do you know as to whether any of the parties to which letters of intent were issued, has set up a tractor manufacturing plant ?

श्री घनश्याम ओझा : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । अभी लाइसेंस दिए जाने हैं तथा उसके बाद उन्हें चालू किया जायेगा ?

श्री बी० के० दासचौधरी : कुल कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से 1-1-1970 से 30-6-1971 के बीच 19 को आशय-पत्र जारी किये गये ?

श्री घनश्याम ओझा : यदि माननीय सदस्य आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें वर्षवार दे रहा हूं । 1970 में 9 प्रार्थना पत्र मिले तथा 1971 में 10. पंजाब में 1971 में नए उपक्रम के लिए एक लाइसेंस दिया गया । कुल—11 और 10.

श्री बी० के० दासचौधरी : इसका अर्थ यह हुआ कि 19 प्रार्थना-पत्र मिले थे और 19 आशय-पत्र जारी किये गये ।

भारतीय चमड़ा और जूता निगम लिमिटेड, कानपुर, में उत्पादन

*1535. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चमड़ा और जूता निगम लिमिटेड, कानपुर, में उत्पादन बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या वहां घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) उत्पादन की पद्धति में क्या परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) . एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय चमड़ा तथा जूता निगम लि० कानपुर अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा प्रयोग न कर पाने के कारण सामान्यतया हानि उठा रहा है । अतः आधुनिक संयंत्र और मशीनों से एवं विक्रय योग्य उत्पाद बनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । निगम के कार्यों में सुधार लाने के लिए किये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

भारतीय चमड़ा तथा जूता निगम लिमिटेड के कार्यों में सुधार लाने के लिए किये गये कुछ उपाय

(1) संगठन के उत्पादों को प्रभावशाली ढंग से बेचने के लिए बिक्री संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(2) किस्म नियंत्रण प्रणाली लागू करके उसके कारण होने वाली हानि और माल खराब की शिकायत को दूर करना । तथ्य यह है कि किस्म में पहले से ही पर्याप्त सुधार हो गया है ।

(3) सामान को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए उत्पादन, आयोजना और नियंत्रण के श्रेष्ठ उपायों को अपनाया गया है ।

(4) कच्ची खालों के खरीदने की एक नई प्रक्रिया को अपनाया गया है जिसमें भुगतान का सम्बन्ध तैयार माल और खरीदे गये उत्पाद की किस्म से रखा गया है, इस तरीके से अधिक भुगतान की बात समाप्त हो गई है जो खालों को कच्ची हालत में खरीदने के कारण अक्सर गलत अनुमान लग जाने से हो जाती थी । दूसरे सामानों के बारे में भी स्वयं निर्माताओं से अथवा प्रत्यायित अभिकरणों से खरीद करके और स्थानीय व्यापारियों/खुदरा व्यापारियों पर निर्भरता कम करके खरीद में बचत की गई है ।

(5) हाल ही के महीनों में उठाये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप उत्पादिता में पहले ही सुधार हो गया है । उत्पादिता बढ़ाने के लिए अग्रेतर प्रयास किए जा रहे हैं । सरकारी विभागों से पर्याप्त क्रयादेशों के अनुबंध कर लिए गये हैं जिससे उचित दर पर उत्पादन बनाये रखने का सुनिश्चय किया जा सकेगा ।

(6) संयंत्र और उपकरण के आधुनिकीकरण के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं जिससे संयंत्र की लाभप्रदता को बढ़ाया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस समय इस सरकारी उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक एक दक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं लेकिन वह तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं । चूंकि यह विशेषतया चमड़े का कारखाना है अतः जिस व्यक्ति को चमड़े के बारे में कुछ जानकारी हो उसे ही कारखाने का मुख्य प्रबन्धक होना चाहिये । क्या सरकार वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के स्थान पर एक तकनीकी विशेषज्ञ निदेशक की नियुक्ति करेगी, जैसा कि अन्य सरकारी कारखानों में की गई है ?

श्री घनश्याम ओझा : माननीय सदस्य को विदित ही है कि उन्हीं के अनुरोध पर अभी हाल में हमने एक वरिष्ठ अधिकारी को उक्त निगम की जांच के लिये भेजा है। हम उनकी सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि सरकार प्रबन्धक मण्डलों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व रखने की नीति का अनुसरण कर रही है और यह एक सरकारी उपक्रम है तो कभी सरकार ने उक्त बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व रखने के बारे में विचार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री घनश्याम ओझा : कार्यवाही करने के लिये यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस सुझाव पर तब विचार करेंगे जब सम्बद्ध अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

श्री बी० बी० नायक : हमें यह विदित हुआ है कि उक्त निगम सरकार ने 1 रुपये की पूंजी लागत पर खरीदा है या इसे राष्ट्रीयकृत किया है और इसे 25 लाख रुपये की हानि हो रही थी।

क्या यह औद्योगिक नीति का एक भाग होगा कि किसी ऐसे उपभोक्ता वस्तु, उद्योग को जो लगातार घाटे में चल रहा हो उसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अपने हाथ में ले लेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्पादन में सुधार करने के बारे में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है और आप सामान्य नीति के बारे में उल्लेख कर रहे हैं।

श्री बी० बी० नायक : मेरे विचार से माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री उत्तर देने के उत्सुक होंगे लेकिन मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर देना चाहता हूं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या उक्त उपक्रम को विदेशों से कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, यदि हां तो उनको किस सीमा तक पूरा किया गया है ?

श्री घनश्याम ओझा : हमें कुछ क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और हमने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है लेकिन वे हमारी आशा के अनुकूल नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र में ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड परियोजना की स्थापना

*1536. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड परियोजना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). सरकार ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक यूनिट स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है, और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के विख्यात निर्माताओं से सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या यह सच है कि हमारा देश आवश्यकता से आधी मात्रा में भी ग्रैफाइट का वार्षिक उत्पादन नहीं कर रहा है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके उत्पादन के लिये मुख्यतया आवश्यक कैलसाइन्ड कोक नामक कच्चा माल जिसका उत्पादन बरौनी तेल शोधक कारखाने में किया जाता है और समस्तीपुर में कम मूल्य पर उपलब्ध किया जा सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समस्तीपुर एक पिछड़ा जिला है और वहां सरकारी क्षेत्र में भी विशेष रियायतें उपलब्ध होंगी और इसके समीप बरौनी से 45 मील दूर बिजली घर है। क्या सरकार का विचार ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड कारखाने को समस्तीपुर में स्थापित करने का है ?

श्री मोईनुल हक चौधरी : यह सच है कि हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है और इसी कारण सरकार इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास कर रही है। हमारी 20,000 टन की आवश्यकता में से 10,000 टन की आवश्यकता सरकारी क्षेत्र के लिये और बाकी 10,000 टन की आवश्यकता गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित रखी गई है। इस बारे में अनेक आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं और मुझे ऐसा विदित नहीं है कि इनमें से किसी का सम्बन्ध समस्तीपुर से है। यदि मुझे ठीक से याद है तो बिहार से हमें केवल मोदी उद्योग समूह से ही आवेदन प्राप्त हुआ है, जो एक बड़ा उद्योग समूह है।

श्री नवल किशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार सरकार इस परियोजना में सहयोग देने के लिये तैयार है और वह आवश्यक आधार-भूत ढांचा मुहैय्या करने के लिये तैयार है। क्या सरकार का इस कारखाने को बिहार में समस्तीपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री मोईनुल हक चौधरी : बिहार के मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री ग्रैफाइट कारखाने की स्थापना के बारे में चर्चा करने के लिये कल मेरे पास आये थे और मैंने उन्हें कुछ गैर सरकारी फर्मों की बिहार में कारखाना स्थापित करने की कठिनाई के बारे में बताया था। अभी हमारा विचार-विमर्श चल रहा है। इस बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय हम माननीय सदस्य के सुझाव की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

Over-bridges at Falna and Rani Stations (Western Railway)

*1537. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct over-bridges at Falna and Rani Stations on the Western Railway for which a demand has been made from the citizens of those areas from time to time ; and

(b) if so, when the said overbridges are likely to be constructed ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri M. C. Daga : Due to the absence of overbridge at Falna and Rani Stations on the Western Railway, the people of that region have to face great difficulties and hundreds of bullock-carts have to wait there for hours. I want to know whether any action has been taken on the complaints of the people in this regard ?

श्री हनुमन्तैया : यद्यपि इस बारे में मैं औपचारिक रूप से 'नहीं' में उत्तर दे चुका हूं, फिर भी मैंने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजा है कि वे बजट में दिये गये प्रस्तावों के अन्तर्गत

ऊपरि और निचले पुलों के निर्माण के बारे में अपने सुझाव भेंजे । यदि माननीय सदस्य राज्य के मुख्य मंत्री को उक्त प्रस्ताव भेजने के लिये राजी कर लें तो मुझे वह स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता होगी ।

Shri M. C. Daga: Why the officers of railways do not draw the attention of the hon. Minister towards this and is it necessary for the Chief Minister to draw your attention and send their proposals in this regard so that you may accept them ?

अध्यक्ष महोदय : आपने 'नहीं' कहने पर भी 'हां' कहलवा ली है । अब आप और क्या चाहते हैं ।

Cement Factory at Dehra Dun

*1539. **Shri Ram Chandra Vikal**: Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up a cement factory at Dehra Dun ; and

(b) if so, by what time the factory is likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Ozha) :(a) and (b). A proposal by the Cement Corporation of India to set up a Unit at Baruwala in Dehra Dun district with an annual capacity of two lakh tonnes is under Government's active consideration. Normally, it takes about five years for a new factory to come into production.

Shri R. C. Vikal: The hon. Minister has stated that a plan to set up a Cement Factory at Dehradun is under active consideration. I want to know whether a final shape has been given to it ?

श्री घनश्याम ओझा : उक्त योजना को अन्तिम रूप दिया गया है लेकिन हम चूना निक्षेपों और अन्य बातों का पता लगा रहे हैं । हमने इस बारे में काफी कार्यवाही की है और आशा है, हम उक्त परियोजना को बहुत शीघ्र अन्तिम रूप दे देंगे ।

Shri R. C. Vikal: The hon. Minister has stated that the cement factory may be completed within five years. I want to know whether this date is for the construction of that building or whether the factory will start functioning within that period ?

श्री घनश्याम ओझा : वास्तविक तारीख बताना बहुत कठिन होगा ।

Shri Nathu Ram Ahirwar: I want to know whether Government has been planning to establish a cement factory in Madhya Pradesh in addition to Uttar Pradesh, if so where ?

श्री घनश्याम ओझा : सीमेन्ट निगम ने मध्य प्रदेश में पहले ही का सीमेन्ट कारखाना स्थापित कर लिया हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली या देहरादून में ही सीमेन्ट की कमी नहीं है, बल्कि समस्त देश में सीमेन्ट की कमी है ; क्या सीमेन्ट कारखानें अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं । यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी क्षमता बढ़ायेगी, जिससे देश में सीमेन्ट की कमी को दूर किया जा सके ?

श्री घनश्याम ओझा : समस्त क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा हो। हम नये एककों के लिए भी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। सीमेन्ट निगम देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने वाले लगभग आठ एककों के व्यवहार्यता प्रतिवेदनों की जांच कर रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बिहार में जपला में स्थित एक सीमेन्ट का बहुत बड़ा कारखाना कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गया है और क्या राज्य के मुख्य मंत्री ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

Shri N. N. Pandey : Are any difficulties being faced in the matter of acquiring land for the purpose ? If so, what are these difficulties on account of which the setting up of the Cement factory is being delayed ?

श्री घनश्याम ओझा : पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच यह संयंत्र स्थापित किया जायेगा और यह स्थान देहरादून की ठोकर (रेलहैड) से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं, ताकि हम कच्चे माल वाले स्थान का लाभ उठा सकें। हम इस कार्य को शीघ्र करेंगे।

Shri N. N. Pandey : I want to know whether Government is facing any difficulty in acquiring the land but he has avoided the real question.

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह स्थान की तलाश में हैं और आपको स्थान के अर्जन की चिन्ता है।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या यह सच है कि सीमेंट की कमी सीमेंट के कम उत्पादन के कारण नहीं बल्कि वैगन उपलब्ध न होने के कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : स्थान के चयन के बाद रेलवे वैगन भेजे जायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में टेहरी बांध बनाने का निर्णय किया है और देहरादून में किसाऊ बांध और अल्मोड़ा में पंचेश्वर बांध बनाये जाने के प्रस्ताव हैं। टेहरी बांध दक्षिणपूर्व एशिया में सबसे बड़ा बांध होगा। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस सीमेंट कारखाने का निर्माण आरम्भ करना सम्भव होगा और यदि हां तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा ?

श्री घनश्याम ओझा : हम इस कार्य को शीघ्र करने का प्रयत्न करेंगे। यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा।

तमिलनाडु में ग्लूकोस की फैक्टरी स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जाना

*1540. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ग्लूकोस फैक्टरी आरम्भ करने के लिये लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस कब दिया गया था ;

(ग) क्या फैक्टरी में काम आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। स्टार्च ग्लूकोस डेक्स्ट्रोस बनाने हेतु तमिलनाडु में एक एकक स्थापित करने के लिए मे० जेपुर शूगर कम्पनी, मद्रास को 28 अगस्त 1969 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ग) और (घ). एकक ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है। आशय-पत्र, जो 27 अगस्त, 1971 तक वैध है, अभी भी विचाराधीन है।

श्री भुवाराहन : विलम्ब का कारण क्या है और इसके लिये सरकार जिम्मेदार है अथवा पार्टी ? संयंत्र की कुल लागत कितनी है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक आशय-पत्र जारी किया गया है जो 27 अगस्त, 1971 तक मान्य है। उस पार्टी ने लाइसेंस जारी करने के लिये अभी आवेदन-पत्र नहीं भेजा है।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच है कि जयपुरियास जैसे एक बड़े व्यापार गृह ने इस उद्योग को चलाने के लिये एक आशय-पत्र प्राप्त किया है और अब वह उसे काले बाजार में बेचने के लिये बहुत कोशिश कर रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इनको बाद में मिल लें।

कयामकुलम से पुनालूर तक रेलवे लाइन

*1541. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कयामकुलम से पुनालूर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और उस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि केरल सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे तो क्या उनका उत्तर 'न' से 'हां' में बदल सकेगा ?

श्री हनुमन्तैया : जी नहीं, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर बरास्ता क्विलोन एक वैकल्पिक मार्ग है। अतः यह अनावश्यक लाइन होगी और रेल मन्त्रालय केवल कुछ मीलों की दूरी पर दोहरी लाइन बनाने के पक्ष में नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : केरल के सम्बन्ध में रेल मन्त्री प्राय: यह बात कहते हैं कि यह रेलवे लाइन समानान्तर या अनावश्यक हैं। वास्तव में केरल इतना तंग प्रदेश है कि वहां पर हर चीज का समानान्तर होना अवश्यम्भावी है परन्तु यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और उनकी मांग काफी सही है। अतः क्या रेल मन्त्री राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने पर अनुकूल दृष्टिकोण अपनायेंगे ?

श्री हनुमन्तैया : ऊपरि पुल और निचले पुल बनाने के बारे में राज्य सरकार के विचार लगभग अन्तिम समझे जाते हैं परन्तु नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में नहीं। इस प्रयोजन के लिए योजना में व्यवस्था होनी चाहिए और धन उपलब्ध होना चाहिए। कई कठिनाइयां हैं। हमने केरल की उपेक्षा नहीं की है। मैंने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में घोषणा की थी कि कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक मीटर गेज लाइन बनाई जायेगी। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण सभी वांछनीय काम एक दम नहीं किये जा सकते।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : केरल में एक लाख जनसंख्या के लिए तीन मील पटरी की व्यवस्था है, जबकि अखिल भारतीय औसत 9.5 से अधिक है। इसलिये क्या सरकार केरल के साथ समान व्यवहार करने के लिए वहां नई रेलवे लाइनें बिछाने पर विचार करेगी ?

श्री हनुमन्तैया : मैं यह नहीं कह सकता कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर रेलवे पर लाइनें बनाना सम्भव है या नहीं, परन्तु इस बात से मैं सहमत हूं कि नई रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में भारत के प्रत्येक राज्य के साथ यथासम्भव समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

श्री वयालार रवि : क्या बरास्ता एलीपी कयामकुलम और कोचीन लाइन का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री हनुमन्तैया : एक यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस लाइन पर लगभग $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी दूरी 50 किलोमीटर होगी।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : उनके उत्तर में जिस लाइन का उल्लेख किया गया था, क्या उसका कोई यातायात सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री हनुमतैन्या : अलग यातायात सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इन दो स्टेशनों के बीच पहले ही कनेक्शन है। अतः एक अन्य समानान्तर लाइन बनाया जाना सम्भव नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण

*1542. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए बड़े पैमाने की परियोजनाएं आरम्भ करने की कोई योजना है, जहां विद्युत चालित पम्पों से भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख). देश में कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाने के लिए पम्प सेटों को बिजली से चलाने के निमित्त ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर जोर दिया जाना जारी है। पश्चिम बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण करने और पम्प सेटों को बिजली से चलाने, दोनों ही कार्यों की प्रगति धीमी है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों की गति तेज करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, जिसकी स्थापना पम्प सेटों को बिजली से चलाने की दिशा में विशेष बल के साथ ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में की गई है, अब तक पश्चिम बंगाल में 1481 गांवों का विद्युतीकरण करने और 8727 पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लिए रु० 490.06 लाख की अनुमानित लागत से सात ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण द्वारा वित्त पोषण के लिए और अधिक स्कीमें तैयार कर रहा है। राज्य विद्युत बोर्ड स्कीमों के कार्यान्वियन का प्रस्ताव रख रहा है। इनके कार्यान्वियन के परिणाम स्वरूप चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान 35,000 पम्प सेटों को बिजली से चलाया जायगा जबकि इसके मुकाबले चौथी योजना के आरम्भ में 1199 पम्प सेटों को बिजली से चलाया जा रहा था।

श्री समर गुह : सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जिनमें ग्राम विद्युतीकरण की न्यूनतम सुविधाएं हैं। पहले राज्य सरकार स्वीकृत सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ थी परन्तु अब जबकि पश्चिम बंगाल पर केन्द्रीय सरकार का शासन है, क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे पश्चिम बंगाल इस सम्बन्ध में अन्य उन्नत राज्यों के बराबर हो जाये ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : यह सच है कि पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण की स्थिति काफी खराब है। हाल ही में मैंने वहां के मुख्य इन्जीनियर से बातचीत की थी और उन्होंने इस काम की गति तेज करने का वचन दिया है । ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने 8 योजनाओं की स्वीकृति दी है और हम और भी अधिक योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को तरजीह दी जाती है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि गत राष्ट्रपति शासन की अवधि में सरकार ने मिदनापुर द्वितीय अवस्था योजना की स्वीकृति दी थी जिसमें कंटाई का सब-डिवीजन सम्मिलित था और यदि हां, तो क्या उस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कार्य आरम्भ हो गया है ?

डा० के० एल० राव : यह कहना कठिन है कि अमुक योजना प्राप्त हुई है या नहीं। विभिन्न राज्यों से बहुत सी योजनाएं प्राप्त हुई हैं और पश्चिम बंगाल से प्राप्त सात योजनाएं ग्राम्य विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन हैं। शायद यह उनमें से एक हो। यदि यह बात ठीक हुई तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदार : क्या ग्राम्य विद्युतीकरण में, विशेषकर मालदा जिले में सुधार करने की कोई तत्काल योजना है ?

डा० के० एल० राव : मैंने पहले ही बता दिया है कि समस्त बंगाल को तरजीह दी जा रही है। उत्तर बंगाल में और भी कठिनाई है क्योंकि वहां बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमें पूर्णिया से कुछ लाइनें ले जानी हैं और हम उत्तर बंगाल के लिए विद्युत प्रजनन का कार्य आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विद्युत प्रजनन की स्थिति में सुधार किये बिना विद्युतीकरण की गति तेज करना सम्भव नहीं होगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल की विचाराधीन सात योजनाओं का ब्यौरा बतायेंगे और क्या उत्तर बंगाल के लिए भी कोई योजना भेजी गई है ?

डा० के० एल० राव : मैं उन योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता जो अभी मंजूर नहीं हुई हैं। जो योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, उनमें सुन्दर बांस, 24 परगना, हल्दिया आदि हैं। उनमें उत्तर बंगाल परियोजना नहीं है। सम्भव है कि वह विचाराधीन योजनाओं में हो।

श्री कार्तिक उरांव : विभिन्न राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण की दर क्या है। क्या वह समान है और यदि नहीं, तो समस्त देश में ग्राम्य विद्युतीकरण के विकास में समता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल पश्चिम बंगाल के बारे में है। मुझे खेद है कि यह प्रश्न संगत नहीं है।

फरक्का बांध से निकलने वाली पोषक नहर के पूरा होने पर हुगली नदी को पानी मिलना

*1543. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरक्का बांध से निकलने वाली पोषक नहर के पूरा होने पर हुगली नदी को प्रति दिन कितने क्यूसेक पानी मिलेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : फरक्का बराज से निकलने वाली फीडर नहर के जरिए हुगली नदी को 40,000 क्युसेक जल मिलेगा।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या निर्माण के समय इतने ही धन के व्यय का अनुमान लगाया गया था अथवा इससे न्यूनाधिक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : परियोजना का निर्माण मंजूरी के अनुसार किया जा रहा है। अनुमानों में इतने ही धन की व्यवस्था की गई थी।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या गंगा से कुछ जल को अन्यत्र भेजा जा रहा है, क्योंकि आवश्यक जल उस मार्ग से नहीं बहेगा ? क्या यही विचार है ?

डा० के० एल० राव : परियोजना को मंजूर करते समय कुछ बहाव हम प्रति महीने स्वीकार करते रहे हैं। परियोजना पूरी होने पर भी वह पद्धति जारी रखी जायेगी।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या यह धन हुगली नदी की गाद को हटाने के लिये पर्याप्त होगा ? क्या यह अधिकतम है ?

डा० के० एल० राव : पानी की निकासी 40,000 क्यूसेक्स होगी। नहर का निर्माण उसके अनुसार हो रहा है। इसमें अधिकतम, न्यूनतम अथवा ऐसी किसी बात का प्रश्न नहीं है।

श्री दिनेश जोरदार : फरक्का बांध पूरा होने के बाद प्रवाह के विरुद्ध बनने वाला जलाशय इतना जल जमा कर सकेगा जिससे हुगली नदी को वर्ष भर नौगम्य बनाने के लिये सहायक नहरों में पानी नियमित रूप से एकरस बहता रहेगा? क्या ऐसे ऊंचे स्तर के जलाशय के बन जाने से मालदा जिले का पश्चिमी भाग लगभग पूरे वर्ष बाढ़ग्रस्त हो जायेगा, यदि उसे रोकने के लिये शीघ्र ही बांध का निर्माण नहीं किया जाता है?

डा० के० एल० राव : वास्तव में पानी का इतना जमाव नहीं है। जल का कुछ भाग ही नहर में छोड़ा जायगा और शेष नदी में ही रहेगा। मालदा के सम्बन्ध में दूसरे प्रश्न के बारे में एक बांध की स्वीकृति दे दी गई है। परन्तु अपने एक निरीक्षण में मैंने देखा कि इससे मालदा जिले की बहुत बड़ी भूमि जलमग्न हो जायेगी। मैंने सुझाव दिया था कि यथासम्भव भूमि को बचाने के लिये नदी के समानान्तर एक और बांध बनाया जाये। उसे बनाया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पोषक नहर में पानी वर्ष भर बहता रहेगा?

डा० के० एल० राव : उसका कुछ बहाव रहता है। उसी को चालू रखा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया कि पूरी योजना की मंजूरी 40000 क्यूसेक्स जल के लिये दी गई थी। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस बीच में जो समाचार हमने सुने उनका क्या हुआ—उन पर इस सदन में भी विचार किया गया था कि एक परियोजना बिहार सरकार ने प्रवाह के विपरीत और आगे जल को बदलने के लिये आरम्भ की है, जिससे उस पोषक नदी के बहाव पर प्रभाव पड़ेगा जिस पर कलकत्ता पत्तन की नौगम्यता निर्भर करती है? क्या उक्त परियोजना ठीक चल रही है अथवा नहीं?

डा० के० एल० राव : यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस सम्बन्ध में कई बातों पर विचार किया जाता है। हमने फरक्का के बहाव को कुछ आधार पर मंजूर किया है कि वर्ष के कुछ महीनों में पानी निश्चित मात्रा में बहता रहे। यह कहने का कोई प्रश्न नहीं कि क्योंकि फरक्का बांध का निर्माण किया है इसलिये उससे ऊपर किसी परियोजना को हाथ में नहीं लेना चाहिये। ऐसा इरादा कभी नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई और परियोजना आरम्भ की गई है?

डा० के० एल० राव : गंगा क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहां पर समय-समय पर सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिये कई परियोजनाओं को आरम्भ किया जायेगा और हमें उन सभी परियोजनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और हमने नहर में जल के बहाव की एक पद्धति निर्धारित की है। स्वीकृति देते समय हम इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं और किये गये निर्णयों का पालन करते हैं। उस पर अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ता।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के प्रतिनिधिमंडल की प्रधान मंत्री से भेंट

+

1545. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधिमण्डल के बीच औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किन विषयों पर बातचीत हुई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि मंडल 5 जुलाई, 1971 को प्रधान मंत्री से मिला था, अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान किया गया और प्रतिनिधि मण्डल ने उद्योग के सामान्य हित के कुछ विषयों जैसे विकास छूट की वापसी का प्रभाव, लाइसेंस देने की प्रक्रिया की गति बढ़ाने और ऋण प्राप्त करने में हो रही कठिनाई से मुक्ति के बारे में आवेदन किया। सरकार इन समस्याओं से भली भांति परिचित है औद्योगिक विकास और अर्थ व्यवस्था के विकास का सुनिश्चय करने के लिये निरन्तर कदम उठा रही है।

श्री मुहम्मद शरीफ : मंत्री महोदय ने बताया कि तेजी से औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने तथा अर्थ व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार निरन्तर कार्यवाहियां कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या शीघ्र औद्योगिक विकास तथा अर्थ-व्यवस्था का विकास सुनिश्चित करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : अपनी मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय मैंने इस संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तारपूर्वक वर्णन किया था ।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या लाइसेंसिंग पद्धति में गति लाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : हमने कार्य की गति बढ़ा दी है, अब तक इतना कार्य हो चुका है जितना पिछले पूरे वर्ष में हुआ था।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर बहुत सामान्य रूप से दिये हैं। हमने औद्योगिक विकास मन्त्रालय की मांगों पर वाद-विवाद का उनका उत्तर ध्यान से देखा है। जिन तीन मामलों पर प्रधान मंत्री और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधि मंडल के मध्य बातचीत हुई थी क्या उनके बारे में कोई विशेष निश्चय किया गया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह एक सामान्य बातचीत थी और उसमें कोई विशेष मामले नहीं उठाए गये थे। आम तौर पर उन्होंने विकास छूट, जोकि उस समय महत्वपूर्ण मामला था, के बारे में

बातचीत की थी, जिस पर कि सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। वित्त मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है। लाइसेंसिंग पद्धति को गतिशील बनाने के बारे में की गई कार्यवाही की उन्होंने सदन को सूचना दे दी है और उसकी घोषणा सदन में पहले ही की जा चुकी है। अपने पैड में दी गई टिप्पणियों से पता चला है कि उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ बंगला देश के मामले तथा उसके विभिन्न प्रभावों पर भी बातचीत की थी और प्रधान मंत्री ने उन पर स्थिति स्पष्ट की थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत के दौरान प्रधान मंत्री ने वाणिज्य मंडल संघ के प्रतिनिधि मंडल को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि देश के व्यापक हित में उन्हें कारखाने बन्द नहीं करने चाहिए और यदि हां, तो उन उद्योगपतियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : उनके और प्रधान मंत्री के मध्य क्या विचार-विमर्श हुआ, इसकी मेरे पास प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा भेजी गई टिप्पणी के सिवा कोई जानकारी नहीं है और उसमें ऐसी बातचीत का कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री महोदय के विचार जानने के लिये यह सीधा प्रश्न पूछा गया है।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या उस बैठक में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में उद्योग स्थापित करने एवं उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर बातचीत की गई थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरे पास भेजी गई टिप्पणी में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे।

उत्तर बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच

*1546. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच स्थापित करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बहुत से अभ्यावेदन दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर बंगाल में उच्च न्यायालय की एक सर्किट बैंच स्थापित करने के लिए जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। पता चला है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जब उत्तर बंगाल जिलों का निरीक्षण कर रहे थे तब जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कूच बिहार की बार एसोसिएशनों ने भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन उनको किए थे।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय की राय जानने के लिए उसे भेजा जा रहा है और इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई उच्च न्यायालय की राय प्राप्त होने पर की जाएगी।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह मामला बहुत समय से चल रहा है क्योंकि इस पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा है। मुझे मंत्री महोदय को इस बात पर प्रसन्नता है कि आगे कार्यवाही की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल के लोगों की इस मांग को, कि वहां पर उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच स्थापित की जाये, पूरा करने के लिये क्या वे कार्यवाही करेंगे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : प्रक्रिया के अनुसार मामला मुख्य न्यायाधीश के पास जायेगा और मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। हम आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट भेज देंगे।

बंगलौर और भोपाल अनुसंधान केंद्रों में बिजली के उपकरणों में शार्ट सर्किट का पता लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था में देरी

*1547. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर और भोपाल अनुसंधान केन्द्रों में विद्युत् उपकरणों में शार्ट सर्किट होने के कारणों का पता लगाने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था स्थापित करने में हुई देरी का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). इन सुविधाओं को चालू करने में कुछ देरी हुई है। बंगलौर स्थित शार्ट सर्किट टैस्टिंग स्टेशन के दिसम्बर, 1971 में और भोपाल स्थित स्विच गियर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट स्टेशन के सितम्बर, 1971 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्रालय ने ध्यान दिया है कि शार्ट सर्किट स्टेशनों, विशेषतः भोपाल को पूर्ति करने की पद्धति विद्युत प्रणाली के साथ परस्पर सम्बद्ध है जिससे शार्ट सर्किट उपायों के चालू होने पर विदीर्ण की पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था रहेगी ?

डा० के० एल० राव : जी हां, इसी उद्देश्य से हमने भोपाल में केन्द्र की स्थापना की है। हमारा विचार भोपाल की क्षमता को यथासमय दुगुना करने का है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पश्चिमी तथा क्षेत्रीय इलाके 500 मैगावाट की विदीर्ण क्षमता को पहुंच चुके हैं और नये उपकरणों के विकास से मैगावाट की विदीर्ण क्षमता बढ़ जायेगी ?

डा० के० एल० राव : हमारे ध्यान में ठीक यही बात है। दुर्भाग्यवश पिछले वर्षों से इस परीक्षण कार्य का विकास नहीं हो सका और उसमें बहुत विलम्ब हो गया है। इसे लगभग दस वर्ष लगे। हमें उम्मीद है आगामी वर्ष से हम अधिक अन्वेषण कार्य और परीक्षण सुविधाएं दे सकेंगे और हम भावी मांगों की पूर्ति कर सकेंगे।

रेलवे अधिकारियों को सैलून दिये जाने का मापदण्ड

*1548. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को सैलून दिए जाने का क्या मापदण्ड है ;

(ख) क्या अधिकारियों के साथ उनके परिवारों को भी यात्रा करने का अधिकार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी यात्राओं के लिए उनके यात्रा भत्ते में से कोई कटौती की जाती है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). श्रीमन्, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III के कुछ रेल अधिकारियों को ड्यूटी पर यात्रा करते समय, उपलब्ध होने पर, निरीक्षण डिब्बों का उपयोग करने की अनुमति है।

श्रेणी III, श्रेणी II, और कनिष्ठ वेतनमान के श्रणी I के अधिकारी चौपहिये डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें केवल माल-गाड़ियों और धीमी रफ्तार वाली सवारी गाड़ियों में लगाने की अनुमति है ।

वरिष्ठ वेतनमान के श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारी बड़ी लाइन पर चौपहिये निरीक्षण डिब्बे और मीटर लाइन पर चौपहिये तथा छ: पहिये डिब्बे इस्तेमाल करने के हकदार हैं और इन्हें भी मालगाड़ियों या धीमी रफ्तार वाली सवारी गाड़ियों में ही लगाने की अनुमति है ।

कनिष्ठ और मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को मानक सवारी डिब्बे की अपेक्षा कम लम्बे अठपहिये निरीक्षण डिब्बों को इस्तेमाल करने की अनुमति है । इन्हें मालगाड़ियों, सवारी और अपेक्षाकृत अमहत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाने की अनुमति है ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, महाप्रबन्धकों और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को अठपहिये बड़े निरीक्षण डिब्बों को इस्तेमाल करने की अनुमति है जिनमें से कुछ की लम्बाई मानक सवारी डिब्बों की लम्बाई के बराबर होती है । ये डिब्बे, कुछ डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर, जिनमें निरीक्षण डिब्बे लगाने की मनाही है, लेकिन जिनमें आपातिक मामलों में महाप्रबन्धक, बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष अपने निरीक्षण डिब्बे लगवा सकते हैं, सभी गाड़ियों में लगाये जा सकते हैं ।

जनता एक्सप्रेस गाड़ियों, वातानुकूल डीलक्स गाड़ियों और ताज एक्सप्रेस, डक्कन क्वीन आदि जैसी कुछ नामित गाड़ियों में कोई भी निरीक्षण डिब्बा लगाने की अनुमति नहीं है ।

(ख) अधिकारियों को जारी किये गये ड्यूटी पास पर अधिकारी के केवल पत्नी और बच्चों को निरीक्षण डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति है । पहले दर्जे का टिकट खरीदे बिना या इस प्रयोजन के लिए अधिकारी को जारी किये गये किसी सुविधा पास के प्राधिकार के बिना आश्रित विधवा माता, बहिन, भाई आदि जैसे किसी भी आश्रित सम्बन्धी को यात्रा करने की अनुमति नहीं है ।

(ग) रेल अधिकारी, ड्यूटी पर गाड़ी यात्रा करने की अवधि में कोई यात्रा भत्ता पाने के हकदार नहीं है । वे केवल दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं ।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य निरीक्षण डिब्बों में यात्रा करने की अवधि में दैनिक भत्ता भी पाने के हकदार नहीं होते हैं ।

श्री राजदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, विवरण में 'सैलून' के स्थान पर 'निरीक्षण डिब्बे' शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सुविधाओं के संदर्भ में सैलून तथा निरीक्षण डिब्बे में क्या अन्तर है ?

श्री हनुमन्तैया : शब्द "सैलून" का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है। डिब्बे विभिन्न प्रकार के हैं : एक तो वातानुकूलित जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य यात्रा करते हैं और दूसरे जिनमें महा प्रबन्धक तथा अन्य प्रशासकीय अधिकारी यात्रा करते हैं। अतः इनको निरीक्षण डिब्बे कहा जाता है। सैलून का प्रयोग सामान्य शब्दावली...(**व्यवधान**)

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सैलून में यात्रा करने की ब्रिटिश काल से चली आ रही प्रथा को बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये बन्द किया जाएगा ?

श्री हनुमन्तैया : यह सुविधा अथवा आप इसे जो भी नाम देना चाहें, अधिकारियों को एक लम्बे अरसे से प्राप्त हैं...(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। मैं उनके विचारों का विरोध नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको जानकारी दे रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह प्रथम श्रेणी के डिब्बों में क्यों नहीं यात्रा करते ?

श्री हनुमन्तैया : सरकारी उपक्रमों अथवा संगठनों में कुछ बातें दशाब्दियों से चली आ रही हैं। मेरे विचार में तो रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले निःशुल्क यात्रा पत्र की व्यवस्था भी उचित नहीं, क्योंकि इससे एक करोड़ ...

श्री शशि भूषण : नहीं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब देते समय आप अपने को अन्य समस्याओं में न उलझाएं।

श्री हनुमन्तैया : समस्या की कोई बात नहीं। यदि माननीय सदस्य विषय पर भली-भांति विचार करेंगे तो वह स्वयं अनुभव करेंगे कि यह उचित नहीं है।

अधिकारियों को यह सुविधाएं दशाब्दियों से प्राप्त हैं...(**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : क्यों वह शहजादे हैं क्या ?...

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें । मंत्री महोदय केवल आपको जानकारी दे रहे हैं। वह अपना मत प्रकट नहीं कर रहे।

श्री हनुमन्तैया : मैंने स्वयं उन डिब्बों को देखा है। वह निजी आराम के लिए नहीं हैं। इन अधिकारियों में से अधिकतर प्रायः गाड़ी के साथ यात्रा करते हैं। यदि उन्हें हम इन सुविधाओं से वंचित करें...

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने देखा है कि वह क्या काम करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के कामों में अन्तर्ग्रस्त हैं।

श्री हनुमन्तैया : अतः यह प्रश्न, कि अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सरकारी काम को ध्यान में रखे बिना उनकी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, गहन रूप से विचारणीय है।

श्री एस० एन० मिश्रा : संभवतः मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं कि इस सदन में एक बार यह वक्तव्य दिया गया था कि सैलून तथा निरीक्षण डिब्बे की सुविधाएं वहां प्रदान नहीं की जाएंगी, जहां मुख्यालय होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत है कि इस आशय का आश्वासन सदन में पहले भी दिया जा चुका है ?

श्री हनुमन्तैया : जो कुछ आश्वासन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिया गया है, उसे निश्चय ही क्रियान्वित किया जाएगा। मेरे इस विषय में कोई मतभेद नहीं। वस्तुतः कुछ माननीय सदस्य इन सुविधाओं को समाप्त करने के पक्ष में हैं। किन्तु इस स्थिति में मैं यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकता कि इन सुविधाओं को समाप्त किया जाएगा अथवा नहीं, क्योंकि यह सुविधाएं काफी लम्बे अरसे से प्रदान की जा रही हैं और इनको समाप्त करने के परिणामस्वरूप प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह प्रश्न विचारणीय है।

Shri N. N. Pandey : Mr. Speaker, Sir, while the facility of railway passes is being withdrawn as far the general employees are concerned, the railway officers are being provided with air conditioned coaches and saloons. Will the hon. Minister consider this and withdraw such facilities ?

श्री हनुमन्तैया : इस अवस्था में दी जाने वाली सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : हम मंत्री महोदय के कथन का कड़ा विरोध करते हैं। यह सरासर अन्याय है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मंत्री महोदय अपना कथन वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि समय के अभाव के कारण चर्चा आगे जारी नहीं रखी जा सकती। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री के० लकप्पा : इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण के मामले में हेरा-फेरी

*1531. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सोने और बैठने के स्थानों के आरक्षण के मामले में होने वाली हेरा-फेरी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में किस प्रकार की शिकायतें लाई गई हैं ; और

(ग) इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे सामान्यतः प्राइवेट एजेंसियों और व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में होती हैं जो इच्छुक यात्रियों से अतिरिक्त रकम लेकर उनके लिए आरक्षित स्थान प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ मामलों में रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से कदाचार करते हैं ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(i) शायिकाएं यात्रियों के व्यक्तिगत नाम से बुक की जाती हैं और नामों में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(ii) आरक्षित स्थान को रोक न रखा जाये, इसके लिए एक मांग पत्र पर एक दल को अधिक से अधिक 4 शायिकाएं और एक परिवार को अधिक से अधिक 6 शायिकाएं देने की अनुमति है ।

(iii) जो स्थान खाली होता है, उसे ठीक अग्रता के आधार पर प्रतीक्षारत यात्रियों को आबंटित कर दिया जाता है ।

(iv) आरक्षित स्थान के सम्बन्ध में गोल-माल करने वाले समाज-विरोधी तत्वों पर निगरानी रखने के लिए टिकट खिड़कियों के निकट प्रायः सादे कपड़ों में चल टिकट परीक्षकों के विशेष दस्ते और अन्य वाणिज्यिक निरीक्षक तैनात किये जाते हैं ।

(v) भीड़-भाड़ के दिनों में प्रायः आरक्षण कार्यालयों पर नजर रखी जाती है और जांच-पड़ताल की जाती हैं ।

(vi) जिन व्यक्तियों के नाम आरक्षण किया जाता है, उनकी वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए सीधे उनसे डाक/टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जाता है ।

(vii) स्टेशनों पर सूचना-पट्ट लगाकर जनता से सहयोग मांगा जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे अनधिकृत स्रोतों से यात्रा और आरक्षण टिकट न खरीदें । इश्तहार बांट कर भी यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि वे समाज-विरोधी तत्वों का शिकार न बनें ।

(viii) भीड़ की व्यस्त अवधि में जहां तक सम्भव होता है, गाड़ियों की संख्या बढ़ायी जाती है और स्पेशल गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(ix) जहां-कहीं कोई व्यक्ति कदाचार में शामिल पाया जाता है, वहां पूरी छानबीन की जाती है और जहां सम्भव होता है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने सहित उचित कार्रवाई की जाती है ।

मैसूर में सिंचाई-विकास कार्यक्रम

*1538. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने वर्ष 1971-72 में मैसूर राज्य में सिंचाई के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी निधि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). मैसूर की 1971-72 की वार्षिक योजना में बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत और लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत सिंचाई का विकास परिकल्पित है। बृहत् और मध्यम सिंचाई की स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 13.18 करोड़ रुपये और जिन परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिली है उनके लिए 7.43 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 5.63 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

रेल के माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण सीमेंट उद्योग में संकट

*1544. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण सीमेंट उद्योग में संकट की स्थिति व्याप्त है;

(ख) क्या इससे कुछ सीमेंट कारखानों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). मई तथा जून, 1971 में सीमेंट ढोने के लिये वैगन की सप्लाई में कमी थी जिसका कारण देश के विभिन्न भागों में पंजाब तथा हरियाणा से भारी मात्रा में अन्न का भेजा जाना तथा विभिन्न समाज-विरोधी गतिविधियों और लदे हुए वैगनों को धीमी गति से निकालना पश्चिम बंगाल में विभिन्न सीमावर्ती स्थानों में बड़े पैमाने पर वैगनों को रोक लेना है। सामान्य रूप से मई और सितम्बर के मध्य का समय, निर्माण कार्य का समय होता है जबकि सीमेंट की मांग बढ़ जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि अस्थायी तौर पर स्थानीय कमी हो जाया करती है।

रेल मंत्रालय ने जुलाई, 1971 से तेजी से सीमेंट की लदाई करने के लिये विशेष अभियान चलाया है और उसके अनुसरण में सीमेंट की लदाई में सराहनीय प्रगति हुई है। जून, 1971 की चालू अवधि की अपेक्षा जुलाई, 1971 के प्रथम 18 दिनों में सीमेंट की लदाई बड़ी लाइनों पर 30 प्रतिशत तथा छोटी लाइनों पर दस प्रतिशत अधिक हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर सीमेंट भेजने में काफी उदारता बरती गई है। और रेलवे भी छोटी लाइनों के द्वारा सीमेंट भेज रही है। संभरण तेजी से किया जाए इसका सुनिश्चय करने के लिए लम्बे मार्गों पर सड़क से ले जाने का प्राधिकार देने पर उपयुक्त कदम भी उठाये गये हैं। कम वैगनों के मिलने के कारण किसी सीमेंट के कारखाने के बन्द हो जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

लमडिंग डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

*1549. **श्री मनोरंजन हाजरा :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लमडिंग डिवीजन, आसाम के रेल कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जून माह में किये गये आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जून, 1971 में कोई आन्दोलन नहीं हुआ लेकिन जुलाई, 1971 के महीने में गैर-मान्यताप्राप्त समन्वय समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों के एक दल द्वारा लमडिंग में कुछ प्रदर्शन हुआ था।

(ख) कर्मचारियों की मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) लमडिंग में रेलवे कालोनी में पानी की नियमित सप्लाई की जाये ; और

(ii) लमडिंग में सभी रेलवे क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था की जाये।

(ग) बेहतर अनुरक्षण के जरिये स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

केरल में वेली स्टेशन का बन्द किया जाना

*1550. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में त्रिवेंद्रम जिले के वेली रेलवे स्टेशन को बन्द करने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। गाड़ी हाल्ट को किलोमीटर 818/77 पर स्थित वर्तमान स्थान से हटाकर किलोमीटर 821/1 पर नये स्थान पर ले जाने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) वर्तमान स्थान पर स्थित गाड़ी हाल्ट घाटे में चल रहा है। स्थान परिवर्तन से क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाकृत बेहतर सेवा हो सकेगी और घाटे में भी कमी होगी।

मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में सिंचाई की सुविधाओं का विकास

*1551. **श्री के० लकप्पा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस उद्देश्य के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). मैसूर सरकार ने 5,600 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए उत्तर पिनाकिनी बांध के निर्माण का प्रस्ताव किया है । यह परियोजना नवम्बर, 1968 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन है । मौजूदा मंगला और मारकोनाहल्ली परियोजनाओं से सिंचाई के विस्तार की तथा नए लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों की संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

*1552. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में कोई कार्य आरम्भ किया गया है और किस-किस क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) क्या परियोजना अधिकारियों की सिफारिश पर परियोजना क्षेत्रों में वर्तमान तथा नये उद्योगों के विकास के लिए वित्त तथा कच्चे माल का विशेष आवंटन किया गया है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां, चार क्षेत्र अर्थात् बारासेट (25 परगना में), दुर्गापुर (बर्दवान जिले में), सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग जिले में), और तामुलक (मिदनापुर जिले में) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये हैं ।

(ख) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्यों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । 1962-63 से 1970-71 की अवधि में 88.72 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता, जिसमें 59.75 लाख रु० का अनुदान और रु० 28.97 लाख रुपये का ऋण सम्मिलित है, पश्चिम बंगाल सरकार को कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए दे दी गई है । 1970-71 में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिए दुर्लभ देशी और आयातित कच्चे माल का विशेष आवंटन निश्चित किया गया था ।

कम वोल्टेज वाले बिजली के लैम्पों की कमी

*1553. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम वोल्टेज वाले बिजली के लैम्पों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) देश में कम वोल्टेज वाले बिजली के लैंपों की अत्यधिक कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

*1554. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्य में 2.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से तुरन्त वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) सीमेंट का रेल भाड़ा युक्त (एफ० ओ० आर०) मूल्य 7 जुलाई, 1971 से 2.50 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया था ।

(ख) सरकार द्वारा 1971-72 के रेल बजट में घोषित संशोधित भाड़े की दर के अनुसरण में बढ़ौत्तरी आवश्यक थी ।

स्कूटरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखाने की स्थापना

1555. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री विजयपाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन प्रमुख स्कूटर निर्माता फर्मों अर्थात् इटली की पियागिओ, युगोस्लाविया की एन० एस० यू० और जापान की होंडा ने स्कूटरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने के लिये सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) तथा (ग): सहयोग के प्रस्ताव इटली के मे० पिग्गिओं और जापान के मे० होन्डा से प्राप्त हुए हैं, यूगोस्लाविया के एन० एस० यू० से सहयोग का कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जापान के होंडा का प्रस्ताव मोटर साइकिल बनाने के लिए था न कि स्कूटर बनाने के लिए, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सका। मे० पिग्गिको के प्रस्ताव की जांच हो रही है ।

(ख) परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अभी पता नहीं चला है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में विद्युतीकरण

*1556. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली स्थित अपनी बस्तियों में बिजली लगाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किया जाता रहेगा जैसा कि वह इस समय किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के निकट यमुना नदी में पानी के स्तर का चढ़ना

*1557. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1971 में यमुना नदी के पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण दिल्ली के गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया था; और

(ख) क्या इससे कोई हानि हुई थी और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). यमुना रेलवे पुल पर चेतावनी का स्तर 672.0 फुट पर है ; इसके मुकाबले पानी 671.35 फुट के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। जुलाई महीने के दौरान पुल पर पानी के स्तर में लगभग 0.8 मीटर वृद्धि हुई, लेकिन इससे बाढ़ तट से बाहर के गांवों के लिए किसी तरह का खतरा पैदा नहीं हुआ। बहरहाल, जगतपुर ग्राम के निकट दाएं किनारे पर कुछ भूमि का कटाव हुआ; यह गांव तटबन्धों के अन्तर्गत ही आता है और उन गांवों में से है, जिनका स्थानांतरण अपेक्षित था। दिल्ली प्रशासन ने प्रभावित इलाके में झाड़-झंखाड़ लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की और भूमि का कटाव रोक दिया गया।

Damage in Bihar due to Floods

*1558. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether property worth lakhs of rupees has been damaged due to floods in Bihar this year ;

(b) whether the Government of Bihar have sought any assistance from the Central Government ; and

(c) if so, the extent thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A request for ad hoc assistance of Rs. 10 crores in connection with flood relief works has been received from the Bihar Government on August 1 and is being examined.

गोल्ड स्पाट के लिये पेय आधारों का निर्माण करने वाली कम्पनी को विदेशी मुद्रा की आय

*1559. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्ड स्पाट के तथा अन्य उत्पादों के लिये पेय आधारों का निर्माण करने वाली कम्पनी ने गत तीन वर्षों में निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित पेय आधार में आयातित सामग्री भी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इसके कारण गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) गोल्ड स्पाट आदि पेयों के उत्पादन कर्त्ता मे० पार्ले बोटलिंग कम्पनी प्रा० लि० के अनुसार गत तीन वर्षों में निर्यात द्वारा अर्जित राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1968	2,77,000
1969	24,900
1970	1,04,967

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी को स्वीकृत किये गये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1968	84,125
1969	84,125
1970	1,68,250

पंजाब में जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने की योजना

*1560. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री मानसिंह भौंरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने और उनका मूल्यांकन करने तथा उनका अधिकतम और मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने की योजना तैयार करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने धरातलगत और भूगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए तथा इसके समेकित समुपयोजन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक जल संसाधन निदेशालय खोला है। इस सर्वेक्षण में विस्तृत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान-संबंधी, जल-विज्ञान संबंधी अध्ययन और अन्वेषण शामिल हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए असम से भेजे गए अनिर्णीत आवेदन-पत्र

6693. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के लिए ऐसे कितने आवेदन पत्र भेजे गए जिन पर भारत सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है ; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके लिए लाइसेंस मांगे गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन प्रायः पार्टियों से सीधे ही प्राप्त होते हैं। असम से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये, 30 जून, 1971 तक प्राप्त आवेदनों में से 20 आवेदन अनिर्णीत हैं।

(ख) उन उद्योगों के नाम, जिनके आवेदन अनिर्णीत हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

उद्योग का नाम	
(1) रसायन (उर्वरक के अतिरिक्त)	5
(2) खाद्य परिष्करण उद्योग	2
(3) कृषि मशीनरी	1
(4) सूती कपड़े (रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा परिष्कृत को मिलाकर)	2
(5) सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	1
(6) वनस्पति तेल और वनस्पति	2
(7) औद्योगिक मशीनरी	1
(8) विद्युत उपकरण	2
(9) सिगरेट	1
(10) कागज	1
(11) दूर-संचार	1
(12) लैमीनेट्स	1
योग	20

आसाम में विदेशी सहयोग से औद्योगिक परियोजनाएं

6694. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आसाम राज्य के लिए सरकार ने विदेशी सहयोग से किसी औद्योगिक परियोजना का अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मांगी गई सहायता

6695. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने 1971-72 और 1972-73 की अपनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कितने धन की मांग की है ; और

(ख) उक्त वर्षों के लिए सरकार ने कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 1971-72 के दौरान ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित आवश्यकता 10.45 करोड़ रुपये है । इसकी अपेक्षा राज्य सरकार ने 4.6 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है । राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि 1971-72 के दौरान परिकल्पित कार्यों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की जाए । इस अनुरोध की जांच हो रही है ।

1972-73 के वास्ते प्रस्तावों को ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अभी तैयार किया जाना है ।

Compensation Paid to Traders for the loss of cloth Bales Booked from Nawagarh Station (Western Railway)

6696. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cloth bales booked by parcel from Nawagarh station on Western Railway via Mehsana during 1969 and 1970 and the amount earned in the form of Railway freight from them ;

(b) the number of bales reported to have been lost during the said period ;

(c) the number of bales out of them recovered and the number of those untraced ;

(d) the amount of compensation paid to the traders by the Railways for the loss of bales ; and

(e) the steps taken to ensure safe transit of goods ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The number of bales booked from Nawagadh (not Nawagarh) via Mehsana and the amount of freight earned therefrom are as under :

Year	No. of bales	Earnings (Rs.)
1969	14,740	1,04,485
1970	13,675	96,734

(b) On the basis of claims received, 17 bales were lost in 1969 and 8 bales in 1970.

(c) None of these bales have been traced so far.

(d) Rs. 20,837.60

(e) In addition to usual precautions of marking of packages, rivetting or locking of vans, guarding of yards by staff of Railway protection Force etc., the passenger train by which bales are despatched from Nawagadh is escorted by Railway Protection Force staff during night time. At Mehsana, arrangements exist for safe custody of the bales awaiting despatch. The Railways have been instructed to take further precautions to prevent loss.

Complaint against Divisional Commerical Superintendent, Vijayawada (South Central Railway)

6697. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the All India Railway Commercial Clerks' Association had lodged a complaint to the Chief Vigilance Officer, Secunderabad and Director, Vigilance, Railway Board against the Divisional Commercial Superintendent, Vijayawada (South Central Railway) some time in March, 1971 ; and

(b) if so, the action taken on the complaint ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes. A complaint was received by the Director General (Vigilance), Railway Board.

(b) The complaint did not carry any allegation of corrupt practices in working on the part of the Divisional Commercial Superintendent, Vijayawada. The information about the action taken on the complaint will be laid on the Table of the Sabha.

आन्ध्र प्रदेश में ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5) के रेलवे फाटक पर भूमिगत पुल बनाना

6698. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा एलुरू दोहरी रेलवे लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) के डिवीजनल इंजीनियर को पश्चिम गोदावरी सहकारी चीनी लि० भीमदोते आन्ध्र प्रदेश से ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5) पर 319-320 मील (मद्रास-हावड़ा) के रेलवे फाटक पर भूमिगत पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्राधिकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण-मध्य रेल प्रशासन द्वारा दूसरी पार्टी को उपयुक्त उत्तर भेजा गया था, जिसमें यह बतलाया गया था कि समपार के स्थान पर ऊपरी पुल (क्योंकि उस स्थान पर निचला पुल व्यावहारिक नहीं है) बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित होना चाहिए और वर्तमान नियमों के अनुसार उसे अपने हिस्से का खर्च भी वहन करना चाहिए । राज्य सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

मतदान की वर्तमान प्रणाली का विरोध

6699. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राजनैतिक दलों ने मतदान की वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है तथा इसमें परिवर्तन करने तथा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) किसी भी राजनैतिक दल से इस निमित्त कोई संसूचना इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों द्वारा दिया गया ज्ञापन

6700. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के चम्पारन, दरभंगा और मुंगेर जिलों के 600 गांवों के बाढ़ पीड़ित लोगों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी कठिनाइयों से सम्बन्धित एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में की गई मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) प्रधान मन्त्री को बिहार के चम्पारन, दरभंगा और मुंगेर जिलों के बाढ़ग्रस्त गांवों के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

व्यास बांध (पोंग बांध) के निर्माण के कारण बेघरबार हुए लोगों को मुआवजा

6701. **श्री मुल्की राज सेनी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध (पोंग बांध) के निर्माण के कारण बेघरबार और बेरोजगार हुए लोगों को मुआवजा अथवा कोई अन्य सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नदी पर लाइसेंस शुदा मछेरे और नदी से लकड़ी इकट्ठा करने का काम करने वाले लोगों को, जो बेरोजगार हो गये हैं, कोई मुआवजा या सहायता नहीं दी जा रही है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पनचक्कियों के मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है, पर मिलों के अन्य कर्मचारियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि और अन्य संपत्तियों के लिए उचित मुआवजे की अदायगी उनके मालिकों को की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विस्थापित परिवार को पुनर्वास अनुदानों और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य और पशु-धन को राजस्थान नहरी क्षेत्र में ले जाने के लिए परिवहन व्यय की अदायगी की जा रही है। राजस्थान नहर परियोजना में आबादी क्षेत्र के अन्तर्गत ही शिल्पियों, मजदूरों और भूमिहीन काश्तकारों को भी मकान के लिए जमीन दी जाएगी। विस्थापित व्यक्तियों को व्यास परियोजना में नौकरी देने के प्रयोजन से भी प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) लाइसेंसधारी मछुओं या उन व्यक्तियों द्वारा, जो नदी से लकड़ी इकट्ठी करते हैं और पूरी तरह सिर्फ ऐसे ही पेशे में रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं, कमाई में नुकसान के मुआवजे के जो भी दावे होते हैं, उन पर वर्तमान कानून के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) और (घ). आटे की पनचक्कियों के लिए उचित मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है और उनके मालिकों को उसकी अदायगी की जा रही है।

Laying of New Railway Lines in Rajasthan

6702. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the mileage of railway lines per thousand square miles in the country ;

(b) the mileage of railway lines per thousand square miles in Rajasthan ;

(c) whether Government propose to increase the mileage of railway lines in Rajasthan keeping in view its development and the mineral resources there ; and

(d) if so, the scheme formulated by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : The route kilometres of Railway lines per thousand square kilometres of area in the country as on 31st March, 1971 stood at 18.3 kilometres.

(b) Information about the length of Railway lines is not compiled State-wise, but only Railway Zone-wise.

Particulars of route kilometres open to traffic of 31st March, 1970, lines under construction etc., are given in Statement 8 of the Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways—Statistical Statements for the year 1969-70, copies of which are available in the Library of Parliament.

(c) and (d). Though no such specific scheme has been formulated, the construction of a new line from Dabla to Singhana, a length of about 32 kilometres, to serve the Khetri Copper Project is being taken up.

बाढ़ों से संरक्षण के लिए आसाम द्वारा मांगा गया ऋण

6703. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-71 की अवधि के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के हेतु आसाम सरकार ने कितने ऋण के लिए अनुरोध किया ;

(ख) अब तक कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में आसाम सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर कितना धन व्यय किया ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). चतुर्थ योजना के प्रारम्भ तक केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों को विशिष्ट ऋण सहायता देती थी। चतुर्थ योजना के आरम्भ से राज्यों को केंद्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है और वह किसी विशिष्ट परियोजना अथवा विकास शीर्ष के साथ जुड़ी हुई नहीं है। केंद्र द्वारा दी गई ब्लाक सहायता से और अपने संसाधनों से विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिये धनराशि का आवंटन करने में राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। बहरहाल, ब्रह्मपुत्र घाटी में तत्काल बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए असम राज्य सरकार ने 1970-71 के दौरान 3 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता के लिये अनुरोध किया था।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता की धनराशि और असम में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यय लाख रुपयों में	भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण सहायता की धनराशि (लाख रुपयों में)
1968-69	301	300
1969-70	543	कुछ नहीं
1970-71	720	300

गुजरात राज्य में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्य-क्रम के लिए बिजली

6704. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्य-क्रम आरम्भ करने हेतु गुजरात में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रबन्ध करने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पंच मण्डल और कच्छ जिलों में स्थित दो विद्यमान ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में विद्युत की स्थिति अधिक सन्तोषजनक नहीं है। चौथी योजना अवधि में एक परियोजना जूनागढ़ जिले में स्थापित की जानी है, वहां एक सहकारी ग्रामीण विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई है। इससे लघु एककों के प्रयोग के लिए पर्याप्त बिजली मिलने की आशा है। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि ग्रामीण परियोजना क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विद्युत शक्ति सहित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करें।

नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में नीति

6705. **महाराजा मार्तण्ड सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुये क्षेत्रों के उत्थान सम्बन्धी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में सरकार की कोई नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिनके लिये यह नीति अपनाई गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). नयी लाइनों का निर्माण-कार्य योजना आयोग की सिफारिश पर अथवा सहमति से शुरू किया जाता है। जो लाइनें सामरिक आवश्यकताओं और रेलों की परिचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए अपेक्षित होती हैं, उन्हें अग्रता दी जाती है। भारी उद्योगों के विकास, खनिज यातायात के परिवहन, बन्दरगाह के विकास आदि के लिए अपेक्षित लाइनों पर उनसे उपचित समग्र लाभ को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से विचार किया जाता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित जिन लाइनों से औद्योगिक विकास की अत्यधिक सम्भावना रहती है, कृषि अथवा अन्य स्रोतों की प्राप्ति होती है और सामान्य आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन पर सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए विनिश्चय करने से पहले इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाता है कि इन लाइनों से सम्बन्धित क्षेत्रों को कितना लाभ पहुंचने की सम्भावना है और साथ ही रेलों को कितना वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होने की सम्भावना है।

आसाम में सिंचाई सुविधायें

6706. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण शीत ऋतु में आसाम में खेती योग्य भूमि का एक बड़ा भू-भाग बंजर रहता है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम के किसानों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के लिए छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि रखी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). देश के अन्य भागों की तरह असम में बहुविध फसलें उगाने के लिए सिंचाई के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। चौथी योजना के दौरान चालू स्कीमों को पूर्ण करने तथा नई स्कीमों को शुरू करने के लिए लघु सिंचाई और वृहत् तथा मध्यम सिंचाई सैक्टरों के अन्तर्गत सुविधाओं के विस्तार के लिए क्रमशः 6 करोड़ और 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रेलवेज में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

6707. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग का यह मत है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने वास्तव में क्या टिप्पणी की थी ;

(ग) रेलवे के विभिन्न विभागों में कितने प्रतिशत कर्मचारी अधिक हैं ; और

(घ) इस बारे में आयोग की टिप्पणी पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग के रेलवे से सम्बन्धित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार टिप्पणी की है :—

"कुछ रेलों पर कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है जैसा कि पैरा 17.03 में बताया गया है।"

उपर्युक्त पैरा 17.03 नीचे दिया जा रहा है :—

"17.03—कुछ रेलों पर कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे बताया गया है :—

(i) प्रशासन	मध्य, पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलें
(ii) लेखा	पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलें।
(iii) इंजीनियरिंग (लिपिक वर्गीय कर्मचारी)	मध्य, पूर्वोत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलें
(iv) परिवहन	उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण रेलें।
(v) वाणिज्यिक	पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलें।
(vi) यांत्रिक	मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलें।
(vii) भंडार	मध्य और दक्षिण रेलें

(ग) उपर्युक्त रिपोर्ट में कर्मचारियों की अधिकता का प्रतिशत नहीं बताया गया है। रेलों के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की अधिकता यदि कोई हो, के प्रतिशत का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिए कार्य-विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

(घ) रेलों द्वारा कर्मचारियों की अधिकता का यदि कोई हो, निर्धारण करने के लिए अभी तक कार्य-विश्लेषण नहीं किया गया है। यह काम अत्यन्त विशाल है। रेलों पर अतिरिक्त कर्मचारियों को यदि कोई हों, कम करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इसके अलावा, रेलों के परिचालन के लिए किसी अतिरिक्त कर्मचारी की मंजूरी देने के मामले में कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है।

नाशवान वस्तुओं के पार्सलों पर निशान लगाने की पद्धति में परिवर्तन

6708. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों से बुक किए जाने वाले सामान पर रेलवे के निशान लगाये जाते हैं ; और

(ख) क्या निशान लगाने की पद्धति में परिवर्तन करने हेतु रेलवे बोर्ड ने हाल में अनुदेश जारी किये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) रेलों तथा माल भेजने वालों को परेषणों पर चिह्न डालना अपेक्षित होता है। माल भेजने वालों द्वारा निशान लगाने के नियम में संशोधन किया गया है लेकिन रेलों द्वारा निशान लगाने के नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दिल्ली जंक्शन पर प्राप्त हुए नाशवान पदार्थों के खेप

6709. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ववर्ती चिह्न प्रणाली के समय तथा हाल में ही उसमें परिवर्तन होने के बाद प्रत्येक रेलवे की सूची में चिह्नकों की कुल संख्या कितनी रही ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि नाशवान पदार्थों वाले 90 प्रतिशत पार्सलों पर या तो चिह्न लगाये ही नहीं जाते या फिर उन पर उनके विक्रेताओं अथवा उनके दलालों द्वारा चिह्न लगाये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी से जून, 1971 तक, दिल्ली जंक्शन पर कितनी मात्रा में (1) पूरे रेलवे चिह्नों से युक्त तथा (2) रेलवे चिह्न रहित, नाशवान पदार्थों के कितने खेप प्राप्त हुए ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे के मार्के लगाने के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस समय प्रत्येक रेलवे पर मार्का लगाने वालों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	**मार्का लगाने वालों की कुल संख्या**
मध्य	245
पूर्व	250
उत्तर	348
पूर्वोत्तर	57
पूर्वोत्तर सीमा	31
दक्षिण	129
दक्षिण मध्य	92
दक्षिण पूर्व	67
पश्चिम	290

(ख) पार्सलों के ऊपर माल भेजने वालों तथा रेलों द्वारा मार्के लगाने होते हैं। नाशवान पदार्थों के कुछ पैकेजों पर नियमों के अनुसार पूरे मार्के नहीं लगे होते। कुल मामलों में माल भेजने वाले या उन के प्रतिनिधि अपनी खुशी से रेलवे के मार्के लिखने में रेल कर्मचारियों की सहायता करते हैं। ऐसे मामलों की प्रतिशत संख्या निकालने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जनवरी, 1971 से जून, 1971 तक की अवधि में दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर नाशवान पदार्थों के 2,03,706 परेषण प्राप्त हुए थे। इन परेषणों में 9,88,698 पैकेज थे। इनमें से 9,86,338 पैकेजों पर रेलवे के मार्के लगे हुए थे और शेष 2,360 पैकेजों पर रेलवे के मार्के नहीं थे।

रेलवे में निर्माण निरीक्षण के कार्यभार के बारे में अध्ययन प्रतिवेदन

6710. **श्री राम स्वरूप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में निर्माण निरीक्षक के कार्यभार के बारे में दक्षता ब्यूरो के अध्ययन प्रतिवेदन की क्रियान्विति धन की कमी के कारण नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य श्रेणी के अध्ययन प्रतिवेदन की भी इसी कारण से क्रियान्विति नहीं की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विशिष्ट श्रेणी के साथ ही भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 'निर्माण कार्य निरीक्षकों के कार्यभार' के बारे में दक्षता ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन में की गई कुछ सिफारिशों को रेलों पर साधनों की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है।

(ख) दक्षता ब्यूरो द्वारा बाद में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनायें

6711. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के कड़पा, चित्तूर, अनन्तपुर और कुरनूल जिलों में मंजूर की गई परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उनको किस-किस तारीख को मंजूरी दी गई थी और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चित्तूर जिले के लिए स्कीम हाल ही में स्वीकृत हुई है ; कड़पा जिले के लिए स्वीकृत धन औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं निकाला गया था। इस स्कीम के सम्बन्ध में स्वीकृति को हाल ही में पुनर्वैधीकृत (रिवैलिडेटिड) किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम से इन दो स्कीमों के लिए प्रथम अग्रिम धन प्राप्त करने के लिए औपचारिकताएं शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएंगी और कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाएगा। शेष दो स्कीमों के बारे में, कार्य प्रगति पर है और कादरी और पथीकोंडा तालुकों में अब तक एक-एक ग्राम विद्युतीकृत हो चुका है।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	ग्रामों की संख्या	पम्पों की संख्या	स्कीम की लागत (लाख रुपये)	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत धन (लाख रुपये)	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति की तिथि
1.	अनन्तपुर जिला (कादरी तालुक)	45	1350	45.00	45.00	10-4-70
3.	कुरनूल जिला (पथिकोंडा तालुक)	43	1220	51.16	51.16	26-8-70
3.	कड़पा जिला (पुनिवेन्दला तालुक)	42	1302	39.78	39.78	5-1-71 (10-6-71 को पुनर्वैधीकृत)
4.	चित्तूर जिला (मदनापल्ले तालुक)	31	2082	79.82	79.82	22-5-71
	कुल	161	5954	215.76	215.76	

मतदाता सूचियों में शुद्धियां करने के लिए रखे गये दिल्ली के अध्यापकों को भुगतान

6712. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मतदान सूचियों में शुद्धियां करने के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को तीन दिन तक काम पर लगाया गया था ;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए उनकी सेवाओं की बाबत उनको भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अध्यापकों को एक सप्ताह के लिए काम पर लगाया गया था ।

(ख) और (ग). मानदेय का भुगतान कुछ अध्यापकों को किया गया था । किन्तु बाद में यह पता चला कि अध्यापकों ने कार्य बहुत असंतोषजनक ढंग से किया और कई क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगा कर निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कराना पड़ा । इस काम पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा जो बचाया जा सकता था । इन परिस्थितियों में बाकी अध्यापकों को मानदेय का भुगतान रोक दिया गया है ।

रेलवे के स्कूलों तथा कालिजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक

6713. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने इन्टरमीडियेट कालेज/हायर सेकंडरी स्कूल/हाई स्कूल/प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उक्त स्कूलों में काम कर रहे प्रिंसिपलों/हैड मास्टरों, स्नातकोत्तर अध्यापकों/प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक अध्यापकों तथा अध्यापकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उक्त वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). जिन स्थानों पर अपेक्षित शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रेल प्रशासनों द्वारा कुछ कालेज और स्कूल चलाये जा रहे हैं ।

एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 792/71**] शेष सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह भी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के स्कूलों/कालिजों के अध्यापकों तथा प्रिंसिपलों के वेतनमान

6714. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इन्टरमीडियेट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल/हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल चलाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रिंसिपलों, स्नातकोत्तर अध्यापकों, प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को क्या वेतनमान दिये जाते हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	कोटि	वेतनमान
1.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक बहूद्देशीय विद्यालयों/इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपल	700-40-980-द० रो०-40-1100 रुपये ।
2.	हाई स्कूलों के प्रिंसिपल/प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकायें	400-30-640-द० रो०-40-800 रुपये ।
3.	स्नातकोत्तर अध्यापक	300-25-450-द० रो०-25-600 रुपये ।

1	2	3
4.	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	220-10-280-15-400 द० रो०-20-500 रुपये ।
5.	प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक	(1) 125-5-160-8-200-द० रो० 10-290-द० रो०-15-320 रुपये । (प्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों के लिए) (ii) 135-5-160-8-200-द० रो० 10-290-द० रो०-15-320 रुपये । (प्रशिक्षित उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के लिए)

दक्षिण रेलवे के डिवीजनों के सन्तुलनपत्र

6715. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन के लिए 1970-71 के संतुलनपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : भारतीय रेलों का तुलन-पत्र अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों के अनुसार तैयार किया जाता है, प्रत्येक रेलवे के अलग-अलग मण्डलों के अनुसार नहीं । इसलिए दक्षिण रेलवे के प्रत्येक मण्डल के तुलन-पत्र की मुख्य-मुख्य बातों के उल्लेख करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गुन्टकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के गाड़ी परीक्षकों तथा न्यूटरल गाड़ी परीक्षकों के ऊंचे वेतनमान

6716. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1966 को 180-240 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे गाड़ी परीक्षकों को, 1 अप्रैल, 1966 से ही रु० 205-280 में पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गुन्टकल डिवीजन में कार्य कर रहे गाड़ी परीक्षकों तथा न्यूटरल ट्रेन एक्जामिनरों के मामले में इसे कब कार्यान्वित किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी क्रियान्विति में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रेड बढ़ाने से सम्बन्धित आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ग) वेतन किस प्रकार निर्धारित किया जाय, इसके सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से इस मामले पर लिखा-पढ़ी चल रही थी । 7-7-1971 को रेलों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गयीं ।

दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन, गुंटकल (दक्षिण रेलवे) की मांगों पर की गई कार्यवाही

6717. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन गुंटकल डिवीजन द्वारा भूख हड़ताल के नोटिस के बारे में 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5327 के उत्तर के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित शिकायतों पर कब विचार किया गया था ;

(ख) प्रत्येक मद पर क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में यूनियन को कब परामर्श दिया गया था ; और

(ग) यूनियन द्वारा भूख हड़ताल आरम्भ किये जाने के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 20-7-71 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न 5327 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित शिकायतें, दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन की गुन्तकल्ल शाखा ने 29.5.71 के अपने पत्र में उठायी थीं। इन शिकायतों पर तुरन्त विचार किया गया था और विभिन्न मदों पर की गयी कार्रवाई की सूचना यूनियन को 9-6-1971 को दे दी गयी थी। •

एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक मद पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 793/71]**

(ग) की गयी कार्रवाई से सन्तुष्ट न होकर, यूनियन ने 26.6.71 को भूख हड़ताल कर दी जो 27.6.71 को बिना शर्त वापस ले ली गयी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा से पुरी अथवा वाल्टेयर तक तेज चलने वाली रेल गाड़ी का चलाया जाना

6718. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा से पुरी अथवा वाल्टेयर तक एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, हावड़ा-वाल्तेरु खण्ड पर।

(ख) रफ्तार में पहली वृद्धि अप्रैल, 1972 से करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक गृहों में वृद्धि

6719. **श्री जी० के० दासचौधरी : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिड़ला, टाटा और कुछ अन्य औद्योगिक गृहों की कुछ बड़े औद्योगिक गृहों के निजी उद्योगों में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक उनकी पहले की तथा हाल की सम्पत्ति की तुलना में असाधारण वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) 1947 और 1970 में 14 बड़े उद्योगपतियों की अलग-अलग पूंजी कितनी थी ; और

(ग) उनकी पूंजी में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सरकार ने 1947-70 की समग्र अवधि में बड़े औद्योगिक गृहों के विकास के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, सरकार द्वारा स्थापित जांच आयोग ने समय-समय पर इस समस्या का अध्ययन किया है। एकाधिकार जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि 75 बड़े गृहों की 1964 में आस्तियां 75 करोड़ रुपये

से कम नहीं पाई गई थीं। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति, जिसकी स्थापना 1967 में विगत दस वर्षों की औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कार्यों की जांच करने के लिये की गई थी, अपनी रिपोर्ट के परिशिष्ट II ए (I) में इन गृहों की 1966 की नीतियों की स्थिति का उल्लेख किया है। इन दोनों रिपोर्टों की प्रतियां सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं। 14 बड़े औद्योगिक गृहों की वर्ष 1963-64 तक (एम० आई० सी०) रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसम्बर, 1966 तक (औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के अनुसार) तथा 1967-68 में (कम्पनी कार्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार) प्रत्येक गृहों की अलग-अलग आस्तियां बताने वाला एक विवरण भी संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	औद्योगिक गृह	एम० आई० सी० की रिपोर्ट के अनुसार 1963-64	आई० एल० पी० आई० सी० रिपोर्ट के अनुसार 31-12-1966 को	1967-68 में आस्तियां
1.	टाटा	417.72	505.36	584.63
2.	बिरला	292.72	457.84	575.60
3.	मार्टिन बर्न	149.61	153.06	174.29
4.	बैंगर	77.91	104.31	124.88
5.	ए० सी० सी०	77.36	89.80	105.84
6.	थापर	71.90	98.80	103.30
7.	साहु जैन	67.69	58.75	79.68
8.	बर्ड हैल गरर्स	60.10	68.62	78.62
9.	जे० के० सिंघानिया	59.20	66.84	78.75
10.	सूरजमल, नागरमल	57.37	95.62	107.34
11.	बालचन्द	55.17	81.11	86.24
12.	श्री राम	54.68	74.13	107.41
13.	सिन्धिया	46.96	55.98	65.44
14.	गोयंका	46.95	65.34	64.55

नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एण्ड वैन्डर्स द्वारा दिया गया ज्ञापन

6720. **डा० रानेन सेन :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के अन्तिम सप्ताह में नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एण्ड वैन्डर्स के एक प्रनिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी और एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माल डिब्बों के ने मिलने से पूर्वी जोन की ओर सीमेंट, सी० आई० चादरें तथा भवन निर्माण की अन्य सामग्री के वहन पर प्रभाव

6721. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण पूर्वी जोन, जिसमें आसाम, नागालैंड, मनीपुर, नेफा और त्रिपुरा शामिल है, को सीमेंट, सी० आई० चादरें तथा भवन निर्माण की अन्य सामग्री के मामूली वहन की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए और अधिक माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पूर्वी क्षेत्र के उल्लिखित राज्यों को सीमेंट और अन्य इमारती सामान पर्याप्त मात्रा में संचलन न किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं। बड़ी लाइन से असम, नागालैंड, मणीपुर, नेफा और त्रिपुरा का संचलन अधिकांशतः फरक्का के रास्ते होता है और इस वर्ष संचलन में जो बाधा आयी, वह माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि उन प्रतिबन्धों के कारण आयी जो हड़ताल, बंद और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों के कारण इस रास्ते संचलन करने पर लगा दिये गये थे और जिनकी वजह से देश के पूर्वी भाग में परिचालन-कार्य पर कुप्रभाव पड़ा था । नदी की अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से भी फरक्का में घाट उतराई के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि फरक्का बराज के निर्माण में प्रगति के साथ-साथ जल-मार्ग तंग कर दिया गया था और मानसून के दिनों में तटीय गर्डरों को प्रायः स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती थी ।

फरक्का के रास्ते और पूर्वोत्तर रेलवे में मीटर लाइन के रास्ते भी सीमेंट और अन्य इमारती सामान के संचलन पर इस कारण भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि अधिकांश संचलन-क्षमता का उपयोग स्थानीय जनता और शरणार्थियों के लिए इन राज्यों का अनाज, नमक, दालें, मिट्टी को तेल, कोयला, राहत सामग्री आदि अनिवार्य वस्तुएं भेजने के लिए करना पड़ा ।

उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद इस बात के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं कि अनिवार्य यातायात के लिए व्यवस्था करने के बाद उल्लिखित यातायात का अधिक से अधिक संचलन किया जाये ।

ताप्ती नदी पर नवथा सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति में हुई प्रगति

6722. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश की बरहानपुर तससील में अन्धारवारी और नवथा

गांवों के निकट ताप्ती नदी पर नवथा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित कर रही है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत बरहामपुर में जैनाबाद के निकट ताप्ती नदी पर बने पुल की ऊंचाई को छः फुट बढ़ाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपर ताप्ती परियोजना चरण दो के प्रस्तावों में नवाथा में एक जलसंचय और ताप्ती नदी पर नवाथा से प्रति प्रवाह दिशा में खैरागुटी घाट पर एक और जलसंचय का निर्माण परिकल्पित है। महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके इन प्रस्तावों के संबंध में अनुसंधान-कार्य कर रही है। इन प्रस्तावों के अनुसार अंधा खाड़ी में कोई जल-संचय बनाने का विचार नहीं है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र में अपर ताप्ती परियोजना, प्रथम चरण में, जिस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, कुछ भूमि को जलमग्न करना सम्मिलित है ; यह जलमग्न भूमि तटों के अन्तर्गत ही होगी और दो नदी पथों (काज वे) भी जलमग्न होंगे, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जैनाबाद में है। महाराष्ट्र सरकार नदी के आर-पार संचार व्यवस्था को पूर्ववत् बनाये रखने के उद्देश्य से नदी पथों को ऊपर उठाने/उनके निर्माण संबंधी इन कार्यों की लागत वहन करने को सहमत हो गई है। नदी पथों (काज वे) को ऊपर उठाने/उनका निर्माण करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार आवश्यक ब्योरे प्राप्त कर रही है और आशा है कि पांचवीं योजना में परियोजना के समाप्त होने से बहुत पहले ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

आसाम सा मिल और टिम्बर कम्पनी लिमिटेड, नामसाई (नेफा)

6723. **श्री सी० सी० गोहाइन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में लोहित जिले में नामसाई स्थान पर स्थित "आसाम सा मिल एण्ड टिम्बर कम्पनी लिमिटेड" में स्थानीय जन-जातियों तथा गैर-जनजातियों के अलग अलग कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना इकटठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता में विमको दियासलाई के कारखाने को पोटाशियम-क्लोरेट की सप्लाई

6724. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में स्थित 'विमको' मैच फैक्टरी को गत दो वर्षों में उसकी सामान आवश्यकताओं की तुलना में पोटाशियम क्लोरेट की दुगुनी मात्रा मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं, सरकार ने किसी भी कम्पनी को पोटेशियम क्लोरेट का आवंटन नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को रियायतों का दिया जाना

6726. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री पिछड़े राज्यों के विकास के लिए योजनाओं के बारे में 7 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में 50 लाख रुपये से कम पूंजी वाले उद्योगों को विशेष रियायतें देने की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो इस नीति के परिणामस्वरूप जिन उद्योगों को लाभ हुआ है और प्रोत्साहन मिला है, उनकी संख्या और नाम क्या हैं ; और

(ख) उपर्युक्त नीति से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों और विशेषकर बलिया जिले में स्थित उद्योगों के नाम क्या हैं और उन्हें क्या लाभ तथा प्रोत्साहन दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). योजना आयोग ने राज्य सरकारों और संबंधित मन्त्रालयों के साथ विचार विमर्श करके एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार कुछ पिछड़े ऐसे जिलों/क्षेत्रों (विवरण-क) को चुना गया है । स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक नये कारखाने को, जिसमें अचल पूंजी विनियोजन 50 लाख रुपये से अधिक का न हो, उसको पूंजी निवेश के दसवें भाग के बराबर केन्द्रीय अनुदान आर्थिक सहायता दी जायेगी । औपचारिक रूप से योजना की अभी की घोषणा की जानी है और कार्य प्रारम्भ होने वाला है । उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया और झांसी जिले इस अनुदान/आर्थिक सहायता को प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा कुछ जिलों को चुना गया है (विवरण-ख) जहां प्रारम्भ किये जाने वाले उद्योगों को वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जायेगी । बलिया और झांसी इस सूची में भी सम्मिलित हैं । संस्थानों और केन्द्रीय अनुदान/आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायतों एवं सुविधाओं से इन जिलों/क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता आयेगी तथा आशा की जाती है कि उद्यमी इन विभिन्न रियायतों से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करेंगे ।

विवरण-क

नए औद्योगिक एककों को अचल पूंजी निवेश के दसवें भाग के बराबर केन्द्रीय सहायता देने के लिए चुने हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की सूची :

क्रम संख्या	राज्य	जिले/क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	+
2.	असम	गोलमारा तथा मिकिर हिल्स
3.	गुजरात	पंच महल
4.	बिहार	दरभंगा तथा भागलपुर

1	2	3
5.	हरियाणा	मोहिन्द्र गढ़
6.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
7.	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर तथा जम्मू
8.	केरल	एलेप्पी
9.	मध्य प्रदेश	(1) समीपवर्ती 12 ब्लाकों का एक यूनिट क्षेत्र 6 विलासपुर जिले में तथा 6 रायपुर जिले में, (2) समीपवर्ती दस ब्लाकों का एक यूनिटक्षेत्र देवास (2 ब्लाक) शाजापुर (3 ब्लाक) राजगढ़ (2 ब्लाक) गुना (3 ब्लाक) जिलों में।
10.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी
11.	मैसूर	रायचूर
12.	मेघालय	संयुक्त खासी तथा जैन्तिया पहाड़ी तथा गोरों पहाड़ियों के दोनों जिले
13.	नागालैंड	कोहिमा तथा मोकोकहुंग
14.	उड़ीसा	कालाहण्डी तथा मयूरभंज
15.	पंजाब	होशियारपुर
16.	राजस्थान	अलवर ++
17.	तमिलनाडु	जिलों का दस मालिकों का क्षेत्र एक एकक
18.	उत्तर प्रदेश	बलिया तथा झांसी
19.	पश्चिमी बंगाल	पुर्लिया

+दूसरे जिले के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

संघ प्रशासित प्रदेश

(1) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
(2) गोआ दमण दीव ×
(3) दादरा और नगर हवेली
(4) लक्का द्वीप, मिनीकाय तथा अमीनदीव
(5) उ० पू० सी०
(6) पांडिचेरी
(7) त्रिपुरा
(8) मणिपुर

×केपिटल के नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त जिला

विवरण-ख

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए चुने हुए **औद्योगिक** जिलों से पिछड़े जिलों की सूची ।

क्र० सं०	राज्य	जिले
1.	आन्ध्र प्रदेश	नालगोण्डा, मोदक, महबूबनगर, करीमनगर, वारान्गल खमाम, चित्तूर, अनन्तपुर, करुनूल तथा निजामाबाद ।
2.	असम	गोलपारा, कचार, नावगांव, कामरूप, मिकिर हिल्स तथा मिजो पहाड़ियां जिले ।
3.	बिहार	सन्थल परगना, भागलपुर, पालामऊ, चम्पारन, सारन, दरभंगा, पुरनिया, मुजफ्फरपुर और सहरसा
4.	गुजरात	पंचमहाल, कच्छ, अमरेली, करोच, साबरकान्ता, बन्सकान्था, भावनगर, महसाना तथा सुरेन्द्रनगर ।
5.	हरियाणा	मोहिन्द्रगढ़, हिसार तथा जिन्द ।
6.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू तथा लाहुल तथा सिप्ती ।
7.	जम्मू तथा काश्मीर	श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामुल्ला, जम्मु, कथुआ, ऊधमपुर, डोडा, लद्दाख, पूंछ और राजौरी ।
8.	केरल	एलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कनान्नोर, त्रिचूर और मालापुरम ।
9.	मध्य प्रदेश	बस्तर, मान्डला, सुरगूजा, सियोथी, झलुआ, बालघाट, बिलासपुर, सिन्घी, बेतुल, रायगढ़, रायपुर, धार, टीकमगढ़, राजगढ़, खारगांव, शाजापुर, शिवपुरी, छिन्दवारा, रीवा, पन्ना, देवास, मन्दसोर, छतरपुर, गुना, दतिया, मुरीना, विदिशा, नरसिम्बापुर, रायसन, होशंगाबाद, दमोह, भिण्ड तथा सागर ।
10.	महाराष्ट्र	बिर, ओसमानाबाद, भण्डारा, रत्नगिरी, औरंगाबाद, ज्योतमल, चन्दा, धुलिया, बुलढाणा, नन्देद, पारबन्दी, जलगांव तथा कोलाबा ।

11.	मेघालय	संयुक्त खासी तथा जैन्तिया पहाड़ी तथा गारो पहाड़ियों के दोनों जिले ।
12.	मैसूर	बेलगांव, दिदार, बीजापुर, धारवार, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तर कनारा, रायचूर, दक्षिण कन्नारा तथा तुमकुर ।
13.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग तथा त्यूनसंग ।
14.	उड़ीसा	बोलनगिर, म्यूरभंज, धनकनाल, कालाबन्दी, बालासोरा, क्योंझर, कोरापुट, तथा फुलभानी ।
15.	पंजाब	होशियारपुर, भटिण्डा, गुरदासपुर और संगरूर ।
16.	राजस्थान	जलोर, बन्सवाड़ा, डूनगरपुर, नागोर, चूरू, अलवर, टोन्क, उदयपुर, जोधपुर, झुन्झुनु, सीकर, . सिरोही, भिलवाड़ा, जालवाड़, जैसलमेर तथा परमार ।
17.	तमिलनाडू	दक्षिण आर्कट, थिरुचिरापल्ली, मदुराई, रामानाथपुरम, कन्याकुमारी, उत्तर आर्कट, थन्जवूर, तथा धर्मपुरी ।
18.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बलिया, बदायूं, चमोली, फतहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, पीलीभीत, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, पिथौरागढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहड़ी गढ़वाल, उन्नाव, उत्तर काशी, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्द शहर एटा, इटावा, फैजाबाद, गोंडा, मथुरा, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और देवरिया ।
19.	पश्चिमी बंगाल	पुरूलिया, बन्कूरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, माल्डा, कूचबिहार, प० दीनाजपुर तथा मुर्शिदाबाद ।

केन्द्र शासित प्रदेश

1.	अण्डमान तथा निकोबार दीप	पूरा क्षेत्र
2.	चण्डीगढ़	कुछ नहीं
3.	दादर तथा नागर हवेली	पूरा क्षेत्र

4.	दिल्ली	कुछ नहीं
5.	गोआ, दमन तथा दीव	पूरा क्षेत्र
6.	लक्कादीव अमीनदीव तथा मिनीकाय महाद्वीप	बसे हुए द्वीप
7.	मनीपुर	पूरा क्षेत्र
8.	नेफा	वही
9.	पांडिचेरी	वही
10.	त्रिपुरा	वही

रायपुर जिले में महानदी पर बांध का निर्माण

6727. **श्री शशि भूषण :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रायपुर जिले में धामतारी के स्थान पर महानदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिये और साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के वास्ते जल की सप्लाई को बढ़ाने के लिये महानदी परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

(ख) परियोजना के चरण एक पर लगभग 15 करोड़ रुपये और चरण दो पर लगभग 10 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(ग) परियोजना इसके आरम्भ होने से छः वर्ष में पूर्ण होनी आयोजित है ।

मैसर्स घरेजी टैक्सटाइल आरगनाइजेशन द्वारा भेजी गई राशि

6728. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स घरेजी टैक्सटाइल आरगेनाइजेशन, ज्यरिच तथा मैसर्स नौरसीज वाडिया एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच तकनीकी परामर्श सम्बन्धी करार को, जिसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि विदेश भेजी जाएगी, 30 जून, 1970 के आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किन आधारों और किन शर्तों पर दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लुमडुंग डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

6729. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुमडुंग डिवीजन, आसाम के बहुत से रेलवे कर्मचारियों को, जो रेलवे अधिकारियों को अभ्यावेदन देने गये थे, गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरुद्ध जून महीने में मामले दर्ज कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अमान्यता प्राप्त समन्वय समिति के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों के एक दल ने लुमडिंग के मण्डल अधीक्षक के कार्यालय के सामने, अपनी कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया। वे लोग मण्डल अधीक्षक के कार्यालय में जबरदस्ती घुस गये और उन्होंने मण्डल अधीक्षक के साथ हाथापाई की। स्थानीय पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,448 और 353 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और छः कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया है।

पश्चिम रेलवे के गंगापुर स्टेशन पर रेलवे सेवा का बन्द रहना

6730. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के गंगापुर रेलवे स्टेशन पर 4 जुलाई, 1971 को प्रातःकाल लगभग आठ घंटे तक रेलगाड़ियों का चलना बन्द रहा था ;

(ख) क्या ऐसा रेलवे के गैंगमैनों के पटरियों पर बैठने के कारण हुआ था, क्योंकि वह सरकारी रेलवे पुलिस के सब-इन्सपेक्टर द्वारा रेलवे के गैंगमैनों पर किये गये आक्रमण के बारे में विरोध प्रकट कर रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि गंगापुर के सरकारी रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक ने पिलौदा स्टेशन के एक गैंगमैन के साथ हाथा पाई की और उसे मारा जिसके कारण गैंगमैन, अन्य विभागों के कर्मचारी और बाहरी व्यक्ति पटरी पर बैठकर विरोध प्रकट कर रहे थे ;

(ग) गंगापुर सिटी के सरकारी रेलव पुलिस के स्टेशन अधिकारी सहित अन्य सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों को गंगापुर सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जांच की जा रही है।

Theft charge against Employees of Mau Station of North Eastern Railway

6731. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some employees of Mau Junction Station on the North Eastern Railway have been apprehended several times by the Police and the C. I. D. on charges of theft and corruption ; and

(b) if so, the action taken by the Railway Administration against such employees ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes, in 1967 two railway employees of Mau Junction were apprehended by Civil Police, Salempur in a case of theft.

(b) The two railway employees concerned (a Guard and a pointsman) were prosecuted but they were acquitted by Court. The Guard who was prosecuted in this case has been transferred.

Open letter 'Rail Ki Halchal' by Employees of Varanasi Division (North Eastern Railway)

6732. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the employees of Varanasi Division of North Eastern Railway published and handed over an open letter entitled 'Rail ki Halchal' to Shri Nanda, the former Railway Minister when he visited Varanasi last year and the said letter contained references to injustice and corruption; and

(b) if so, the action taken on the basis of that letter ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) To the best knowledge of the Ministry of Railways no such open letter as referred to in the Question is traceable.

(b) Does not arise.

Complaints against Chief Vigilance Officers of North Eastern Railway

6733. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any complaints of corruption have been received against the present Chief Vigilance Officer of North Eastern Railway ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister for Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्यों के पद को समाप्त करना

6734. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री के० मलन्ना :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्यों के पद को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने गत जनवरी में एक यह सिफारिश भी की थी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड में अपर सदस्यों के पदों को खत्म करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश अभी विचाराधीन है ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण

6735. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का चेयरमैन

6736. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो चेयर मैन का नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में सहकारी आवास समिति

6737. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न रेलवे में कितनी सहकारी आवास समितियां कार्य कर रही हैं ;

(ख) फालतू भूमि को इन समितियों को रियायती दरों पर देने के बारे में सामान्य नीति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 39

(ख) रेल कर्मचारियों को सहकारी आवास समितियों सहित किसी को भी फालतू रेलवे भूमि नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके अन्तरण के दिन उसके बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान न कर दिया जाये ।

पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी आवास समिति, कानपुर के लिये अतिरिक्त भूमि

6738. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालटोली (कानपुर) स्थित अतिरिक्त भूमि को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी आवास समिति, कानपुर को स्थानान्तरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने इस मांग के औचित्य को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). इस बात पर सहमति हो गयी है कि कानपुर में भूतपूर्व ग्वालटोली साइडिंग की रेलवे की फालतू जमीन का एक हिस्सा, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी आवास समिति, कानपुर को वर्तमान बाजार मूल्य का भुगतान करने पर और समिति से शर्तें तय होने के बाद दे दिया जाय। शर्तों के अनुसार क्रय मूल्य को अन्तिम रूप दे दिये जाने तथा मूल्यांकन की रकम का भी रेलवे को भुगतान हो जाने के बाद वह जमीन समिति को सौंप दी जायेगी।

Introduction of a Train Between Jodhpur and Marwar Junction of Northern Railway

6739. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a new train between Jodhpur and Marwar Junction on the Northern Railway ; and

(b) if so, when the new train will start operation ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

मैसूर में नए उद्योग

6740. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में वर्ष 1971-72 में किन-किन स्थानों पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक उद्योग में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तुत 1971-72 की वार्षिक राज्य योजना के प्रस्तावों में, राज्य के सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों को स्थापित करने की कोई बात नहीं है। किन्तु 1971-72 के लिए मैसूर राज्य विनियोजन और औद्योगिक विकास निगम के योग से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 176.00 लाख रुपयों का कुल प्रावधान किया गया था। मैसूर राज्य विनियोजन और औद्योगिक विकास निगम से सहायता प्राप्ति के लिए विचाराधीन परियोजनायें ये हैं : फैरोसिलिकन, उष्मसह वस्तुएं, कास्टिक

सोडा, नमक, कच्चा लोहा, ट्रैक्टर, टेलीविजन प्रापक, मिडगेट इलैक्ट्रोड, रेजर ब्लैड, खाद्य उद्योग, गियर, हब्स, कम कीमत वाली कारें और स्कूटर। इन उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

बंगलौर में औजार बनाने की कारखाने की स्थापना के लिए भारत और डेनमार्क में करार

6741. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए औजार, डाइयां और सांचे बनाने के लिए बंगलौर में औजार बनाने के एक कारखाने की स्थापना के लिए भारत और डेनमार्क ने किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस औजार कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). टूल मेकर्स के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तथा बंगलौर, औद्योगिक बस्ती में एक सर्विस केन्द्र स्थापित करने के बारे में भारत और डेनमार्क के बीच 8 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर किए गये। डेन्मार्क सरकार दोनों केन्द्रों के लिए उपकरण तथा डेन्मार्क के 5 विशेषज्ञों की सेवायें प्रदान करेगी, वे डेन्मार्क में 1 भारतीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की भी सुविधायें देंगे। भारत सरकार परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि, भवन तथा निर्माण खर्च के साथ-साथ भारतीय कर्मचारियों का वेतन देगी। करार पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

टूल रूप चालू करने की योजना से छोटे तथा मध्यम आकार के टूल तथा मोल्ड बनाने में लगभग 40 टूल मेकर्स को रोजगार मिलेगा।

टेलीप्रिन्टरों को कम्प्यूटरों से सम्बद्ध करने वाली सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था

6742. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा टेलीप्रिंटरों को कम्प्यूटरों से सम्बद्ध करने वाली सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कुछ डाटा फीडिंग टेली-प्रिंटर सर्किटों को माइक्रोवेव सम्पर्क पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है।

(ख) यदि प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया, तो इसे 1973-74 तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

सैंच्यूरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा लुग्दी और कागज परियोजना आरम्भ करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

6743. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंच्यूरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा लुग्दी और कागज परियोजना आरम्भ करने के लाइसेंस के आवेदन पत्र को एकाधिकार आयोग को राय जानने के लिए भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या राय दी ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सैंन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यू० कं० लि० ने उत्तर प्रदेश में लुग्दी और कागज बनाने की एक नई एकक की स्थापना द्वारा पर्याप्त विस्तार के लिए, एक आवेदन पत्र, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अधीन आगे की जांच और रिपोर्ट के लिए, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजा था ।

(ख) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने विरोधी टिप्पण के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) सरकार को अभी इस मामले में अन्तिम निर्णय लेना है ।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनायें

6744. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) एक फसल वाले क्षेत्रों को दो अथवा तीन फसल वाले क्षेत्रों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जाने वाली बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन परियोजनाओं से विभिन्न जिलों में कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि को लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कार्य प्रगति कर रहे हैं :—

1. कंसवती परियोजना
2. मयूराक्षी और दामोदर घाटी निगम में विस्तार और सुधार कार्य
3. सहराजोरे, कुमारी, बंधु, साली और हिंगलो जैसी मध्यम सिंचाई स्कीमें
4. 35 लघु सिंचाई स्कीमें

कंसवती, दामोदर घाटी निगम और मयूराक्षी, खरीफ, रबी और कुछ बोरो सिंचाई के लिए है । अन्य मुख्यतः खरीफ सिंचाई के लिए ही हैं ।

उपर्युक्त परियोजनाओं से, उनके पूर्ण होने पर, सभी पहलुओं से, जिलेवार सिंचाई निम्न-प्रकार से होगी :—

मिदनापुर	581839 एकड़
बांकुड़ा	515577 एकड़
हुगली	315000 एकड़
बर्दवान	626000 एकड़
हावड़ा	12000 एकड़
मुर्शिदाबाद	138000 एकड़
बीरभूमि	454600 एकड़
पुरुलिया	37560 एकड़
मालदा	320 एकड़
पश्चिम दीनाजपुर	3000 एकड़
दार्जिलिंग	6500 एकड़
जलपाईगुड़ी	33880 एकड़
कूच बिहार	330 एकड़

पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद मेल में दिल्ली से जामनगर तक डिब्बा जोड़ा जाना

6745. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद मेल में दिल्ली से जामनगर तक केवल एक ही डिब्बा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी सहित लगाया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस गाड़ी में यात्रियों, विशेषकर जामनगर में लगाये गये रक्षा कर्मचारी वर्ग की सुविधा के लिए 2—टायर अथवा 3—टायर शयनयान लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, दिल्ली और जामनगर के बीच अहमदाबाद डाक और मेल लेने वाली गाड़ियों में पहले और तीसरे दर्जे का मिला जुला केवल एक सवारी डिब्बा लगाया जाता है।

(ख) जी नहीं, अहमदाबाद डाक और कीर्ति एक्सप्रेस गाड़ियों में एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए संयुक्त अरब गणराज्य के शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा

6746. **श्री एस०एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एच० ए० फातह के नेतृत्व में संयुक्त अरब गणराज्य के शिष्टमण्डल ने देश में औद्योगिक विकास का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल ने किन-किन औद्योगिक एककों का दौरा किया ; और

(ग) क्या कोई करार किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य से श्री एच० ए० फातह के नेतृत्व में कोई भी प्रतिनिधि मण्डल देश की औद्योगिक प्रगति का अध्ययन करने के लिये सरकारी तौर पर नहीं आया था। किन्तु संयुक्त अरब गणराज्य का एक दल गैर सरकारी परामर्श दात्री कम्पनी मे० डेवलपमेंट कन्सलटैन्ट्स प्राइवेट लि० कलकत्ता के निमंत्रण पर श्री फातह के नेतृत्व में भारत आया था।

(ख) परामर्शदात्री कम्पनी ने बताया है कि दल ने निम्नलिखित औद्योगिक एककों का निरीक्षण किया :—

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची।

माइनिंग एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग,

दुर्गापुर, ए० वी० वी० दुर्गापुर,

मेक्नाली वर्ड, कुमार दुवी

ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता,

बालचन्द नगर इंडस्ट्रीज, बालचन्द नगर,

(ग) परामर्शदात्री कम्पनी ने बताया है कि संयुक्त अरब गणराज्य प्रतिनिधि मण्डल और मे० डेवलपमेंट कन्सलटेन्सी क० प्राइवेट लि० के बीच संयुक्त अरब गणराज्य में कैपिटल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज स्थापित करने के लिये तकनीकी सलाहकार सेवा सम्बन्धी एक समझौता किया गया था।

भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

6747. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में अक्तूबर, 1968 से बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1968 में रेलवे में छः पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे जो कई वर्षों से काम कर रहे थे । तब से इस संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वास्तव में उनमें से एक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है ।

पश्चिम बंगाल में पिछड़े जिलों में उद्योगों का विकास

6748. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में पिछड़ापन दूर करने के लिए जिनके लिए भारत सरकार ने पहले ही विशेष सहायता की घोषणा कर रखी है कोई और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का है जिसे केवल उन पिछड़े जिलों के लिए ही प्रयुक्त किया जायेगा अन्य किसी क्षेत्र के लिए नहीं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उद्योगों के आवेदकों को यह कहने का है कि वे पिछड़े जिलों में उद्योग आरम्भ करें ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन पिछड़े जिलों में उद्योगपति कोई उद्योग चाहे वह कैसा भी हो कैसे आरम्भ करेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में नये एककों की स्थापना अथवा वर्तमान एककों में विस्तार के लिये प्राप्त आवेदनों को प्रस्तावों की आर्थिक उपादेयता और तकनीकी सम्भाव्यता के अनुसार प्राथमिकता देने की सरकार की नीति रही है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों पर विचार ही नहीं किया जायेगा । जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सम्बन्ध है पूलिया, बांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, माल्या, कूचबिहार, पश्चिम दीनापुर और मुर्शिदाबाद जिलों को वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चुना गया है । पूलिया जिले को वहां शुरू किए जाने वाले उद्योगों पर होने वाले कुल पूंजी विनियोजन पर प्राप्य 10 प्र० श० की सहायता / अनुदान के लिए भी चुना गया है । सरकार को यह आशा है कि उक्त रियायतों से राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों को आकृष्ट किया जा सकेगा ।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में सियालदह और न्यूबोंगाईगांव के बीच वातानुकूलित गाड़ी का चलाया जाना

6749. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए शीघ्र ही फरक्का पुल के खोले जाने को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के सियालदह न्यूबोंगाईगांव बड़ी रेलवे लाइन पर सप्ताह में कम से कम तीन बार वातानुकूलित "वेस्टीब्यूल चेयर कार" जैसी गाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ी कब चलाई जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण

6750. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के 54 गांवों का विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों में और कार्य कितना जल्दी पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस प्रकार का कोई काम आरम्भ किया गया है और यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड ने चौथी योजना के दौरान कूच बिहार जिले के 97 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया है। इन ग्रामों के नामों की अन्तिम सूची बनाई जा रही है। अभी तक 10 ग्रामों के लिए कार्य आदेश जारी करने के लिए एक विशिष्ट स्कीम बनाई गई है। इन ग्रामों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. गरियाहटी
2. चोटो गरियाहटी
3. हरिणचोरा
4. भानू कुमारी
5. चटाकुटी
6. वनेश्वर
7. चोलाखाना
8. खड़ीमाला खगरावाड़ी
9. चकचका
10. चूगोमारी

उपर्युक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके मार्च, 1972 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में वाक्ष्प विद्युत और पनबिजली पैदा करने वाले एककों की क्षमता

6751. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 50 एम० डब्ल्यू० और इससे ऊपर के कितने और कितनी क्षमता के वाक्ष्प विद्युत और पनबिजली पैदा करने वाले एककों का निर्माण किया जाता है और सप्लाई की जाती है ; और

(ख) उपरोक्त सैटों में से कितने और कौन से सेट वास्तविक वाणिज्यिक योग में आ रहे हैं और कितने समय से ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 60 मैगावाट के वाष्प जनित्रक चार सेटों के निर्माण, संभरण और संस्थापन की देख-रेख का काम पूरा कर लिया है ।

(ख) निम्नलिखित तिथियों को चालू होने के उपरान्त से इन्नौर में दो और हरदुआगंज में एक सेट वाणिज्यिक कार्य कर रहे हैं जैसा कि मशीनरी लगाने के पश्चात् ग्रिड में अपेक्षित है :—

इन्नौर–I	31-3-1970
इन्नौर–II	21-2-1971
हरदुआगंज	24-4-1971

दिल्ली में 60 मैगावाट का सेट 21-7-1971 को चालू कर दिया गया है लेकिन इसने अभी वाणिज्यिक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ।

इम्फाल स्थित आदिम जाति तकनीकी संस्थान को नियंत्रण में लिया जाना

6752. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल स्थित आदिमजाति तकनीकी संस्थान को मनीपुर सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष से चलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है ;

(ग) क्या इस संस्थान के लिए नए स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस स्थान पर और नए भवन कब तक बनाए जाएंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मणिपुर सरकार ने अतिरिक्त उपकरण पहले ही खरीद लिया है और पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां । संस्थान को चलाने के लिए चालू वर्ष के बजट में व्यवस्था की गई है ।

(ग) और (घ). जी हां, संस्थान के लिए तकयेल में 20 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है और निर्माण कार्य चालू वर्ष में प्रारम्भ हो जाएगा नए भवनों के 1974-75 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है । तब तक यह संस्थान वर्तमान स्थान पर रहेगा ।

मनीपुर में लोकटक बहुउद्देश्यीय परियोजना के निकट सिंचाई सुविधायें

6753. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि मनीपुर में लोकटक बहुउद्देश्यीय परियोजना स्थल के निकट निमाऊ खोंग में अस्थाई सिंचाई व्यवस्था करके वहां की भूमि में

सामान्य कृषि कार्यों को जारी रखा जाये क्योंकि वहां पर नई नहर और नहर के दोनों ओर ऊंचे बांधों के कारण ऐसा किये जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि परियोजना नहर के बनने के कारण काफी समय से चल रही नालियां बन्द हो गई हैं और परियोजना स्थल के निकट के कृषकों को वर्षा ऋतों में भी जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र समाप्त हो रही वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). निन्थोनकोंग के निकट, कृषि भूमि को पानी देने के लिए दो अनियमित रूप से चल रहे नाले, जोकि विद्युत केन्द्र के लिए पहुंच सड़क के दोनों ओर बने थे। जल सरणियों (वाटर कोर्सिज) का काम दे रहे थे। पहाड़ों पर पड़ने वाला वर्षा का पानी इन नालों में प्रवाहित हुआ करता था और तब उसे बोए हुए खेतों में व्यपवर्तित कर दिया जाता था। इस पहुंच सड़क की मरम्मत कर दी गई है और नियमित रूप से चलने वाले 'साइड ड्रेन' बना दिए गए हैं ताकि निन्थोनकोंग के निकट विद्युत चैनल के साथ वाली भूमि में कृषि के लिए कोई बाधा न हो। विद्युत चैनल की खुदाई सड़क के दोनों ओर कर दी गई है और निन्थोनकोंग से परियोजना तक जाने वाली पहुंच सड़क को वैसे का वैसा ही रहने दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इसकी सारी लम्बाई में नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों के दल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि नाले साफ रहें और खेतों को पानी बिना किसी बाधा के सप्लाई किया जा सके।

परियोजना चैनल के बनने से बहुत पुराने चले आ रहे जलमार्ग बन्द नहीं हुए हैं और परियोजना स्थल के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले कृषकों को पानी की कमी के कारण कोई नुकसान नहीं हो रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परक्कुणम् रेलवे फाटक, पालघाट (केरल) में उपरिपुल

6754. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया कालेज, पालघाट (केरल) के निकट परक्कुणम रेलवे फाटक पर उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल्लेमकोड—त्रिचूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

6755. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लेमकोड—त्रिचूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया गया था और यदि हां, तो क्या उसे सरकार ने मंजूरी दे दी है ; और

(ख) लाइन का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 1946-49 में किये गये सर्वेक्षणों से मालूम हुआ कि यह लाइन अलाभप्रद होगी । अतः इस रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेफा में लघु उद्योगों का विकास

6756. **श्री सी० सी० गोहाइन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में बहुत से लघु उद्योगों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) वर्ष 1971–72 में उक्त कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नेफा प्रशासन के अनुरोध पर लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा वर्ष 1970 में नेफा में लघु उद्योगों के विकास के लिए सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में मुख्य यह थी कि स्थानीय जनता के कौशल में सुधार करने के लिए नेफा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जाये । नेफा प्रशासन ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और आशा की जाती है कि अगस्त 1971 में संस्था अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

(ख) वर्ष 1971-72 में नेफा में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 8.95 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ।

नेफा में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

6757. **श्री सी० सी० गोहाइन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेफा में लघु उद्योग का विकास करने के लिये कुछ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तुमकुर जिले में सिंचाई के लिये भद्रा नहर से पानी लिया जाना

6758. **श्री के० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तुमकुर जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिये भद्रा नहर से पानी लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सूचना मिली है कि भद्रा नदी के पानी को तुमकुर जिले की सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने के लिए कुछ प्रस्तावों का मैसूर सरकार अन्वेषण/अध्ययन कर रही है । बहरहाल, केन्द्र को अभी तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

संसद् तथा राज्य-विधान मंडलों के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये शैक्षणिक अर्हताएं

6759. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने कहा था, जैसा कि 30 नवम्बर, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है, कि संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये यदि कोई शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई होती तो वह अधिक बुद्धिमता होती ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां । उक्त समाचार 1970 की अक्तूबर 1 के 'स्टेट्समैन' नई दिल्ली, में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) यह तो अपनी-अपनी राय की बात है । संसद् या राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिए, न तो भारत के संविधान में और न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ही किसी व्यक्ति के लिए कोई निम्नतम शैक्षणिक अर्हता अपेक्षित है ।

बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता

6760. **श्री सुबोध हंसदा : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई औद्योगिक सहकारी समितियों की सहायता करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस प्रकार की समितियां बन चुकी हैं और क्या उनमें से किसी ने सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). औद्योगिक सहकारी समितियों को शेयर में हिस्सा शेयर खरीदने के लिए सदस्यों को ऋण सोसायटियों को अचल पूंजी और कार्यकारी पूंजी ऋण और प्रबन्धकीय सहायता के रूप में सहायता देने की योजनायें हैं, ये योजनायें इन्जीनियरों की सहकारी समितियों पर भी लागू होती हैं । इस प्रकार की कुछ समितियां अस्तित्व में आ गई हैं और इनको राज्य सरकारों द्वारा सहायता भी दी गई है ।

बन्दल, बर्दवान डिवीजन पर रेलवे विद्युतीकरण में कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी

6761. **श्री रेणु पद दास** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बंदेल (बर्दवान डिवीजन) में रेलवे के विद्युतीकरण में 11 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे 260 नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य डिवीजन में रेलवे विद्युतीकरण के कार्य पर लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां । इन नैमित्तिक मजदूरों ने छंटनी के समय 5-10-1970 को 5 से 11 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी ।

(ख) महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता और पूर्व रेल प्रशासन से कहा गया है कि वे इन नैमित्तिक मजदूरों को, जहां तक सम्भव हो, समाहृत कर लें ।

असम मेल में भोजन यान का न होना

6762. **श्री हरि सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या असम मेल में भोजन यान नहीं लगाया जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : नयी दिल्ली और बरौनी के बीच बड़ी लाइन के भाग में असम मेल में भोजन यान की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यात्रियों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्गवर्ती स्टेशनों पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है । बरौनी और तिनसुकिया के बीच मीटर लाइन के भाग में भोजन यान की व्यवस्था रहती है ।

सीमेंट का उत्पादन

6764. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी हां, सरकार ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सीमेंट उत्पादन के नये एकक स्थापित करने के लिए उद्यमियों से 31 अगस्त, 1971 तक तात्कालिक आधार पर आवंटन पत्र मांगे हैं ।

मालेश्वर सागर परियोजना, केरल का केन्द्र द्वारा अनुमोदन

6765. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पालघाट जिले (केरल) में भवानी नदी पर मालेश्वर सागर परियोजना को अनुमोदित करने की आवश्यकता और शीघ्रता की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमोदन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को केरल सरकार से अभी तक मालेश्वर सागर परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

शोरानूर-नीलम्बूर रेलवे लाइन का रखरखाव

6766. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में शोरानूर-नीलम्बूर रेलवे लाइन पर कोई रखरखाव कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) इस लाइन पर अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मिरजापुर और हरपालपुर के बीच रेलवे लाइन

6767. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश में मिर्जापुर और हरपालपुर से सम्पर्क स्थापित करने वाली एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों (पूर्वोत्तर रेलवे) की मांगों के बारे में की गई कार्यवाही

6768. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री एक संसद् सदस्य द्वारा समस्तीपुर के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिये गये ज्ञापन के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2390 के उत्तर में संसद् कार्य मंत्री द्वारा आश्वासन की पूर्ति में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्तव्य तथा ज्ञापन में उल्लिखित कर्मचारियों को प्रत्येक विशिष्ट मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 794/71]**

बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्णय

6769. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन, मुकदमें तथा सेवा में अवरोध सम्बन्धी आदेशों के वापिस लिये जाने के बारे में 6 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी-गरहरा क्षेत्र में कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन, सेवा में अवरोध आदि और हड़ताल से पूर्व की स्थिति पुन: पैदा करने के सब मामले वापिस लेने के अभ्यावेदन पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ख) क्या कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, निलम्बन, मुकदमा और सेवा भाग के आदेशों को वापस लिये जाने के बारे में अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि इन मांगों को स्वीकार करने का औचित्य नहीं हैं ।

(ख) इस विषय पर फरक्का बराज परियोजना क्षेत्र और दंडकारण्य परियोजना क्षेत्र के रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के बारे में संयुक्त वार्ता तन्त्र के अन्तर्गत, विवाचक परिषद् के अधिनिर्णय के आधार पर विनिश्चय किया जाना था । अधिनिर्णय प्राप्त हो चुका है और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । इसके अनुसार केवल वही कर्मचारी इसके पात्र होंगे जो 1960 के वित्त मंत्रालय के ज्ञापन में विहित मानदण्ड को पूरा करते हों । तदनुसार बरौनी गड़हरा क्षेत्र में काम करने वाले जो पात्र रेल कर्मचारी इस मानदंड को पूरा करते हैं, उसका ब्यौरा मालूम किया जा रहा है ।

Criteria for Screening Employees of Railway Wagon Workshop, Raipur

6770. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the main criteria for screening the employees of the Railway Wagon Workshop, Raipur at the time of their promotion ; and

(b) the precautionary measures proposed to be adopted by Government to check misuse of the said practice ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The main criterion for promotion of artisan staff in Raipur Wagon Shop is seniority-cum-suitability, suitability being adjudged on the basis of results of the Trade Test conducted as per the prescribed Trade Test Syllabus.

(b) Does not arise as the results of the Trade Test are approved by the Chairman Trade Testing Panel.

Primary School for Railway Colony at Raipur

6771. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a separate colony of Railway employees at Raipur, which is situated at a far off place from the city ;

(b) whether there is no primary school in the said colony ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to open a school in the said colony ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The Wagon Repair Shop and Galvanising Plant Colonies are about three miles away from Raipur City.

(b) There are no schools in these two colonies.

(c) The question of opening Austerity Type Schools in these colonies is under consideration of the Railway Administration.

Transport Facilities between Railway Colony at Raipur and Raipur City

6772. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether Government propose to provide transport facilities between the Railway colony at Raipur and Raipur city for convenience of the Railway employees and their families ; and

(b) by which time such facilities are likely to be provided ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The State Transport authorities have not agreed to this proposal.

(b) Does not arise.

Registered Labour Union of Railway Workshop, Raipur Debarred from Collection of Membership Fee

6773. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Works Manager, Railway Wagon Shop, Raipur had debarred a registered but un-recognised Labour Union of the Railway Wagon Shop to collect membership fee from its members ;

(b) whether the said orders of the Works Manager violate the provisions of Article 19(1) (c) of the Constitution and also the Labour Union Rules ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Central Industrial Establishments in Uttar Pradesh

6774. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number and names of the Central Industrial establishments functioning in Uttar Pradesh at present ;

(b) the names of the Central Industrial establishments proposed to be set up during the financial year 1971-72 indicating the locations thereof ;

(c) the total cost involved therein and expenditure likely to be incurred by Government ; and

(d) the time by which construction work in this regard is likely to be undertaken and completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddhewar Prasad) : (a) In Uttar Pradesh 10 Central Industrial Establishments are functioning at present namely :

(1) Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar.
(2) Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur Unit.
(3) Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Rishikesh.
(4) Oil & Natural Gas Commission, Dehra Dun.
(5) Triveni Structurals Ltd., Naini.
(6) Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur.
(7) Tannery & Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur.
(8) Modern Bakeries (India) Ltd., Kanpur.
(9) Mussoorie Rock Phosphate
(10) Diesel Loco Factory, Varanasi.

(b) Provision has been made during 1971-72 for the following new projects to be set up at Naini in U. P. :

(1) Pumps & Compressors Project.
(2) Gas Cylinder Project.
(3) Long Distance Transmission Equipment Factory.
(4) Second Telephone Instruments Factory.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट कलैक्टरों तथा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों की संयुक्त वरिष्ठता

6775. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट कलेक्टरों तथा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों की वरिष्ठता का विलय नहीं किया गया है ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में रु० 335 से 425 तक तथा रु० 350 से 450 तक के वेतन मानों में ट्रैवलिंग टिकट इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान भरे नहीं जाते हैं और रु० 250 से 380 तक के वेतनमान वाले कनिष्ठ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों से कोई स्थानापन्न भत्ता दिए बिना ही ट्रैवलिंग टिकट इन्सपेक्टरों के रूप में काम लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के निवारण के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

'लिपका' पेय का तैयार किया जाना

6776. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'लिपका' पेय बिसलेरी इटली के विशेष फार्मूले से बनाया जाता है ;

(ख) क्या उक्त उत्पादन की बिक्री पर विसलेरी, इटली, को कोई रायल्टी का भुगतान किया जाना है ;

(ग) क्या लिपका में आयातित तत्व हैं, और यदि हां, तो उन आयातित तत्वों का मूल्य कितना है ; और

(घ) लिपका के स्थानीय उत्पादकों के नाम क्या हैं और उनके और विसलेरी, इटली, के बीच सहयोग या व्यापार करार की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि लिमका में कुछ आयातित तत्व हैं । इस आयातित तत्व की कीमत का ज्ञान नहीं है क्योंकि एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में नहीं है और उनको कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किये हैं ।

(घ) मैं० विसलेरी इण्डिया प्रा० लि० लिमका के स्थानीय निर्माता हैं । विसलेरी इण्डिया प्रा० लि० में मैं० विसलेरी इटली के 49% शेयर हैं ।

सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेल लाइन

6777. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों तथा संसद् सदस्यों सहित जनसाधारण ने समय समय पर सीतामढ़ी तथा मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक सीधी रेल लाइन बिछाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) धन की कमी के कारण तथा यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य के अभाव में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच एक सीधी रेलवे लाइन के प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में विचार के लिए अग्रता दिये जाने की संभावना नहीं है ।

पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे विद्युतीकरण नैमित्तिक-कर्मचारी संघर्ष समिति से अभ्यावेदन

6778. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की ए० सी० सी० एल० परियोजना के आई० ओ० डब्ल्यू० डनकुनी तथा बी० आर० आई० डनकुनी के लगभग 600 नैमित्तिक कर्मचारियों को, दूसरे विभागों में लगा लेने के सरकारी आश्वासन के विरुद्ध सेवा से छंटनी कर दी गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पूर्वी तथा दक्षिणी रेलवे विद्युतीकरण नैमित्तिक कर्मचारी संघर्ष समिति और पूर्वी रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) डानकुनी के निर्माणकार्य निरीक्षक के अधीन काम करने वाले 433 नैमित्तिक मजदूर और डानकुनी के पुल निरीक्षक के अधीन काम करने वाले 52 नैमित्तिक मजदूर जिस काम के लिए लगाये गये थे उसके समाप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिये गये। उन्हें इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि काम से हटाने के बाद उन्हें और कहीं काम में लगा दिया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि उक्त ज्ञापन गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन की ओर से मिला था, इसलिए उसका उत्तर भेजना आवश्यक नहीं समझा गया। फिर भी, नियमित पदों पर रखे जाने के लिए यथासमय अन्य व्यक्तियों के साथ इन नैमित्तिक मजदूरों को रखने पर विचार किया जायेगा।

गुजरात में लघु इंजीनियरी कारखानों में हड़ताल

6779. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात के 3,500 लघु इंजीनियरी कारखानों द्वारा 8 जुलाई, 1971 को की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। इस बारे में सरकार ने एक प्रेस सूचना देखी है। गुजरात राज्य की सरकार से ब्यौरा मांगा गया है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम और उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना

6780. **श्री वी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम और उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम में उपबन्धों को अभी लागू न किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल

6781. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष और सदस्यों का 5 वर्ष होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम में कार्यकारी पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी

6782. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारी नियुक्त हैं, जबकि इस संगठन को चलते हुए 22 वर्ष हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको इन पदों पर निरंतर बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में दामोदर घाटी क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत की गई है। सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और विद्युत विकास से सम्बन्धित अपने मुख्य कार्यों के क्रियान्वयन में निगम को बिहार और पश्चिम बंगाल की दो राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क रखकर कार्य करना होता है। दामोदर घाटी निगम के अपने इसी विशेष स्वरूप के कारण, जो इसके भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से अलग करता है, इसमें प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को स्थायी रूप से खपाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें इस पर लागू नहीं होती । अध्यक्ष, महाप्रबन्धक और वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त, जिनकी नियुक्ति दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार करती है, प्रतिनियुक्ति पर सिर्फ 16 अधिकारी हैं, जो आम तौर पर उन कार्यों को करते हैं जिनमें पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार के उपयुक्त विभागों का निकट सहयोग रहता है और जिनसे उन अपेक्षित विशेषज्ञों की व्यवस्था हो जाती है, जो कि अन्यथा निगम के अपने कैडर से उपलब्ध नहीं हो पाते ।

दामोदर घाटी निगम में वरिष्ठ कार्यकारी पदों के रिक्त स्थान

6783. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में कुछ वरिष्ठ कार्यकारी पद गत एक वर्ष से भी अधिक से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम में उप-महाप्रबन्धक का एक पद फरवरी, 1970 से खाली है । निगम का प्रस्ताव है कि इस पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर दो भागी राज्यों में से किसी एक के उपयुक्त अधिकारी की सेवाएं प्राप्त करके भरा जाय । इस पद के लिए चुने गए अधिकारी प्रशासनिक कारणों से अंतिम रूप से नियुक्त नहीं किये जा सके । बहरहाल, इस पद को अविलम्ब भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन

6784. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन में बिहार तथा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में विद्युत सप्लाई की स्थिति नहीं बताई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण में इन दो राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की विद्युत सप्लाई की स्थिति बताए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण प्रतिवेदन में, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघीय प्रदेशों की विद्युत स्थिति राज्यवार दी गई है। इन दो राज्यों के सम्बन्ध में, विद्युत सप्लाई की स्थिति उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल और दक्षिण बिहार–निम्नवर्ती बंगाल क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक दी गई है।

(ख) इन दो राज्यों के लिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दक्षिण बिहार निम्नवर्ती बंगाल क्षेत्रों को अन्तः सम्बन्धित ग्रिड प्रणाली से बिजली दी जाती है, जिससे अन्य संस्थाओं के साथ दामोदर घाटी निगम से बिजली मिलती है ; इसका अधिकार क्षेत्र दोनों राज्यों में पड़ता है और इसके उत्पादन केन्द्रों को क्षमताओं का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति देश के किसी और राज्य में नहीं है।

Survey for Industrial Development of backward districts of Madhya Pradesh

6785. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct a survey for the industrial development of the backward Districts of Madhya Pradesh keeping in view the raw materials available locally, the demand for various products in and outside the State and the feasibility of starting ancillary industries ; and

(b) if so, the time by which the survey would be conducted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b). The Industrial Development Bank of India has initiated in collaboration with other financial institutions viz. the Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation and the Reserve Bank, surveys of the industrial potential of the backward regions, keeping in view the infra-structure facilities available, supply of raw materials and market prospects. The industries which could be advantageously located in these areas are sought to be identified in these reports. The survey of Madhya Pradesh has been completed and the report is under preparation.

Payment by Madhya Pradesh Government for carrying out surveys for Railway Lines

6786. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are any such cases in Madhya Pradesh where the State Government have made payment of the required amount of their share for carrying out surveys for construction of Railway lines, but no survey has so far been carried out there ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to undertake survey work at an early date?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

पंखों के मूल्यों में वृद्धि

6787. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पंखों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में 18 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंखों के मुख्य निर्माणकर्त्ताओं की निर्माण लागत के बारे में जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच द्वारा विभिन्न प्रकार के पंखों के खुदरा मूल्यों में भारी वृद्धि को न्यायोचित ठहराया गया है ;

(ग) मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्माणकर्त्ताओं के अनुसार उनको कितना लाभ मिलना चाहिए ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). 1959 की अपेक्षा 1970 में विभिन्न प्रकार के पंखों के मूल्य में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई दी। अतः अप्रैल, 1971 में सरकार ने निम्नलिखित उत्पादनकारी एककों से उनके मूल्य मंगाकर जांच-पड़ताल की :—

1 ओरिएंट जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता एकक।

2 क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड बम्बई।

3 जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हैदराबाद एकक।

सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी ने विभिन्न प्रकार के पंखों में निम्नलिखित रूप से अतिरिक्त अर्जन किया :

	पंखा—सं०	**विक्रय मूल्य पर प्रतिशत** (उत्पादन शुल्क अतिरिक्त)
1 ओरिएंट जनरल इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता एकक	4 और 74	3 और 26
2 क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड	41 और 93	18 और 28
3 जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०, हैदराबाद एकक	38 और 62	13 और 26

सरकार ने निर्माताओं से कहा कि वे सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य तक अपने विक्रय मूल्यों को घटायें। पंखा निर्माताओं ने पंखों के खुदरा मूल्यों में 20 रु० से 25 रु० तक की कमी कर दी है। सरकार फिर भी निर्माताओं पर और आगे कमी करने के लिए जोर डाल रही है।

प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की योग्यताएं

6788. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्तमान प्रबंध निदेशक की तकनीकी योग्यताएं क्या हैं ; और

(ख) क्या उनकी योग्यताएं रेलवे के अतिरिक्त अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये अन्य योग्यताओं में से हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को इंस्टीटूशन आफ मैकेनीकल इंजीनियर्स लन्दन की स्नातकीय परीक्षा पास की है और ये मैकेनीकल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में प्रथम श्रेणी के स्थायी अधिकारी हैं ।

(ख) जी, हां ।

रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

6789. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बस्तर तथा कोरापुट में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये 1 अप्रैल, 1969 से परियोजना भत्ता मंजूर कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रांची / हाटिया, बोकारो तथा बरौनी (पूर्वोत्तर रेलवे) और नंगल (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन विवाचन परिषद् द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के अनुसार बस्तर और कोरापुट जिलों में काम कर रहे दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को 1960 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ज्ञापन में दिये गये आदेशों के आधार पर ही 1-4-1969 से परियोजना भत्ता स्वीकार्य है । इन आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जिनके कार्यालय दण्डकारण्य परियोजना के काम के लिए परियोजना के क्षेत्र में स्थित होंगे । जो कर्मचारी अधिनिर्णय में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करते हैं, उनके व्यौरे का पता लगाया जा रहा है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि किन कर्मचारियों के बारे में यह अधिसूचित किया जाये कि वे परियोजना भत्ता पाने के पात्र हैं ।

(ख) अन्य चालू परियोजना क्षेत्रों, अर्थात् बोकारो और बरौनी में रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के बारे में भी ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताये गये बस्तर और कोरापुट जिलों के सम्बन्ध में विवाचन परिषद् द्वारा दिये गये अधिनिर्णय में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर ही विचार किया जा रहा है । जिन क्षेत्रों में परियोजनाएं नहीं चल रही हैं, उनके मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

कालिंदी पन-बिजली परियोजना, मैसूर

6790. **श्री धर्मराव शर्णप्पा अफजल-पुरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर उद्योगों का विकास करने के लिए डंडेली क्षेत्र में कालिंदी पन-बिजली परियोजना से अपेक्षित सम्पूर्ण बिजली लेने में समर्थ हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल व्यय कितना होगा और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उद्योगों एवं अन्य भारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते मैसूर राज्य ग्रिड के लिए कालिंदी जल विद्युत् परि-योजना चरण-एक से लगभग 260 मैगावाट अतिरिक्त भार क्षमता की व्यवस्था होगी ।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण पर कुल होने वाला व्यय 37.94 करोड़ रुपये है। परियोजना का 1977-78 तक पूर्ण होना संभावित है ।

आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में मेनर परियोजना

6791. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में मेनर परियोजना को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं । पोचम्पाद परियोजना के संशोधित प्राक्कलन में पोचम्पाद परियोजना दक्षिण नहर को पार करने के लिए करीम नगर शहर के निकट मनेर नदी पर निम्न पहुचों (रीचिज) में एक बांध का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित पोचम्पाद परियोजना की केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में औद्योगिक उपक्रमों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

6792. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद ने हाल ही में एक विधेयक पारित कर दिल्ली प्रशासन को हड़ताल अथवा कुप्रबन्ध के कारण बन्द होने वाले औद्योगिक उपक्रमों को अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में लघु एकक

6793. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में लघु एककों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में लघु उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी है;

(ग) राज्य में लघु उद्योगों से कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है, और

(घ) उनके क्रमशः प्रभुसम्वाय फर्मों, सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड फर्मों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योग निदेशक, आंध्र प्रदेश के यहां पंजीयित लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 31.3.1971 को 20,660 थी ।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजकोट डिवीजन पश्चिम रेलवे के मीठापुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी पर विस्फोट

6794. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 जुलाई, 1971 को पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में मीठापुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी पर विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम-स्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुये ;

(ग) क्या विस्फोट के कारण जानने के लिये कोई जांच करायी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया):(क) और (ख). जी नहीं । लेकिन रिपोर्ट मिली है कि 5-7-1971 को मीठापुर स्टेशन पर सड़क नं० 2 के पास, एक कैरेज खलासी को जमीन में आधा दबा हुआ पीतल का एक गोल टुकड़ा दिखायी दिया । उत्सुकतावश उसने उस टुकड़े को उठा लिया और यह देखने के लिए कि वह किस धातु का है, उसने उस टुकड़े को उस लाइन पर खड़ी 585 अप माल गाड़ी के इंजन और माल डिब्बे के बीच पटरी पर रख दिया और हथौड़े से उसे पीटा । बड़े धमाके के साथ वह फट गया जिससे कैरेज खलासी और ह्वील टैपर को मामूली चोटें आयीं ।

(ख) और (ग). रेल प्रशासन द्वारा की गयी जांच के अनुसार, वह कैरेज खलासी अज्ञानतावश उस भरे हुए कारतूस पर हथौड़ा चलाने के लिए जिम्मेवार है । पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया ।

उड़ीसा में बिजली के पारेषण और वितरण के सम्बन्ध में योजना

6795. **श्री बक्शी नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कृषि और औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्य की योजना से बाहर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिजली के पारेषण और वितरण के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या उक्त योजना अनेक मामलों में लम्बी पारेषण लाइनों की आवश्यकता के लिए जरूरी है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना की जांच पड़ताल की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें और पारेषण एवं वितरण स्कीमें दोनों ही पर राज्य योजनाओं में व्यवस्थित परिव्ययों में से धन लगाया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए योगात्मक धन की व्यवस्था करने के हेतु केन्द्रीय सेक्टर में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है । उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से उच्च वोल्टता वाले पारेषण तथा वितरण जाल के विस्तार के लिए राज्य योजना परिव्यय से अधिक भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। इसलिए ग्राम विद्युतीकरण निगम पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी स्कीमों पर धन लगाने की विशेष पद्धति पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने गांवों के 15 एम० बी० ए० विद्युत् भारों की पूर्ति के लिए निगम को बोलंगीर क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर लम्बे 33 के० बी०/66 के० बी० पारेषण पथों तथा सम्बद्ध उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए एक स्कीम प्रस्तुत है, जिसकी अनुमानित लागत 84 लाख रुपये होगी। निगम इस स्कीम पर विचार कर रहा है।

मैसर्स शंके ह्वील्स, दुर्गापुर द्वारा ट्रैक्टरों के पहियों के निर्माण हेतु कच्चे माल का आयात

6796. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शंके ह्वील्स, दुर्गापुर को ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए कच्चे माल का आयात करने हेतु लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या यह फर्म देश में इस मद का प्रमुख उत्पादक बन गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष पहियों सहित सम्पूर्ण ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति देने से शंके ट्रैक्टर ह्वील्स के प्रमुख ग्राहकों ने अपने क्रयादेश रद्द कर दिये हैं जिससे मन्दी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1970-71 की अवधि में ट्रैक्टर के पहियों का उत्पादन देशीय ट्रैक्टर उत्पादकों की मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ट्रैक्टरों के उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने

देने के उद्देश्य से ट्रैक्टर उत्पादकों को देश में उपलब्ध पहियों को ध्यान में रख कर सीमित संख्या में ट्रैक्टर के पहियों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में आयातित ट्रैक्टरों में से पहिए को अलग करना उपर्युक्त नहीं समझा गया। जून, 1971 में मैसर्स शंके ह्वील्स लिमिटेड ने बताया कि ट्रैक्टर उद्योग में मन्दी आ जाने के कारण ट्रैक्टर के पहियों की मांग में गिरावट आई है। अतः उनके अभ्यावेदन के संदर्भ में पहियों की आयात स्थिति पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

औद्योगिक एककों के विस्तार के लिए जारी किये गये लाइसेंस

6797. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में तथा वर्ष 1971 के प्रथम छः महीनों (जनवरी से जून) में, पश्चिम बंगाल में, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के अधीन कितनी संख्या में औद्योगिक लाइसेंस, आशय पत्र, व्यापार जारी रखने के लाइसेंस तथा औद्योगिक एककों की क्षमता का विस्तार करने के लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ख) जिन पार्टियों को ऐसे लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनमें से कुल कितने मामलों में पश्चिम बंगाल से बाहर अपने उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन किया गया है तथा इनमें से कितने मामलों में इस अवधि के दौरान ऐसा करने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास मत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल को 1-1-1970 से 30-6-1971 की अवधि में 95 औद्योगिक लाइसेंस और 48 आशय पत्र जारी किए थे। इन आंकड़ों का किस्मवार और वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

	1970		1971 (30-6-71 तक)	
	लाइसेंस	**आशय पत्र**	**लाइसेंस**	**आशय पत्र**
नए उपक्रम	5	4	2	4
पर्याप्ति विस्तार	19	6	9	11
नई वस्तुएं	5	7	9	16
व्यापार जारी रखने के लाइसेंस	12	—	33	—
स्थानान्तरण	—	—	1	—
योग	41	17	54	31

(ख) जी, कोई नहीं।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन

6798. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करने को कहने का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उत्तर बंगाल क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए स्थायी बाढ़ नियंत्रण आयोग के गठन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के भंग होने को ध्यान में रखते हुए उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किया जाना है, जिसने हाल ही में बताया है कि इसे जल्दी ही स्थापित कर दिया जाएगा।

मचेरिया स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के सुपारी के व्यापारियों को दी गयी क्षतिपूर्ति

6799. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के मचेरिया स्टेशन से 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक पश्चिम रेलवे के कोटा, रतलाम, अजमेर, जयपुर, आबूरोड, उदयपुर नीमच और भीलवाड़ा स्टेशनों के लिए सुपारी की कितनी टोकरियों को बुक किया गया था ;

(ख) 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक मचेरिया स्टेशन से उपरोक्त स्टेशन को बुक की गई सुपारी की टोकरियों में से कितनी कम पाई गई ;

(ग) 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित स्टेशनों पर सुपारी की टोकरियों की हानि के लिए रेलवे प्रशासन ने व्यापारियों को कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी है ; और

(घ) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे पर माचेरिया नामक कोई स्टेशन नहीं है। यदि माननीय सदस्य का आशय मचेर्ला स्टेशन से है तो उस अवधि में इस स्टेशन से पान को कोई टोकरी बुक नहीं की गयी थी।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर व्यय

6800. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1971 के अन्त तक हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) इस राशि में से कितनी राशि प्रशासन पर खर्च की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जून, 1971 तक हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर कुल लगभग 277.79 लाख रुपये व्यय हुए थे।

(ख) उपर्युक्त रकम में से प्रशासन पर खर्च हुई धनराशि लगभग 3.69 लाख रुपये थी।

पोंग बांध से निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास

6801. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध से निष्कासित किए गए कितने व्यक्तियों का जून, 1971 के अन्त तक राजस्थान में पुनर्वास कर दिया गया हैं ; और

(ख) अगला बैच राजस्थान के लिए कब रवाना होगा तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पोंग बांध के 568 विस्थापित व्यक्तियों के लिए राजस्थान में भूमि निर्धारित की जा चुकी है ; इनमें से 425 व्यक्तियों ने जून, 1971 तक भूमि कब्जे में ले ली है।

(ख) विस्थापितों का अगला जत्था तब रवाना होगा जब राजस्थान में भूमि के पृथक् यूनिट के नियतन के लिए सहभागी भूस्वामियों की पात्रता के सम्बन्ध में कुछ बकाया मसलों पर मुख्य मंत्रियों की समिति की आगामी बैठक में विचार-विमर्श और फैसला हो जाएगा। यह बैठक 5 अगस्त, 1971 को होनी अनुसूचित है।

पोंग बांध क्षेत्र में बाढ़

6802. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के क्षेत्र में बहुत से गांवों में बाढ़ आ गई थी, जिसके फलस्वरूप गरीब किसानों को भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई, कितने परिवारों पर उसका कुप्रभाव पड़ा तथा सरकार ने प्रति परिवार कितनी सहायता दी ; और

(ग) क्या इस क्षति के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). यद्यपि 1-7-71 को बाढ़ों के परिणामस्वरूप 9 टिक्कों की भूमियां कुछ थोड़े समय के लिए जलमग्न हो गई थीं, 3 टिक्कों में केलव 35 परिवार ही आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। अगले दिन बाढ़ का पानी कम हो गया। इन तीन टिक्कों में भूमि और अन्य किस्म की सम्पत्तियां पहले ही अर्जित कर ली गई थीं और उनके लिए मुआवजा दे दिया गया था। नौ में से आठ टिक्कों की भूमि भी अर्जित की जा चुकी थी और उसके लिए मुआवजा दिया जा चुका था।

जलाशय क्षेत्र में पानी के संभावित चढ़ाव के लिए अग्रिम चेतावनियां देने के बावजूद ग्रामीण लोग वहीं ठहरे रहे। बहरहाल, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लिए सभी संभव सहायता दी गई। किसी भी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Canal in Hazaribagh and Gaya Districts from Tailaiya and Konar Dams of D. V. C.

6803. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land irrigated in West Bengal and Bihar by the Damodar Valley Corporation Irrigation Projects, separately ;

(b) the progress made in regard to the draft plan relating to construction of canals in Hazaribagh and Gaya Districts from Tilaiya and Konar Dams of the Damodar Valley Corporation ; and

(c) the total acreage of land likely to be irrigated by the said canals after the implementation of both the schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c). The Damodar Valley Corporation Projects are irrigating about 7.4 lakh acres in Kharif and 1 lakh acres in Rabi in West Bengal. They are at present not providing any irrigation to areas in Bihar.

The Government of Bihar have drawn up proposals to irrigate 110,000 acres in Gaya district and 120,000 acres in Hazaribagh district by diverting waters of the Tilaiya and Konar Dams. These proposals are being examined by an Expert Committee constituted by the Damodar Valley Corporation. The Governments of West Bengal and Bihar and Central Water and Power Commission are represented on this Committee.

Licence for Paper Mill in Hazaribagh District (Bihar)

6804. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for the grant of an industrial licence for setting up a paper mill in Chatra Sub-Division in Hazaribagh District ; and

(b) if so, the time by which the said mill is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Introduction of Express Train between Patna and Dhanbad on Eastern Railway

6805. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which the proposed Express Train would be introduced between Patna and Dhanbad on Eastern Railway ;

(b) whether Government have under consideration any scheme to introduce a direct train from Dhanbad to Delhi ; and

(c) if so, the time by which the said train is likely to be introduced ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) By April, 1972.

(b) No.

(c) Does not arise.

पश्चिम भारत पुर्तगाली रेलवे के कर्मचारियों का खपाया जाना

6806. **श्री इराज्मुद सेकेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम भारत पुर्तगाली रेलवे के कितने कर्मचारियों को रेलवे में खपाया गया है ;

(ख) उनको किन-किन शर्तों पर खपाया गया था ; और

(ग) अन्य रेलवे के कर्मचारियों को इससे पूर्व किन शर्तों पर खपाया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) गोआ के संघ शासित क्षेत्र के समाहृत किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या 512 है ।

(ख) शर्तें 7-9-1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 1381 में निर्धारित की गयी थीं जिसकी एक प्रति परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 795/71**]

(ग) इस प्रकार समाहृत किये जाने का कोई मामला नहीं है ।

रेलवे द्वारा अपनाने हेतु "ब्राउन सिस्टम आफ डिसिप्लिन" में संशोधन

6807. **श्री इराज्मुद सेकैरा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्राउन सिस्टम आफ डिसिप्लिन" का रेलवे द्वारा अपनाये जाने के लिये उचित रूप से संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपनाये जाने वाली संशोधित व्यवस्था की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अनुशासन की ब्राउन प्रणाली को अपनाने का प्रश्न अभी रेल मंत्रालय के विचाराधीन है ।

धनबाद मंडल (पूर्वी रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के रिक्त पद

6808. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद मंडल में वाणिज्यिक क्लर्कों के कुछ पद 1968 से रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो उनके स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और 1968 से 1971 तक, वर्षवार, रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद मण्डल के वाणिज्यिक क्लर्कों को छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की कमी के कारण छुट्टी नहीं मिलती है और यदि हां, तो इस श्रेणी में छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की प्रतिशतता क्या है और इस मण्डल में वास्तव में कितने छुटटी रिजर्व वाणिज्यिक क्लर्कों की व्यवस्था की हुई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1970 से केवल कुछ ही पद खाली पड़े हुए हैं । धनबाद मण्डल में वाणिज्यिक क्लर्कों के संवर्ग में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद	
1968	240	4	अब भरे जा चुके हैं ।
1969	240	4	
1970	244	13	
1971 (जून तक)	253	20	

(ख) चूंकि धनबाद मण्डल में वाणिज्यिक क्लर्कों की कोटि में छुट्टी रिजर्व पदों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गयी है, इसलिए छुट्टी रिजर्व की कमी के कारण उनको छुट्टी न मिलने का प्रश्न नहीं उठता। इस कोटि में छुट्टी रिजर्व का प्रतिशत 15 (न्यूनतम) और 25 (अधिकतम) है। इस मण्डल में वाणिज्यिक क्लर्कों के 41 छुट्टी रिजर्व पदों की व्यवस्था की गयी है जो कार्य कर रहे कुल क्लर्कों की संख्या का लगभग 19 प्रतिशत होता है।

Additional Train Service between Sikar and Loharu Stations on Western Railway

6809. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no other train available to the passengers from the Stations falling between Sikar and Loharu stations on the Western Railway in between the train starting from Jaipur and reaching Loharu in the night and the train reaching Loharu the next day at 7 in the evening as a result of which the passengers travelling to Loharu and Delhi are put to great difficulties ; and

(b) if so, whether Government propose to provide one train from Sikar to Loharu before noon and back in the afternoon keeping in view the convenience of the passengers ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) Yes.

(b) No. The through coaches already running between Sikar and Delhi via Loharu are underutilised. So also the accommodation of the two pairs of trains is underutilised in Sikar-Loharu section.

ब्यास-भाखड़ा तथा ब्यास-सतलुज लिंक परियोजनाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का नियतन

6810. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास-भाखड़ा तथा ब्यास-सतलुज परियोजनाओं पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों का किसी भी राज्य में नियतन नहीं किया गया है जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन अपेक्षित है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ऐसे कर्मचारियों का नियतन करने का आश्वासन वर्ष 1970 में लोकसभा में दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो नियतन का कार्य पूरा न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को लोकसभा से कुछ सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1-11-1966 से पहले परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का बटवारा किया जा चुका है ; यह बटवारा सर्किल केडर के कर्मचारियों के मामले में नहीं हुआ है जो कि पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के पास विचाराधीन है। चूंकि राज्य सरकारें परियोजनाओं की सभी जरूरतें सीधे पूरी नहीं कर सकती थीं, इसलिए परियोजना अधिकारियों ने 1-11-1966 के बाद कुछ सीधी भरती की है लेकिन यह भरती पूरी तरह अस्थायी तौर पर की गई है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां । इस सम्बन्ध में श्री बी० एस० भौरा से एक पत्र दिनांक 13-7-71 प्राप्त हुआ है और माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत कराया जा चुका है ।

रेलवे द्वारा धनबाद क्षेत्र में हुई हड़ताल पर किया गया व्यय

6811. **श्री राजदेव सिंह : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडलीय अधीक्षक ने हाल ही में धनबाद क्षेत्र में हुई रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल पर लाखों रुपया व्यय किया था ;

(ख) यदि हां, तो भोजन, जलपान, सवारी, समयोपरि भत्ता और उक्त अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने में श्रेणीवार कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या 3 फरवरी, 1971 से 10 फरवरी, 1971 तक रेलगाड़ी द्वारा संचार व्यवस्था बनाए रखने का कार्य और कार्यालय सम्बन्धी कार्य पूरी तरह से बन्द हो गया था ; और

(घ) ग्रांड कोर्ड सेक्शन में कितनी रेलगाड़ियां चलीं और प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों ने उक्त अवधि में कार्य किया था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). धनबाद मंडल में 3 से 10 फरवरी, 1971 के बीच हुई हड़ताल के सम्बन्ध में पूर्व रेल प्रशासन द्वारा जो खर्च किया गया, वह इस प्रकार है :—

(i) हड़ताल के दौरान ड्यूटी करने वाले वफादार कर्मचारियों को भोजन और जलपान	33,933.46 रु०
(ii) सवारी-4465 लिटर डीजल तेल	5,358.00 रु०
(iii) पुरस्कार	49,470.00 रु०
(iv) समयोपरि	15,962.80 रु०
जोड़	1,04,714.26 रु०

(ग) जी नहीं ।

(ख) अनुपस्थित कर्मचारियों में से अधिकांश 8 फरवरी, 1971 को ड्यूटी पर वापस आ गये थे । 3 और 8 फरवरी के बीच लगभग 40 मालगाड़ियां ग्रैंड कार्ड खण्ड से गुजरीं । 5 फरवरी से 8 फरवरी तक ब्लैक डायमंड और कोल फील्ड एक्सप्रैस गाड़ियां भी चलायी गयी थीं । यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए ग्रैंड कार्ड खण्ड के रास्ते चलने वाली अन्य डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग-परिवर्तन कर दिये गये थे । मंडल के बाकी भाग अर्थात गोमो-बरकाकाना-बरवाडीह-चौपन खण्ड पर गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही थीं ।

इस मंडल के 22,633 कर्मचारियों में से 20,069 कर्मचारी हड़ताल की अवधि के दौरान अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए थे । इनके कोटिवार आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

Increase in price of Indigenous Tractors

6812. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Minister of Finance had given an assurance in the Lok Sabha that there was no likelihood of increase in the prices of indigenous tractors ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Nav Bharat Times' dated the 13th July, 1971 to the effect that there is likelihood of Government agreeing to the increase in the prices of indigenous tractors ; and

(c) if so, Government's reaction in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) On receipt of requests from the tractor manufacturers for increases in the selling prices of their tractors, the Bureau of Industrial Costs and Prices had been requested in September, 1970 to undertake an investigation of the cost structure of the five units manufacturing agricultural tractors in the country with a view to advising the Government on the fair selling prices at which the tractors should be sold to the farmers. The Finance Bill 1971 providing for levy of 10% excise duty on tractors was introduced in the House before the Bureau finalised their Report. The Bureau has, therefore, taken this levy also into account in working out the prices of tractors. The report of the Bureau has since been received and is under examination.

Supply of Electricity to Kargil and Leh (Jammu and Kashmir)

6813. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to providing electricity in Kargil and Leh in Jammu and Kashmir ;

(b) the amount of expenditure incurred so far on this work in Kargil and Leh ; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred on these schemes separately, and the time by which these are likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) A diesel set of 20 KVA capacity was installed at Leh in 1964. The installed capacity was raised to 100 KVA in 1967 and 200 KVA in 1968.

At Kargil, diesel set of 20 KVA was installed in 1966 and raised to 100 KVA in 1967.

To meet the long-term requirements of Leh and surrounding areas, Stakna Hydro Electric Project utilising waters of Indus River and with installed capacity of 3200 KW has been taken up. The scheme is estimated to cost Rs. 2.3 crores. Work has been started on this Project.

(b) The expenditure incurred upto the end of June 1971 is Rs. 16.07 lakhs on electrification of Kargil and Leh and Rs. 22.65 lakhs on Stakna Hydro Electric Project.

(c) About Rs. 5 lakhs are expected to be spent on electrification works at Leh and Kargil in the remaining years of the Fourth Plan. During 1971-72, a total expenditure of about Rs. 33 lakhs is expected to be incurred on Stakna Hydro Electric Project. The project is scheduled to be completed by December, 1976.

औद्योगिक कच्चे माल का थोक मूल्य सूचकांक और तैयार उत्पाद

6814. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 के लिए बजट में नए कर लगाने के परिणाम स्वरूप छोटे और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में औद्योगिक कच्चे माल और तैयार माल का थोक मूल्य सूचकांक कितना है ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है ; और

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). औद्योगिक कच्चे माल, और सूचकांक में सम्मिलित हल्के और भारी इंजीनियरिंग उत्पादों का मई और जून, 1971 और जून, 1970 का थोक मूल्य सूचकांक दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 796/71**]

(ग) उपभोक्ताओं की रुचि की अनेक इंजीनियरी वस्तुओं के मूल्य पर अनौपचारिक तौर पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और सरकार इनकी कीमत स्थिति पर बराबर नजर रखती है, ताकि आवश्यकतानुसार वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उत्तरी रेलवे में कानपुर और टूंडला के मध्य तांबे के ऊपरी-कर्षण तारों की चोरी

6815. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड केन्द्रीय अपराध कार्यालय के गुप्तचरों ने उत्तरी रेलवे में कानपुर और टूंडला के मध्य तांबे के ऊपरी-कर्षण तार की चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां। कानपुर में।

(ख) मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और वह जांच कर रहा है।

केरल के कुटीर उद्योगों में असन्तोष

6816. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता देने की सरकार की नीति के कारण कुटीर उद्योगपतियों में व्याप्त असन्तोष की ओर केरल सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, केरल द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग से आर्थिक सहायता की मांग

6817. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, केरल ने खादी ग्रामोद्योग आयोग से घरेलू उपयोग के बर्तन बनाने के एकक स्थापित करने के लिए किसी आर्थिक सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) 1970-71 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, केरल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को एल्युमीनियम के घरेलू बर्तन बनाने के एकक स्थापित करने के लिये 1.20 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

केरल में कुटीर उद्योगों का विकास

6818. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अन्य उद्योगों पर प्राथमिकता देकर और आगे विकास के लिए केरल में कुछ कुटीर उद्योगों को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के विचार को एक दम छोड़ दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण रेलवे के डेटा ट्रांसमिटिंग इन्सपेक्टर की पदोन्नति

6819. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में डेटा ट्रान्समिटिंग इन्सपैक्टर के रूप में पदोन्नति सिगनेलर संवर्ग में से की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में भी ऐसी ही व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). दक्षिण मध्य रेलवे पर 370-475 रुपये के वेतनमान में डाटा ट्रान्समिटिंग इंसपैक्टर का पद 335-425 रुपये के वेतनमान के मुख्य तार निरीक्षकों/तार निरीक्षकों में से भरा जाता है। दक्षिण रेलवे में इस पद पर परिवहन निरीक्षक लगाया जाता है। प्रत्येक रेलवे ने स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के अवसर निर्धारित किये हैं।

दक्षिण रेलवे में हैड सिगनलरों को पदोन्नत करना

6820. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में (यू० बी० एल० तथा बी० जैड० ए० डिवीजनों) हैंड सिगनेलरों को रु० 250-380 वेतनमानों में पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों को इस प्रकार के लाभ से वंचित रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सिगनेलरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हाल में इस आशय का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

दक्षिण रेलवे के वेतन लिपिकों को राष्ट्रीय छुट्टी दिवस का वेतन

6821. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में वेतन लिपिकों को राष्ट्रीय छुट्टी दिवसों को भी कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या इन वेतन लिपिकों ने उन दिनों कार्य करने का वेतन मांगा है ; और

(ग) अब तक वेतन की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वेतन क्लर्कों को तीन राष्ट्रीय छुट्टियों सहित सभी सार्वजनिक छुट्टियां मनाने की अनुमति है । फिर भी, नौकरी की अपेक्षाओं के अनुसार उनमें से कुछ से छुट्टी में (जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी भी शामिल है) काम लेने की आवश्यकता पड़ सकती है । इस प्रकार की हाजिरी के बदले उन्हें प्रतिपूरक अवकाश दिया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राष्ट्रीय छुट्टियों में कार्यालय में उपस्थित रहने के बदले आर्थिक प्रतिकर उन कर्मचारियों को स्वीकार्य होता है जो एक वर्ग के रूप में किसी सार्वजनिक छुट्टी के हकदार नहीं हैं । भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, वेतन क्लर्कों को राष्ट्रीय छुट्टियों में कार्यालय में उपस्थित रहने के बदले प्रतिपूरक भुगतान स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वे सार्वजनिक छुट्टियों के पात्र हैं, जिनमें राष्ट्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं ।

संविधान में संशोधन

6823. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्तियां संसद् को प्रत्यावर्तित कराने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन विधेयक संसद् के समक्ष कब तक लाये जाएंगे ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबन्ध में संशोधन करने की शक्तियां संसद् को प्रत्यावर्तित कराने वाला संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971, 1971 की जुलाई 28, को लोक सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया है ।

कृषि कार्य के लिए समान बिजली की दरें

6824. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में कृषि कार्य के लिए समान बिजली की दरें रखने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) तथा (ख). उत्पादन संयंत्र की पूंजीगत लागत, पारेषण पथों की लागत और मात्रा, मजदूरी की लागत, परिवहन सुविधाओं की लागत, स्थानीय कर में भिन्नता और विद्युत् विकास की मात्रा में तथा ग्रिड के समेकित प्रचालन में भिन्नता के कारण कृषि कार्यों के लिये विद्युत् की सप्लाई की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं । सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रारम्भ में यह सुनिश्चित किया जाये कि उपभोक्ताओं की प्रत्येक राज्य में समान दरें हों और आखिरकार सारे देश के लिये समान दरें हों । उड़ीसा के अलावा, जहां पर जल विद्युत् और डीजल विद्युत् सप्लाई के क्षेत्रों में अलग-अलग दरें हैं, कृषि कार्यों के लिये विद्युत् की सप्लाई की समान दरों को सभी राज्यों के सप्लाई के क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरोत्तर अपना लिया गया है ।

शराब पर भारतीय मानक संस्थान का चिन्ह

6825. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार की शराब पर भारतीय मानक संस्थान का चिन्ह लगाया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 15 शराब उत्पादनकर्त्ताओं को आई० एस० आई प्रमाणांकन चिन्ह योजना के अन्तर्गत 43 लाइसेंस जारी किये गये हैं । 35 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । यह स्वैच्छिक योजना है । शराब निर्माताओं को आई०एस० आई० चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य नहीं हैं ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी-निवेश

6826. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राजस्थान में 31 मार्च, 1971 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितनी धनराशि लगाई है ; और

(ख) इस पूंजी निवेश की प्रतिशतता को राष्ट्रीय औसत अर्थात् प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश की प्रतिशतता तक लाने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या योजनायें तैयार की हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में 1951 से 1969 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल 40.82 करोड़ रु० का विनियोजन किया गया था। अप्रैल, 1969 से मार्च, 1971 तक के विनियोजन के आंकड़ें तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट और मशीन टूल्स प्लान्ट, अजमेर के पूरा करने के अलावा, जिनमें काम चल रहा है जिंक स्मेल्टर, उदयपुर की क्षमता को दुगुना करने और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा का विस्तार करने के लिए चौथी योजना में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान में स्थानीय पायराइट और रॉक फास्फेट पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना विचाराधीन है।

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में मोहन मीकिन्स ब्रीवरीज द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

6827. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजिया बाद (उत्तर प्रदेश) स्थित मोहन मीकिन्स ब्रीवरीज ने गत तीन वर्षों के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ; और

(ग) क्या किसी मन्त्री ने उक्त फर्म की लाइसेंस क्षमता में वृद्धि करने की सिफारिश की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मोहन मीकिन्स ब्रीवरीज गाजियाबाद ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों पर मजूरी पंचाट की सिफारिशों का लागू किया जाना

6828. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों ने मजूरी बोर्ड पंचाट की सिफारिशों को लागू करने के लिए 22 जुलाई, 1971 को एक प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या पहले अधिकारियों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को मान लिया था पर वे अभी तक लागू नहीं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) वेतन बोर्ड पंचाट के कार्यान्वयन की मांग करने के लिए कर्मचारियों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया था। बहरहाल, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कुछ कर्मचारियों ने 22 जुलाई, 1971 को प्रदर्शन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाटों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए और दूसरी मांगों के लिए, जिसमें दिल्ली के लिए एक राज्य बिजली बोर्ड का जल्दी बनाना भी शामिल है, मांग की गई थी।

(ख) और (ग). वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत आने वाले और तीसरे वेतन आयोग अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थापित इसी प्रकार की संस्था के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी/श्रमिकों दोनों की सिफारिशों से प्राप्त होने वाले लाभों की मांग करने के हकदार नहीं हैं। चूंकि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों/श्रमिकों के मान्यता प्राप्त संघों ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा घोषित अन्तरिम सहायता के लाभों के लिए अपनी स्वेच्छा प्रकट कर दी है और अन्तरिम सहायता की अदायगी सितम्बर, 1970 में कर दी गई है, इन कर्मचारियों पर लागू वेतन बोर्ड के पंचाटों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना

6829. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में 2 वर्षों से अधिक समय से कितने कर्मचारी दैनिक मजरी पर कार्य कर रहे हैं और क्या उनको स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में आज कल 2528 व्यक्ति वर्क-चार्ज/दैनिक दर आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनकी नौकरी दो वर्ष से अधिक हो गई है। वर्क चार्ज/दैनिक दर आधार पर रखे गए कर्मचारियों को समय-समय उपलब्ध मजदूर/खलासी आदि के स्वीकृत पदों के अनुसार नियमित किया जाता है।

(ख) जहां तक वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि वे कर्मचारी जो वेतन बोर्ड की सिफारिशों के तथा तृतीय वेतन आयोग या केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित ऐसी किसी संस्था के अन्तर्गत आते हैं उन पर या तो वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू होंगी या उनके वर्तमान वेतन ढांचे लागू होंगे और साथ ही, दूसरी वाली स्थिति में किसी उचित वेतन निकाय द्वारा किया गया कोई संशोधन भी लागू होगा।

पूछे जाने पर दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के मान्यता प्राप्त संघों ने तृतीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सहायता को स्वीकृत करने की सूचना दी थी। इसे विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इस प्रकार दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Power Generation Capacity

6830. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the installed power generation capacity at the end of the Third Five Year Plan Period ; and

(b) the names of the new major hydel power plants commissioned in the country during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The installed power generation capacity in the country at the end of the Third Five Year Plan was 10.17 million kW.

(b) A statement giving the names of new major hydel power plants commissioned in the country during the years 1968-69 to 1970-71 is attached.

Statement

Names of the new major hydel power plants commissioned in the country during the years 1968-69 to 1970-71.

Sl. No.	Name of State/ scheme	No. & size of units (MW)	Total capacity commissioned during 1968-69 to 1970-71. (MW)
1.	Assam		
	Umiam Hydel II	2×9	18
2.	Bihar		
	Kosi	2×5	10
3.	Himachal Pradesh		
	Bassi	3×15	45
4.	Kerala		
	Sholayar	1×18	18
5.	Maharashtra		
	Purna	2×7.5	15
6.	Mysore		
	Sharavathy	3×89	267
7.	Punjab		
	Bhakra Right Bank	1×120	120
8.	Rajasthan		
	Ranapratap Sagar	3×43	129
9.	Tamil Nadu		
	(i) Perambikulam Aliyar Hydel	1×60 plus 2×35 ,,	155
	(ii) Kodayar Hydel	1×25 ,, 1×60	60
10.	Uttar Pradesh		
	(i) Yamuna Stage I	1×17 plus 1×11	28
	(ii) Obra Hydro	3×33	99

Meeting of Representatives of India and Pakistan to solve problems regarding Certain Projects

6831. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of meetings held at expert-level and at "Secretaries" level between India and Pakistan so far to find a solution to matters relating to certain projects between the two countries and the nature of the solution found as a result thereof ; and

(b) the nature of the survey conducted by the survey teams of both the countries for 'common link of Padma Canal' and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Five meetings at Expert's level and five meetings at Secretaries' level have taken place so far the purpose of exchange of information on certain projects on the Eastern rivers in India and East Pakistan. Another meeting at Secretaries' level which had been agreed to has not taken place so far.

(b) There is no proposal for any common link of Padma Canal. There is also no proposal for any survey in this respect.

श्रेणी-2 (परिशिष्ट 2-क अर्हताप्राप्त) क्लर्कों की शिकायतों को दूर किया जाना

6832. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में प्रत्येक वरिष्ठता इकाई में पहली अप्रैल, 1968 को कितने श्रेणी-2 (परिशिष्ट 2-क अर्हता प्राप्त और अनर्ह अलग-अलग) के क्लर्कों को श्रेणी-1 क्लर्कों के छाया पदों पर पदोन्नत किया है ;

(ख) पहली अप्रैल, 1968 के बाद छुट्टी रिक्तियों पर पदोन्नत किए गए अनर्ह क्लर्कों के लिये पद बनाने के लिये पदोन्नत किए गए कितने अर्हता प्राप्त क्लर्कों को पदावनत कर दिया गया ;

(ग) क्या अर्हता प्राप्त क्लर्कों की ओर से पदोन्नति और छुट्टी रिक्ति रिजर्वेशन सम्बन्धी इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को पिछली तारीख से दूर करने के लिये क्या कोई आदेश जारी किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लेखा विभाग में सेवा और उपयुक्तता के आधार पर श्रेणी दो के क्लर्कों की पदोन्नति

6833. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली अक्तूबर, 1962 से भारतीय रेलवे के लेखा विभाग ने सेवा और उपयुक्तता के आधार पर श्रेणी 2 के क्लर्कों की पदोन्नति करने के लिये केवल 25 प्रतिशत सुरक्षित रखी गई हैं ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे में 1 अक्तूबर 1962 या इसके बाद छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के स्थान पर अल्पावधि के लिये स्थानापन्न पदोन्नति के आवेदन जारी करते समय 20 प्रतिशत

पदोन्नतियां वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की गई थीं और उचित व्यवस्था के समाप्त हो जाने के पश्चात् पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को, बाकी 75 प्रतिशत (अर्हता प्राप्त) कर्मचारियों की पदावनति कर, स्थानापन्न-पदों पर बनाये रखने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया को बाद में समाप्त कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो 25 सितम्बर 1969 से पहले इस प्रकार पदावनत किए गए कर्मचारियों को राहत न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) 25-9-1969 से पहले सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के अलावा छुट्टी रिक्तियों के लिये पदोन्नतियों को नियमित करने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा कोई समान कार्यविधि निर्धारित नहीं की गई थी । पश्चिम रेलवे के वर्तमान कार्यविधि के अनुसार जिन माललों पर पहले कार्रवाई की जा चुकी हैं उन्हें फिर से नहीं उठाया जा सकता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बम्बई लोक न्यास (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1971

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 84 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई लोक न्यास (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार के राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एच०/कि० 176/बी० पी० टी०/रूल्स/1508/ई० में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 789/71]**

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 790/71]**

बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण-पत्र

डा० के० एल० राव : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 27 जुलाई, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित करने के लिये समिति के 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए श्री निरंजन वर्मा के समिति की सदस्यता से त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान में राज्य सभा के एक सदस्य को नाम निर्देशन करे और उसने राज्य सभा के सदस्य श्री जगदीश प्रसाद माथुर को समिति में सहयोजित करने के लिये नाम निर्दिष्ट किया है ।

(दो) कि राज्य सभा 27 जुलाई, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति से सहयोजित हो और उसने उक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया है :—

(1) श्री ब्रह्मानन्द पंडा
(2) श्री सुखदेव प्रसाद
(3) श्री बी० टी० केम्पराज
(4) श्री गनेशी लाल चौधरी
(5) श्री बलराम दास
(6) श्री रोशन लाल
(7) श्री के० पी० सुब्रह्मण्य मेनन
(8) श्री मेलहूप्रा वेरो
(9) श्री गोलाप बरबोरा
(10) श्री जी० ए० अप्पन

समिति के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री एम० बी० राणा (भडौंच) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित

रीति से, डा० वी० के० आर० वर्दराज राव के स्थान पर, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से त्याग पत्र दे दिया है, उक्त समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के निमय, 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, डा० वी० के० आर० वर्दराज राव के स्थान पर, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से त्याग पत्र दे दिया है, उक्त समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

हमारे प्रजातन्त्र में जनता प्रभुसत्ता सम्पन्न होती है और संसद जनता की प्रतिनिधि संस्था है, अतः वह सर्वोच्च संस्था है। जहां तक सत्तारूढ़ दल का सम्बंध है, हमें जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। अब सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों की क्रियान्विति में बाधक तत्वों को हमें संविधान में संशोधन करके हटाना है।

विधेयक का उद्देश्य संविधान के दो अनुच्छेदों, अर्थात् 13 और 364 में संशोधन करने का है। अब तक कई संविधान सम्बन्धी विधिशास्त्रियों का विश्वास था कि अनुच्छेद 368 में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का उपबन्ध है और इसमें केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मात्र का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व दिये गये अपने दो निर्णयों में यह बात स्पष्ट की थी कि संविधान के किसी भी उपबन्ध में संशोधन करने का संसद को अधिकार है, चाहे वह उपबन्ध मूल अधिकारों से सम्बन्धित हो अथवा नहीं। परन्तु गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के दृष्टिकोण को बदल दिया और कहा कि संविधान में संशोधन करने के लिये संसद के अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लागू हैं।

यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य कारण यह बताया कि अनुच्छेद 13 का जब विधि के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाता है, तो इसके अन्तर्गत न केवल सामान्य विधायी तरीके से पारित की गई विधियां ही आती हैं, अपितु संसद द्वारा अपनी प्रभुसत्ता सम्पन्न संविधान शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा पारित

की गई विधियां भी सम्मिलित होती हैं जैसा संसद संविधान में संशोधन करते समय करती है। उच्चतम न्यायालय के इस अभिमत के कारण इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद् की शक्तियां बहाल कर दी जाय, ताकि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सके।

संविधान एक ऐसी लिखत है जिसे जनता ने देश के शासन सूत्र को संगठित रखने के लिए अपने ऊपर लागू किया है। संविधान एक साधन है, लक्ष्य नहीं। संविधान ऐसा नहीं हो सकता जिसमें संशोधन किया ही न जा सके। अगर यह समझा जाता है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम गतिहीनता के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। सभी प्रगतिशील देशों ने अपने संविधानों में संशोधनकारी तरीके का प्रावधान रखे हैं, क्योंकि विश्व के लगभग सभी विधि शास्त्रियों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि संविधान में संशोधनकारी प्रावधान ही ऐसा उपाय है, जिसकी सहायता से ही संविधान को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

अनुच्छेद 368 में इस समय जो संशोधन करने का प्रस्ताव है, उसके द्वारा निस्सन्देह रूप से यह स्पष्ट किया जायेगा कि इस अनुच्छेद में न केवल संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया ही दी गई है, अपितु इसके द्वारा संसद को स्थायी सर्वोच्च प्रभुसत्ता प्रदान की गई है जिससे वह मूलभूत अधिकारों सहित संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है।

एक अन्य उपबन्ध यह किया गया है और वह यह कि गोलकनाथ वाले मामले में उठाई गई दूसरी कठिनाई को दूर कर दिया गया है। वह कठिनाई यह थी कि प्रभुता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करके पारित संवैधानिक विधि और सामान्य विधायी अधिकारों का प्रयोग करके पारित विधि में जो अन्तर था, उसे इस निर्णय ने अस्पष्ट कर दिया था। अब प्रस्तावित उपबन्ध द्वारा यह व्यवस्था की जायेगी कि अनुच्छेद 13 में निहित कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किये गये संशोधन पर लागू नहीं होगी। इससे संवैधानिक शक्ति और सामान्य विधायी शक्ति में तथाकथित अन्तर समाप्त हो जायेगा। यहां यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग केवल सामान्य विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि उसे प्रभुसत्ता सम्पन्न संवैधानिक शक्ति का प्रयोग माना जायेगा।

अनुच्छेद 13 में एक आनुषंगिक संशोधन किया गया है। गोलकनाथ के मामले में इसके द्वारा भी कठिनाई उत्पन्न हुई थी। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में निहित कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित की गई विधि पर लागू नहीं होगी।

यदि प्रस्तावित संशोधन पारित कर दिये जाते हैं, तो एक बार फिर से यह स्पष्ट हो जायेगा कि संविधान के किसी भी उपबन्ध में संशोधन करने के मामले में संसद ही सर्वोच्च सत्ता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि जहां तक संविधान में निहित निदेशक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किये जा सकते, तथापि देश के प्रशासन के लिए मूल सिद्धान्त हैं और स्वयं संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार कानून बनाने में निदेशक सिद्धान्तों के

प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करेगा । अगर निदेशक सिद्धान्त दिखाने और प्रदर्शन के लिए नहीं हैं और यदि वस्तुतः उन्हें लागू किया जाना चाहिए और अगर उन्हें कानून में परिवर्तित करना है, तो यह आवश्यक है कि मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों के बीच विवाद अथवा संघर्ष का समाधान करने के लिए उपाय किये जायें ।

सन् 1951 में संविधान के पहले संशोधन पर चर्चा के समय यह अनुमान लगाया गया था कि निदेशक सिद्धान्तों और मूल अधिकारों की व्याख्या करने में कठिनाइयां आ सकती हैं । निदेशक सिद्धान्त और मूल अधिकारों दोनों का ही संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है । मूल अधिकार गतिहीनता को प्रदर्शित करते हैं और निदेशक सिद्धान्त एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवर्तन और कार्यवाही को प्रदर्शित करते हैं । संविधान को गतिशील बनाने के लिए गतिशील और गतिहीन तत्व में संघर्ष का समाधान करना है ।

गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह पता चलता है कि गतिहीन तत्त्व गतिशील तत्त्व पर प्रभुत्व जमा रहा है । अगर संविधान के निर्माताओं का यह विचार था कि निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करना है और सरकार उनके अनुसार ही कानून बनायेगी, देश के विकास और प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि अगर निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन हेतु मूल अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो ऐसा करने का भी संसद के पास अधिकार होना चाहिए ।

इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि हम भाषण की स्वाधीनता, शान्तिपूर्वक और निशस्त्र एकत्रित होने के अधिकार, संगठन बनाने के अधिकार को कम करने जा रहे हैं । अगर कोई आलोचक इस प्रकार का तर्क देता है, तो वह तर्क उस व्यक्ति की आशंका और घबराहट को प्रकट करता है । आज तक संविधान में जो 23 संशोधन किये गये हैं, उनमें दो मामलों को छोड़कर किसी में भी इन मूल अधिकारों को छुआ तक नहीं गया है । एक मामले में, अल्प संख्यकों के अधिकारों में संशोधन के अधिकार का प्रयोग अल्प संख्यकों के अधिकारों और संरक्षण में वृद्धि करने के लिए किया गया था । एक अन्य मामले में, भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार में संशोधन तब किया गया, जब देश की सुरक्षा और स्वयं देश के अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया था ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य तो केवल संसद को इस बात की शक्ति प्रदान करना है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सके । संविधान के वास्तविक संशोधन का कार्य फिर भी संसद को ही करना होगा । अतः यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोकतान्त्रिक मूल्यों में कितना विश्वास रखते हैं । इसलिए संसद के पास संविधान में संशोधन करने की जो व्यापक शक्ति होगी, उसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।

अनेक वर्षों की स्वाधीनता के पश्चात् आज हमारा देश चौराहे पर खड़ा है । आज भी हमारे देश का काफी क्षेत्र और करोड़ों व्यक्ति पिछड़ेपन और गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अब वे अधीर होते जा रहे हैं और अपनी जिन्दगी में सुधार करने के लिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को तीव्र गति से लाने के कटिवद्ध हैं । हमें जनता द्वारा दिये गये आदेश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और सामाजिक-आर्थिक सुधार करने के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकार होने चाहिए । हमारे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कार्य मन्त्रणा समिति ने इस विधेयक पर विचार हेतु 10 घण्टे निर्धारित किये हैं और उक्त समिति की रिपोर्ट इस सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई है। मैं सुझाव देता हूं कि 7 घण्टे सामान्य चर्चा, दो घण्टे खण्ड-वार विचार और एक घण्टा तृतीय वाचन के लिए रखा जाये।

श्री मधु दण्डवते (राजा पुर) : मैं कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपकी बात सुनकर निर्णय दे चुका हूं।

श्री मधु दण्डवते : आप मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुने बगैर ही निर्णय कैसे दे सकते हैं। मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं यह व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं जिससे इस विधेयक के पारित होने में सुविधा हो। अगर सदन में एक ही विषय पर दो विधेयक पेश किये गये हों, तो उनके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी। संसद के पहले अधिवेशन में ही इस विषय पर मैंने विधेयक पेश किया था। उस विधेयक में भी संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के लिए संसद को प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार देना है। नियमानुसार जब तक पिछला विधेयक पारित नहीं हो जाता, उसी विषय पर दूसरे विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। इसलिये, प्रस्तुत विधेयक के पारित होने में सुविधा हो, तो मैं अपना पिछला विधेयक वापस लेने को तैयार हूं। इस बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If Private Member's Bill has been introduced, it does not mean that a Government Bill can not be introduced. Otherwise, any member can stop the proceedings of the House in this manner.

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में विचार हेतु पेश किये जाने वाले विधेयकों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जब तक कि सदन उस पर अपना निर्णय न दे दे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० के० देव : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थोनी : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एम० रतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एन० सिंह : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पिछले कई वर्षों की लोगों की भावनाओं के कारण यह विधेयक लाया गया है। लोग परिवर्तन चाहते थे। काफी समय तक प्रतीक्षा करने के पश्चात उन्हें प्रतीत हुआ कि परिवर्तन के रास्ते में अनेक अड़चनें थीं और उन्हें हटवाने के लिए उन्होंने आन्दोलन किया। लोग

अब पहले के समान गुलाम बनकर व पुरानी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहते थे। लोगों की इसी प्रवृत्ति ने सरकार को इस विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया।

समय के साथ सरकार की दृष्टि में परिवर्तन हुआ। सरकार को ज्ञात हुआ कि लोगों की मांगों को यदि पूरा न किया तो सरकार नहीं चल सकेगी। क्या सेना और पुलिस का दमन निरन्तर चल सकता है ? अतः सरकार के ध्यान में यह बात आई कि लोगों के दिल में यह बात आनी चाहिये कि समाज तथा देश में परिवर्तन आने वाले हैं, जिससे उनमें आशाएं उत्पन्न हों।

यह विधेयक इन्हीं दो बातों के कारण से लाया गया है। इस विधेयक को अपनाने से देश में परिवर्तन लाने में जो बाधायें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्पन्न की जाती थीं, वह दूर हो जायेंगी।

दो वर्ष पूर्व जब मैंने तथा श्री नम्बूदिरिपाद ने संविधान के बदलने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था तो उस समय एकाधिकार प्रेस ने बावेला सा खड़ा कर दिया था। इस सदन में भी कहा गया था कि संविधान पवित्र है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने तथा अन्य लोगों ने अब यह महसूस कर लिया है कि संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किये बिना सरकार देश के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं ला सकती। पिछले 20 वर्षों में संविधान में 23 संशोधन हुए हैं, इससे भी प्रतीत होता है कि यह संविधान परस्पर विरोधी बातों का पुंज है।

संविधान की भूमिका में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता आदि की बातें हैं परन्तु अन्य खण्डों में इन बातों की अन्तर्विरोधी बातें हैं और इन्हीं कारणों से ही इतनी बार संविधान में संशोधन किया जाता रहा है।

यदि हम इस संविधान के इतिहास को देखें तो प्रतीत होगा कि इसे बनाने वाली संविधान सभा का गठन व्यस्क मताधिकार के स्थान पर राज्य विधान सभाओं और सम्पत्ति के अधिकारों के आधार पर हुआ था। उसमें राजाओं, व्यापारियों तथा जमींदारों के प्रतिनिधि थे। अतः वह सभा निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी। अतः ऐसी संविधान सभा से इससे अधिक आशा करना व्यर्थ था।

यदि हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को देखें तो पता लगेगा कि न्यायाधीश केवल दो बातें चाहते थे। एक मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि जहां तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है, परन्तु गोलकनाथ के मामले में सम्पत्ति के अधिकार के बारे में दूसरी बात कही गई। सम्पत्ति के अधिकार के बारे में समुदाय की भलाई की बात के स्थान पर व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया। बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उनका रुख इसी प्रकार का था। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि समुदाय की भलाई के लिए पूंजीपतियों के एकाधिकार को रोकने के लिए बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए तथा संविधान की प्रस्तावना में कही गई बातों को कार्यान्वित करने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है और जब तक नहीं किया जाता तब तक देश के भले के लिए कुछ नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय अधिनियम के बहुत से खण्ड गैर-कानूनी करार किये गये। केरल के जमींदारी सम्बन्ध विधेयक के बहुत से खण्ड भी इसी प्रकार गैर-कानूनी घोषित किये गये। बीड़ी तथा सिगार अधिनियम के कुछ खण्डों को भी उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी घोषित किया था। इस प्रकार इन सभी मामलों से स्पष्ट होता है कि जब शोषित वर्ग की भलाई की दृष्टि से कोई कदम उठाया जाता है तो वर्तमान न्यायाधीशों का दृष्टिकोण इस सब के विरुद्ध हो जाता है। संविधान सभा अथवा संसद द्वारा बनाये गये कानूनों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया जाता है और न ही संसद अथवा न ही राज्य विधान सभाएं उसमें कुछ कर सकती हैं।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इनके सदस्य जानते हैं कि जनता की आकांक्षाएं क्या हैं। उन्हीं आकांक्षाओं के आधार पर इनके द्वारा विधेयक पारित किये जाते हैं। परन्तु यदि इनके पारित विधेयकों को न्यायपालिका ने गैर-कानूनी घोषित किया है तो ऐसा करना देश तथा जनता के हित में नहीं है। इससे देश में प्रगति नहीं हो सकती।

विधेयक का समर्थन करने के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल मात्र संशोधन को पारित करने मात्र से सारी स्थिति ठीक नहीं होने वाली। संसद् द्वारा तथा राज्य विधान संभाओं द्वारा अनेकों अधिनियम पारित किये गये हैं परन्तु उनमें से सबका कार्यान्वियन नहीं हुआ है। विधेयक के पास हो जाने के पश्चात केवल न्यायपालिका ही उसके कार्यान्वियन में बाधक नहीं होती अपितु उसमें नौकरशाही भी बाधक हीती है। भूमि सुधारों के संबंध में गृह मंत्रालय के अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि प्रशासन ने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। कृषि-श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को मृत-प्राय: स्वीकार किया जाता है। यह विधेयक पारित किये जाने मात्र से कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि इसी प्रकार के तीन विधेयक पहले ही पारित किए जा चुके हैं, जिन्हें कांग्रेस शासित राज्यों ने भी लागू नहीं किया है। यदि सरकार इन्हें लागू नहीं कर पाती तो इसके लिए न्यायालय दोषी नहीं हैं—इसके लिए दोषी है नौकरशाह, एकाधिकारी और नियोजक।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें एक मात्र बाधा—न्यायालय—दूर कर दी गई है।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह संशोधन गोलक नाथ के मामले के 3-4 वर्ष पश्चात आया है। उक्त मामले में दिये गये निर्णय का एक प्रभाव यह था कि संसद् सर्वप्रभुतासम्पन्न नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार सबसे अधिक शक्ति जनता को प्राप्त है और जनता ने यह शक्ति अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यायोजित कर दी है जबकि इसके विपरीत न्यायपालिका के अनुसार यह शक्ति संसद् में बैठने वाले उन्हीं प्रतिनिधियों को प्राप्त नहीं है। अब जबकि नया चुनाव इसी मामले को लेकर लड़ा गया है और जनता ने इसके पक्ष में बहुत भारी बहुमत से समर्थन दिया है, हमारे लिए यह विधेयक लाना बहुत शुभ है।

कहा यह जाता है कि संविधान सभा अधिक पवित्र थी, परन्तु इसका इतिहास बताता है कि यह सभा अंग्रेजों के दबाव में आकर बनाई गई थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से और कुछ शर्तों के साथ हुआ था। यह संविधान उसी की देन है, अत: यह भी वैसा ही हुआ।

फिर कहा जाता है कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए इस पावन संविधान में हम संशोधन नहीं कर सकते जबकि अब तक इसमें 23 संशोधन हो चुके हैं।

गोलक नाथ के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के मूल अधिकारों वाले अध्याय में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जनता के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि पिछली संसद् में प्रतिक्रियावादी अधिक सबल थे, इसी लिए श्री नाथ पाई का विधेयक कई बार लाए जाने पर भी पास नहीं हो सका। यदि हमें जनता पर, संसदीय प्रजातंत्र पर विश्वास है, तो हमें यह संविधान बदलना होगा क्योंकि यह जड़ है, और मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र में यह शक्ति निहित है, हमें यह शक्ति मिलनी ही चाहिये। आज यदि हमें भारत के गरीब नागरिकों को रोजगार, रहन-सहन और अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने के अधिकार दिलाने हैं तो इस संविधान को बदलना होगा। यदि यह संविधान भारत की जनता और उसके भविष्य के बीच बाधा बनेगा तो यह संविधान बदलना पड़ेगा। श्री नेहरू के अनुसार हमें कई वचन निभाने हैं और यह संसद् उन्हें निभाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपने दल की ओर से विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार यह विधेयक चार वर्ष बाद ला रही है, अतः श्रेय स्वर्गीय श्री नाथ पाई को जाता है जो गोलक नाथ केस के तुरन्त पश्चात् अपना विधेयक लाए थे। बाद में श्रेय भारत की जनता को भी जाता है जिसने पिछले चुनाव में सभी प्रतिक्रियावादियों को करारी मात दी है। अब जनता में कई भ्रान्तियां फैलाई जा रही हैं, जैसे यह कि जनता को उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यह सब झूठ है और जनता में भ्रम उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह कोई ऐसा क्रान्तिकारी विधेयक नहीं है। देखना तो यह है कि सरकार और सत्तारूढ़ वर्ग इसका प्रयोग किस प्रकार करता है, क्योंकि सरकार के पिछले कार्यों से इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं होता।

चाहे कोई रुष्ट हो या नहीं, उच्चतम न्यायालय के बारे में एक बात को कहनी ही होगी कि उसने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों और मूल-अधिकारों में स्पष्ट असंगति का ध्यान नहीं रखा है। विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है कि संविधान निदेशक सिद्धान्तों को सरकार करने का एकमात्र साधन है और यदि यही साधन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी न करे तो उसमें परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक जमाना था जब राजाओं को दैवी अधिकार-प्राप्त माना जाता था, अब यही अधिकार उच्चतम न्यायालय को मिले माने जाते हैं तो इसे कैसे मान लिया जाए ? जब संविधान बनाया गया था तो सीमित निर्वाचन से चुने गए सदस्यों के साधारण बहुमत से ऐसा हुआ था, जबकि इसमें परिवर्तन के लिये पूर्ण बहुमत आदि कई कठोर शर्तें लगा दी गई हैं। एक भूतपूर्व न्यायाधीश के अनुसार राजनीतिज्ञों, जनता के प्रतिनिधियों के विचार न्यायाधीशों के विचारों की अपेक्षा घटिया हैं। एक अन्य मुख्य न्यायाधिपति के अनुसार सरकार बदलने से संविधान के अर्थ नहीं बदलते।

परन्तु इस मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि यह बात सत्य है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बदलने से संविधान का अर्थ कैसे बदल सकता है। कुछ भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से संसद में अविश्वास प्रकट किया है। उन्हें इस बात का संदेह है कि यदि यह शक्ति संसद को मिल गई तो समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा। जहां तक उनके सामाजिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, प्रथम महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद जैसे महान व्यक्ति ने अपनी पुस्तक "माई लाइफ, लॉ एण्ड अदर थिंग्स" में गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय को एक राजनीतिक निर्णय बताया है। यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार तथा सम्मान और

न्यायिक समीक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि न्यायपालिका ने अपने आपको अन्तिम निर्णायक समझा और इस देश की जनता की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधा डाली तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, यदि न्यायाधीश बदलते हुए समय के अनुसार अपने दृष्टिकोण को भी बदल लें तो परिवर्तन लाना सुगम हो जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इस न्यायालय में बहुत-सा काम बकाया पड़ा है। अतः इस काम को करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

लोगों के मन में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारों के सम्बन्ध में संदेह है। इस सम्बन्ध में सरकार को मौखिक आश्वासन नहीं देते रहना चाहिये। एक कानून बनाकर इन आश्वासनों को लिखितरूप देना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों पर विचार करना चाहिये।

मुख्य बात यह है कि क्या सरकार निहित स्वार्थों और शोषण करने वाले वर्गों के विरुद्ध इस विधेयक द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करेगी। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है। आज भी बड़े-बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस दिये जाते हैं।

वर्ष 1971 के मध्यावधि चुनावों के बाद इस दिशा में केवल एक ठोस काम किया गया है और वह सामान्य बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है। 106 कम्पनियों का केवल प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के मुआवजे के रूप में सरकार ने 33 लाख रुपये प्रतिमास देना मंजूर किया है। जब सरकार इन कम्पनियों के स्वामित्व को अपने नियंत्रण में लेने के लिये विधेयक प्रस्तुत करेगी तो फिर हमें इससे भी भारी राशि मंजूर करने के लिये कहा जायेगा। इन दो संविधान संशोधन विधेयकों के पास होने के बाद मुआवजे की राशि कम करने में कोई बाधा नहीं रहेगी। मैं शासक दल के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सरकार इस समर्थनकारी शक्ति का उपयोग जनता के हित में करे। निहित स्वार्थों को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिये इस शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। सर्वप्रथम विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये क्योंकि वे हमारे देश का शोषण कर रही हैं और उसे लूट रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : This Bill has been brought forward to provide relief to the poor. This is a historic step. Our party has assured the people that we shall try to provide food, clothing and shelter to them. We do not want to amend the fundamental right's with a view to snatch away the freedom of the people. The judgement given in Golaknath case blocked this way of social justice. The judges should change with the time. Their social outlook should be changed. The interpretation of law should reflect the urges of the masses. The Supreme Court in Golaknath case held that fundamental rights are inviolable. Why? We have to take steps to remove discrimination. The judgement in Bank nationalisation case was also influenced by vested interests. If the cases of Shankari Prasad, Sajjan Singh and Golaknath are scrutinised then it will be observed that 13 judges have given their verdict that article 368 can be amended and 7 judges have given their opinion otherwise. We have been given clear mandate to amend the fundamental rights, so that property does not remain the monopoly of a few rich people. It would not be proper to say that if Parliament is empowered to change the fundamental rights, they may abrogate them.

The elected representatives of the people are supreme. Supreme Court is not supreme. The law cannot be static. The Constitution will continue to be amended until basic necessities of life could be provided to the people. We have to take steps to remove concentration of wealth in few hands.

With these words I support this Bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It cannot be gain said that the judgment in Golaknath case has given rise, to a number of divergent opinions. The Supreme Court had not raised any objection or held void the 1st, 4th and 17th constitution amendments adopted by Parliament in 1951, 1955 and 1964 respectively. Had the Government referred the whole issue to the Supreme Court under article 143, they might have thought to revise their earlier opinion. Justice Hidayatullah had observed in the Golaknath case that "the judgements of the Supreme Court in Sankari Prasad and Sajjan Singh conceding the amendment in relation to the fundamental rights were based on an erroneous view." It was possible that Supreme Court might have held the judgment given in Golaknath case as erroneous had this case been referred to them again. Even now we can refer this matter to the Supreme Court. We can resort to the constitutional amendment later on, if necessary. The ruling party has tried to create an impression that Supreme Court was standing in the way of rapid progress of the country.

Another important point is whether Parliament is supreme or Supreme Court is supreme. Our Constitution is a written one and the powers have been properly defined therein. Our Parliament is supreme in making laws and no one can challenge its authority. Similarly our Supreme Court is supreme in interpreting the laws. The powers of executive have also been defined in the Constitution. In view of this one should not enter into this controversy. This is unnecessary. I do not agree that Parliament is supreme in every sphere. My submission is that Constitution is supreme vis-a-vis Parliament and the Supreme Court and ultimately the people of India are supreme. In case the hon'ble Members of this House and ruling party agree that the people of India are supreme then my amendment should be accepted that if fundamental rights are to be abridged a referendum should be held. But in case they are not sure whether the people of the country would support them then the power being sought can be misused.

Our apprehensions have increased about this Constitution Amendment Bill due to the fact that the language of the ruling party has changed. Today there appears to be no difference between the language of the ruling party and that of the rightist Communist Party. This is a signal for a threat to democracy. Nobody differs with the view that there should be changes in the social structure based on democratic means and that our social structure should be based on principles of equality. But the way we want to proceed is not fair. We will not be able to attain economic equality in this manner and on the other hand we will lose our political freedom.

Our Constitution guarantees freedom of speech, writing, Religion, organisation etc. and these freedoms are the very basis of democracy. If these freedoms are curtailed the country would march towards dictatorship. This Amendment does not merely curtail the fundamental right to property. It can be used for curtailing the other freedoms also. If Government is sincere about these freedoms it should accept my amendments which seek reference of this issue to Supreme Court and for referendum. If the Government is apathetic towards my amendments, it should accept amendments moved by Shri Gopalan and Shri Indrajit Gupta, which relate to safeguarding other freedoms.

Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh) : This is not the first amendment to the Constitution of India. Many amendments have already been made to the Constitution, but the proposed amendment is different in nature from the earlier amendments. This amendment has raised one basic question and that is whether the Parliament, which is directly elected by the people of India, has got the power or not to amend the Constitution in accordance with the needs and aspirations of the people of the country.

The judgment of the Supreme Court has created a bottleneck for the economic and social progress of the country. This bottleneck is being removed by bringing forward this Amendment. The basic question before the country is whether the Parliament has a right to frame rules for the furtherance of changed social objectives. The results of recent mid term elections have proved that Supreme Court has no right to declare null and void the decisions of the Parliament.

It is the need of the hour that these changes are incorporated in the Constitution so that Ruling Party could implement its policy and fulfil the promises it made to the people at the time of mid-term elections. Progress of the nation cannot be blocked. Our policy and promises are in accordance with the Directive Principles of the Constitution. This Amendment Bill seeks to fulfil the expectations of 90 per cent of the people of the country. They gave their support to such measures by sending the Ruling Party into power during the mid-term polls.

We have no quarrel with the Supreme Court. But we have to consider as to why this conflict arose with the Supreme Court ? The reason is that its judgment has blocked all the ways leading to the development of the country. If this judgment remains on the Statute Book, then monopolistic tendencies would increase in the country and exploitation of the people would continue. In the circumstances, this amendment is very necessary.

This amendment Bill not only re-establishes the supremacy of the Parliament, it actually increases the respect for the Constitution of India. It also seeks to give Constitution such shape as could reflect the wishes and aspirations of the people of the country.

We do not want a confrontation between the Parliament and the Supreme Court. But if the aspirations of the people are not given any consideration by the Supreme Court and it does not accept these amendments, then there would be a confrontation between Parliament and the Supreme Court, because Parliament has to establish its supremacy.

It has been said that the language of the Ruling Party has changed. This is infact a good symptom. A political party which represents the people truly, has to change to policies and programmes in accordance with the changing times.

I agree with the view that this amendment is not complete in itself. But if we do not adopt this amendment, it may not be possible to adopt any measure for the welfare of the people.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है कि राष्ट्रपति के माध्यम से इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाए। विधि मन्त्री को इस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये था। क्योंकि इस 24 वें संशोधन विधेयक के द्वारा हम जो करने जा रहे हैं, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतया कहा है कि इस सभा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुमत का निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की यह राय है कि संसद् के पास अनुच्छेद 368 का संशोधन करने की शक्ति नहीं है और किसी भी परिस्थिति में संसद यह शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार इस विधेयक के द्वारा संसद् सर्वोच्च न्यायालय के साथ सीधा झगड़ा प्रारम्भ करने जा रही है।

इसके साथ एक बात और है। हम में यह एक भ्रांति है कि संसद सर्वोपरि है। हमें वस्तुस्थिति को समझना चाहिये। वस्तुतः हमारा संविधान सर्वोपरि है और संसद संविधान के अधीन बनाई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार यह विचार व्यक्त किये गये हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करना उसका पवित्र कर्तव्य है। इसी कारण संसद् व विधान सभाओं के विधानों को रद्द किया जाता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में यह कहना कि वे राजनैतिक निर्णय हैं अथवा यह कहना कि वे उन के पीछे निहित स्वार्थ हैं, अत्यन्त निंदनीय बात है।

कुछ दल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बदनाम करके संविधान का अपमान करने पर तुले हुए हैं। यह उनके दल की प्रवृति है। विधि-व्यवस्था का सर्व प्रथम सिद्धांत है कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया जाये। अतः संविधान को नष्ट करने तथा विधि-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध दलों में यह प्रवृति प्रत्यक्ष है। उन दलों द्वारा ऐसी बातें करना तो समझ में आ जाता है परन्तु सत्ताधारी दल, जो कि विधि-व्यवस्था का सरंक्षक है, के सदस्यों द्वारा ऐसी बातें करना उचित नहीं है। इससे सरकार की प्रतिष्ठा कम होती है। इस प्रकार की प्रवृति को रोकना सरकार का कर्तव्य है। परन्तु सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा यदि संविधान को नष्ट करने अथवा न्यायाधीशों को बदनाम करने की बातें की जाएं तो सत्ताधारी दल को अन्य दलों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि हिंसा की राजनीति का प्रचार न किया जाए।

जो लोग मुझे बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका कहना है कि ऐसे लोगों में नैतिक बल नहीं होता, परन्तु मेरा तो विचार है कि साधारण बुद्धिजीवी लोग, जैसे न्यायाधीश और मंत्री आदि असुरक्षित स्थिति में होते हैं और उन्हें अपनी आत्मा और सिद्धांतों की बलि देनी पड़ती है।

अब उच्चतम न्यायालय को हटाने की बात कही जा रही है तो इसलिए कि साम्यवादी व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है। इस विधेयक द्वारा उच्चतम न्यायालय को धमकाने का प्रयास किया गया है परन्तु इससे उसे हां में हां मिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मुझे इसकी स्वतंत्रता और साहस पर विश्वास है।

मुझे श्री गोखले के न्यायपालिका छोड़ने से बड़ी निराशा हुई है। अब नए पद पर आने पर उन्होंने सबसे उग्रसाम्यवादी से भी बढ़ कर नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने मूल सिद्धान्तों को जड़ बताया है। उनकी राय में इनका स्थान गतिमान निदेशक सिद्धान्त लें।

मेरी बला से नए मूल अधिकार मेरे समेत सारे भारतवासियों का सर्वनाश कर दें परन्तु अल्पसंख्यकों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। मेरे विचार में 25 वां संशोधन गैर-कानूनी है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि किसी नागरिक को अपनी आय, सम्पत्ति, पेंशन, बचतों पर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैं 25वें संशोधन का समर्थन करने को तैयार हूं, यदि अल्पसंख्यकों के अधिकार बहाल रखे जाएं।

***श्री एम० सत्यनारायण राव** (करीमनगर) : खेद है कि सत्तारूढ़ दल का इतना अधिक बहुमत होते हुए भी वह अपने विरोधियों की बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं। यह विधेयक पास तो हो ही जायेगा। हमें जो असीम समर्थन प्राप्त हुआ है, उससे यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम 90 प्रतिशत गरीब जनता की दशा सुधारने के लिए ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाएं।

केवल एक जज के बहुमत से यदि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि संसद् ऐसे संशोधन करने में सक्षम नहीं है, तो इससे संसद् से यह शक्ति छीनी नहीं जा सकती। मेरा पक्का विश्वास है कि समाज की इतनी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसद् संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए सक्षम है और इसमें अनुच्छेद 368 का संशोधन भी शामिल है।

* तेलगु में किये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translation of English version of a speech delivered in Telugu.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मैं पहले श्री नाथपाई के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करता हूं जिन्होंने गोलकनाथ केस पर निर्णय के खतरनाक प्रभाव की ओर सर्वप्रथम संकेत किया था जिसके अनुसार संसद् की भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार न होगा। इस मामले से पूर्व दो मौकों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि संसद को इनमें संशोधन करने का अधिकार है—तब कोई बावेला नहीं हुआ था परन्तु अब यह शोर पूंजीवादी, एकाधिकारी और राजा-महाराज मचा रहे हैं—अल्पसंख्यकों के अधिकारों का तो बहाना ही है।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की है। इससे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय डर की भावना से दिया है, क्योंकि इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित प्रक्रिया द्वारा संविधान के प्रत्येक भाग का संशोधन किया जा सकता है।

श्री एंथनी के साथ कुछ विपक्षी सदस्यों और स्वयं उच्चतम न्यायालय को यही भय है कि कोई गैर जिम्मेदार संसद् एक ऐसी ही सरकार के साथ मिलकर सभी मूल अधिकार समाप्त करके तानाशाही स्थापित कर देंगे परन्तु यदि तानाशाही आएगी तो संविधान और मूल अधिकार धरे रहेंगे। जहां तक हमारे दल का संबंध हैं, हम विधि की प्रक्रिया और लोकतंत्रीय तथा शान्तिपूर्ण संसदीय साधनों से ही परिवर्तन लाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। इससे संसद् और लोकतंत्र को ही बढ़ावा मिलेगा। जनसंघ की मुसीबत यह है कि वह खुलेआम इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकता। श्री बाजपेयी लोकमत संग्रह की बात करते हैं परन्तु क्या पिछला चुनाव इन्हीं बातों को लेकर नहीं लड़ा गया था और क्या जनता ने संविधान में इस प्रकार के संशोधन करने और अन्य प्रगतिवादी कदम उठाने के पक्ष में हमें वोट नहीं दिए हैं ?

सम्पति का अधिकार मात्र छलावा है, क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर आम लोगों के पास सम्पति है ही नहीं। इसलिए जनता को इसके छिनने से कोई दुख नहीं होगा। यह अधिकार अधिक लोगों को मिले, इसीलिये तो इसे सीमित किया जा रहा है।

स्वयं संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 शामिल कर के सिद्ध कर दिया है कि उन्हें पता था कि इसमें संशोधन करने की भविष्य में आवश्यकता होगी। इसी से स्पष्ट है कि यह संविधान परिपूर्ण नहीं है अपितु संसद् और जनता सर्वसत्ता सम्पन्न है। इस समय विकल्प अराजकता एवं नक्सलवाद और विधान को बदलकर स्थिति के अनुकूल बनाने में है।

अन्त में मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरा दल, यह संसद और भारत की जनता कतिपय मूल अधिकार कभी नहीं छीनेगी—जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार, संघ-संस्था आदि बनाने के अधिकार, इत्यादि।

यदि संविधान का कोई भाग विशष और भिन्न है तो वह है राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त और इसकी प्रस्तावना। मूल अधिकार तो संविधान का ही अंग है। अब होता यह है कि राज्य निदेशक सिद्धान्तों पर मूल अधिकारों के कारण ही नहीं चल पाता। इसी कारण बिरला हाऊस के लिए 56 लाख रुपये देने पड़े। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रतिकार देने के सभी मामले यह विधेयक पास होने तक स्थगित कर दिये जाएं।

निदेशक सिद्धान्तों एवं प्रस्तावना के अनुपालनार्थ निर्मित कानून न्यायालयों की कार्य क्षमता के बाहर रहने चाहिए।

सरकार और संसद के पास एक यही संवैधानिक मार्ग है कि संसद को संशोधन की शक्ति पुनः प्रदान की जाये। यदि उच्चतम न्यायालय इस संशोधन को भी रद्द करे तो उसकी निन्दा की जानी चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, अतएव शासक दल के विरोधी मत वालों को ध्यान पूर्वक सुना जाना चाहिए।

जब तक उच्चतम न्यायालय का, ठीक अथवा गलत, निर्णय विद्यमान है, वह देश का कानून है तथा संशोधनात्मक विधेयक नहीं रखा जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मामला उठाता है तो उसके असहमत होने पर झगड़ा पैदा हो जायेगा।

कहा जाता है कि इस प्रकार हमारे भय निराधार हैं परन्तु पच्चीसवें संशोधन को देखकर सिद्ध हो जाता है कि हमारे भय यथार्थ हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

हमें तथ्यों का अधिक सम्मान करना चाहिए। बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने सम्पति अधिकार को क्षति पहुंचाई है। न्यायालय का मत था कि क्षतिपूर्ति अवास्तविक नहीं होनी चाहिए। सामान्य जनता यही चाहती है।

प्रिवी पर्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने नरेशों की मान्यता रद्द करने को अनुचित बताया। इसमें तथा गोलकनाथ के मामले में सम्पत्ति अधिकार की कोई बात ही नहीं है। न्यायालय ने अपने निर्णय को भूतलक्षी नहीं बनाया।

कौनसा ऐसा कानून है जो समाज कल्याण के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में लाया गया हो तथा जिसे पारित करने में बाधा आयी हो। कार्य को ऐसे ढंग से क्यों नहीं किया जाता कि उच्चतम न्यायालय और सरकार के मध्य संघर्ष उत्पन्न न हो।

शासक दल इतना उतावला है कि वे उच्चतम न्यायालय के बारे ऐसी बातें कहते हैं जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आज न्यायालय को चेतावनियां दी जाती हैं। संविधान चलाने का यह तरीका नहीं है। संविधान में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है। मौलिक अधिकारों का इसे संरक्षण करना होता है।

संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग राज्य के निदेशक सिद्धान्तों से पहले आता है। उन सिद्धान्तों में उन नीतियों का उल्लेख किया गया है जिन पर सरकार को चलना चाहिए। उन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए कार्यान्वित करना चाहिए न कि उनके विरोध में कितने खेद की बात है। कुछ माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने समझौते का मार्ग अपनाया था। उसमें डा० अम्बेदकर जैसे महापुरुष थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लिये महान कार्य किया और जिनकी दृष्टि 5 अथवा 10 वर्ष तक ही सीमित नहीं थी।

अमरीका का संविधान कई शताब्दियों पहले तैयार हुआ था और इतने दीर्घ काल में उसमें कितने संशोधन हुए हैं ? अमरीकी उच्चतम न्यायालय का संविधान की धाराओं के अभिप्राय को स्पष्ट करना होता है जिससे कि उस महान प्रजातंत्र की प्रगति रुक न जाये ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्या वहां किसी समय न्यायालय तथा कार्य-कारिणी में संघर्ष रहा है ?

श्री एच० एम० पटेल : निश्चय ही वहां भी संघर्ष रहा है परन्तु कभी किसी ने ऐसे वक्तव्य नहीं दिये कि उच्चतम न्यायालय का कोई महत्व नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : न्यू डील कार्यक्रम के तीन बार उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने पर रूजवेल्ट ने कहा था—उच्चतम न्यायालय देश में तीसरा सदन बन गई है ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने ऐसा कहा होगा परन्तु ऐसा हुआ नहीं । निदेशक सिद्धान्तों की पूर्ति करने वाले किसी भी कानून में उच्चतम न्यायालय कभी भी बाधक नहीं रहा ।

श्री मोहन कुमार मंगलम : मेटल कार्पोरेशन अधिनियम में उन्होंने विरोध किया है ।

श्री सिद्धार्थ शंकर रे : पुन: बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में ।

श्री एच० एम० पटेल : यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो मैं उन मामलों को लेकर सिद्ध करता कि उच्चतम न्यायालय समाजवादी कार्यों में बाधक नहीं बना ।

मेरा मत है कि यदि संसद को अबाध शक्तियां दे दी गईं तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं । यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाता तो निश्चय ही अधिनायकवाद की स्थापना हो जायेगी ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : माननीय न्यायाधीशों के प्रति सम्मानपूर्वक मुझे निवेदन करना है कि गोलकनाथ के मामले में बहुमत द्वारा एक भद्दा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । उससे पूर्व सुजन सिंह और शंकरी प्रसाद के मामलों में न्यायालय ने संसद की पूरी संवैधानिक शक्ति स्वीकार की थी । गोलकनाथ के मामले का निर्णय देते समय कहा गया कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं है । अपितु यह शक्ति सूची 97 से ली गई है । यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इससे अनुच्छेद 13 (2) का उल्लंघन होता है ।

संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था है । उसमें निहित है कि आवश्यक बहुमत तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् संविधान संशोधित समझा जायेगा ।

गोलकनाथ के मामले से पहले के निर्णयों से स्पष्ट है कि संवैधानिक शक्ति संसद में निहित है और संविधान का कोई भी भाग संसद की संशोधन शक्ति से बाहर नहीं है ।

गोलकनाथ के मामले में बहुमत का मत है कि संसद अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न है तथा उसे संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है । मौलिक अधिकारों को छुये बिना हम निदेशक सिद्धान्तों का पालन कैसे कर सकते हैं ? इस प्रकार संसद की शक्ति को सीमित करना उपयुक्त नहीं है । संविधान

को कठोर नहीं होना चाहिए अपितु लचकीला होना चाहिए । अनुच्छेद 360 में संशोधन की शक्ति निहित है । मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं हैं । संविधान संसद द्वारा बनाया गया था और संसद को जब कभी भी जनहित हेतु उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, वह करेगी । ऐसा वह पहले से करती आई है और भविष्य में भी करती रहेगी ।

भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार तथा भाग 4 में दिये गये निदेशक सिद्धान्त एक दूसरे के अनुपूरक हैं । यही मूल आधार है जिन पर समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए संविधान का ढांचा तैयार किया गया था । नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन कानून के दल पर नहीं कराया जा सकता । भाग 3 में दिए गए अधिकार गत कई शताब्दियों की मान्य धारणाओं पर आधारित हैं । इन सिद्धान्तों द्वारा ही भविष्य में विश्व में एक नई व्यवस्था बनाए जाने की आशा है । मूल अधिकार अपनी प्रकृति में ही स्थिर हैं, इन्हें और अधिक स्थिर नहीं बनाया जाना चाहिए । नीति निदेशक सिद्धान्तों का यदि योजनाबद्ध रूप से पालन किया जाए तो आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है । यदि भाग 3 में उल्लखित अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो लोग अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जा सकते हैं और यदि नीति निदेशक सिद्धान्तों की उपेक्षा को जाएगी तो लोग इसके लिए न्यायालय में न जाकर स्वयं अपने हाथ में लाठी उठा लेंगे । भाग 3 के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अध्याय में इन अधिकारों पर लगे कुछ प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है । यदि किसी भी संविधि अथवा कार्यवाही के द्वारा निदेशक सिद्धान्तों का सम्मान किया जाना है तो न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे इनका अर्थ इस प्रकार से लगाएं कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मूल अधिकारों पर उचित नियंत्रण लगाया जा सके । जब तक हम देश के निर्धन तथा पिछड़े वर्ग के तन के लिए कपड़ा तथा खाने के लिए भोजन नहीं जुटा पाते, उनको उचित देखभाल नहीं कर पाते तब यह स्वतंत्रता बिल्कुल निरर्थक है ।

संसद ने संविधान बनाया है अतः उसे इसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है । हमारा संविधान लचीला है तथा इसका यही स्वरूप हमारे लिए हितकर है ।

यह कहा गया है कि अनुच्छेद 26, 29 तथा 30 को इस विधेयक में शामिल न किया जाए । यह विधेयक भाग 3 के अनुच्छेदों से संबंधित नहीं है । इस विधेयक का उद्देश्य संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए पुनः प्रभुत्ता सम्पन्न बनाना है । गोलकनाथ के मामले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए यह विधेयक अत्यावश्यक है । संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, क्योंकि यह प्रभुत्ता सम्पन्न है । अतः मूल अधिकारों में संशोधन करने का संसद का अधिकार न्यायपालिका द्वारा छीना नहीं जा सकता ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं निजी सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने के विरुद्ध हूं । जैसाकि हमारे एक प्रतिष्ठित मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि निजी सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करना हमारे संविधान निर्माताओं की एक बड़ी भूल थी क्योंकि निजी सम्पत्ति का अधिकार संविधान में शामिल किए जाने वाले अधिकारों में सबसे कमजोर है ।

इस संसद में, वामपन्थी विरोधी दल, संविधान में दिये गए अन्य मूल अधिकारों में संशोधन करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध है । लगभग 14 या 15 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि लोक तंत्रात्मक जीवन के आधार हैं । ये हैं : विधि के समक्ष समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान

के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता-वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, सम्मेलन को और संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भाग में निवास करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अन्त:करण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि यह सभी मूल अधिकार हैं और संविधान में संशोधन करके इन अधिकारों को कम करने की बात का हम कतई समर्थन नहीं करते।

मैं यह मानता हूं कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए वास्तव में यह विधेयक गोलकनाथ के मामले से पहले की स्थिति को बनाये रखने के लिये लाया गया है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर पहले कभी आपत्ति नहीं की गई थी। उसी स्थिति को फिर से कायम रखने की कोशिश की जा रही है इससे न केवल उन लोगों के मन में जो सम्पत्ति का अधिकार बनाए रखना चाहते अपितु धार्मिक और साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों, दल गत अल्पसंख्यकों तथा राजनीतिक अल्पसंख्यकों और यहां तक कि अन्य लोगों में भी जिनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये, संदेह उत्पन्न हो गया है। अतः संविधान में निर्दिष्ट मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

मेरे विचार में 24वें तथा 25वें संशोधन विधेयक पर चर्चा एक साथ की जानी चाहिए। इन दोनों विधेयकों में से किसी में भी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। सरकार को यह सलाह दी गई है कि सम्पत्ति के अधिकार में "मुआवजा" शब्द के स्थान पर "राशि" शब्द रखा जाये। मेरा विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह मामले की ओर विशेष ध्यान दें तथा दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कराएं।

Shri Ziaur Rahman Ansari (Unnao) : Sir I rise to support this Bill. A lot has been said in favour and against the Bill. Parliament has the power to amend any part of the Constitution. The Supreme Court's judgement in the Golaknath case has restricted the right of Parliament so far as fundamental rights are concerned. Today is a historic day because we are going to restore to Parliament its right to amend any part of the Constitution.

I wish to draw the attention of the House to this fact also that it is only the minorities that have given their fullest support to this constitution amendment bill.

Some people are creating a misunderstanding in the minds of minorities and the misunderstanding is that this amendment, if passed, will endanger the rights of minorities. In fact it is not so. There have been twenty-three amendments in the Constitution, but none of these amendments has taken away the rights of minorities. Moreover, if any attempt is made by any Government to take away the rights of minorities, all minorities—backward classes, Harijans, Muslims, Christians i.e. all social, linguistic and communal minorities will come together to protect their rights. At such a juncture they will become majority instead of minorities. Therefore, the minorities need not fear that through this Bill our attempt is being made to take away their fundamental rights.

There is only one type of minority in our country, which is afraid of this measure. It is an economic minority. Those few individuals who have concentrated country's wealth in their hands constitute this minority. Whenever these wealthy people see any danger to their monopolistic hold, they raise the bogey of rights of minorities rather religious minorities to divide the poor people. These people who exploit the poor people, play such a dirty role that minorities clash with one another in the name of religion.

In the end, I like to congratulate the Law Minister, the Prime Minister and the leader of the House for bringing forward this Constitution Amendment Bill, as it is the first step in the direction of implementation of our election manifesto on the basis of which we got elected. I whole-heartedly support this Bill.

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं । यह विधेयक हमारे संविधान को एक ऐसा रूप देने जा रहा है जो समय-समय पर लोगों की इच्छा और आवश्यकताओं के अनुरूप ढल जाया करेगा । स्वर्गीय श्री नाथ पाई ने ऐसे विधेयक को लाये जाने की वकालत सबसे पहले की थी । इस विधेयक को पास करना ही उनकी स्मृति में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी ।

संसद और न्यायपालिका में टकराव की बात भी बड़े जोर-शोर से कही जा रही है । किन्तु इस टकराव या मुकाबले को पैदा कौन करता है । यदि इस समय संसद और न्यायपालिका में वास्तव में टकराव है तो मेरे विचार से वह गोलकनाथ के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण है । गोलकनाथ के मामले में ऐसा निर्णय देने के लिए कौन उत्तरदायी है ? वस्तुत: गोलकनाथ के मामले में न्यायपालिका ने न केवल निर्णय दिया है, न केवल संविधान की व्याख्या की है, बल्कि उसने अपनी सीमा से आगे बढ़कर संविधान में सुधार करने का काम किया है । न्यायपालिका का पूर्ण आदर उसी समय हो सकता है जबकि वह दूसरों के अधिकारों और कृत्यों को न छीने ।

संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख करने वाले अनुच्छेद 368 के सम्बन्ध में विवाद उठा है । कुछ विधिवेत्ताओं का विचार है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में निहित मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता । जो लोग संसद सर्वोपरि नहीं मानते, वे ऐसा मानते हैं कि अनुच्छेद 13 (2) अनुच्छेद 368 पर नियंत्रण करता है । इसके विपरीत हम यह मानते हैं कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो शक्ति दी गई है, वह संविधान द्वारा दी गई शक्ति है, न कि साधारण विधि द्वारा दी गई शक्ति । यहां मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि संविधान और साधारण कानून में अन्तर होता है । श्री डीसे, श्री आइवर जेनिंग आदि विधिवेत्ताओं और न्यायमूर्ति कनिया मुख्य न्यायाधिपति पतंजली आदि ने भी इस बात को स्वीकार किया है ।

जो व्यक्ति इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के 19 जजों में से 12 जजों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की सत्ता प्राप्त है । जहां तक इस तर्क का सम्बन्ध है कि इस संशोधन के पास होने पर लोकतंत्र ही समाप्त हो जायगा, मैं ऐसा नहीं मानता । हमें पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के पास होने पर संसद अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी ।

कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि इस विधेयक के पास होने से सैनिक तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा, और भारत में सैनिक शासन हो सकता है । यदि ऐसा हुआ भी तो सैनिक शासन में न संसद रहेगी और न न्यायपालिका ही । अतः यह तर्क भी जानदार नहीं है । दूसरे सैनिक शासन से हम उसी प्रकार लड़ेंगे जैसे बंगला देश के लोग याह्या खां के तानाशाही शासन के विरुद्ध लड़ रहे हैं ।

कुछ मेरे मित्र यह कहते हैं कि यदि यह विधेयक पास कर दिया गया तो जनता को प्राप्त स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1951, 1965 और 1967 में कौन लोग उच्चतम न्यायालय में गये ? वे गरीब व्यक्ति थे ? वर्ष 1951 में श्री शंकरी प्रसाद और 1965 में श्री सज्जन सिंह उच्चतम न्यायालय में गये । ये दोनों ही जमींदार हैं जो भूमि सुधारों के क्रियान्वयन

के पक्ष में नहीं हैं। इसी प्रकार 1967 में अन्य जमीदारों और गोलकनाथ उच्चतम न्यायालय गये। ये सभी भूमि-सुधारों के विरोधी हैं। जो सदस्य इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे जमींदारों का ही पक्ष ले रहे हैं।

जहां तक इस विधेयक पर जनमत लेने का प्रश्न है, जनता ने अभी अपना निर्णय हमारे पक्ष में दिया है और हम इस विधेयक को लाये हैं। हम जनता की इच्छा के अनुरूप ही ऐसा विधेयक लाये हैं। अतः इसे जनमत ही समझा जाना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकार जैसे विचार व्यक्त करने का अधिकार, भाषण करने का अधिकार, संगठन अथवा संघ बनाने का अधिकार ऐसे हैं जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं और ये अधिकार सदा बने रहने चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और श्री फ्रेंक एन्थनी की ओर से किये गये भाषणों को सुनकर आश्चर्य हुआ। जो वायदे हमने निर्वाचन के समय जनता से किये थे, उनके रूप या जनता की इच्छा के अनुरूप यदि सरकार कोई काम करती है तो क्या वह गलत होगा। यदि कोई शासक दल अपने निर्वाचन-घोषणापत्र के अनुसार कोई काम करता है तो वह गलत काम नहीं करता। यदि यह गलती भी है तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी सैकड़ों गलतियां करें क्योंकि इनमें जनता का हित निहित है।

जहां तक जनसंघ वालों का सम्बन्ध है, उन्होंने पहले यह संशोधन पेश किया था कि इस विधेयक पर 15 नवम्बर तक जनमत लिया जाये किन्तु अब उनका विचार बदला हुआ प्रतीत होता है। अब वे चाहते हैं कि इस विधेयक पर पहले उच्चतम न्यायालय का मत लिया जाये। अब उन्होंने जनता को बिल्कुल भुला दिया है। अब वे उच्चतम न्यायालय को ही अपना संरक्षक मान रहे हैं। मैं उच्चतम न्यायालय का विरोध नहीं कर रहा हूं और इस विधेयक के माध्यम से भी हमने उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं किया है। हम उसका आदर करते हैं और करते रहेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने मूल अधिकारों को अति पवित्र बताया है और ऐसा भाव व्यक्त किया है कि उनमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी यह मानता हूं कि मूल अधिकार पवित्र हैं किन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वे स्थायी हैं और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या एक बदलते हुए समाज में अथवा परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में कोई अधिकार स्थायी रह सकता है ?

मूल अधिकारों को मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—प्राकृतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं जबकि नागरिक अधिकार सभ्यता के साथ-साथ प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं और सम्पत्ति रखने या उसे खरीदने अथवा बेचने का अधिकार नागरिक अधिकार है। मूल अधिकारों का उल्लेख करते समय हमारी संविधान सभा ने प्राकृतिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों में अन्तर नहीं किया। अब आकर यही समस्या बन गई।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नागरिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 1955 से हिन्दुओं से एक से अधिक पत्नि रखने का

अधिकार छीन लिया गया है । इसी प्रकार हिन्दू विधवा को प्राप्त हुई सम्पत्ति को बेचने आदि के अधिकार 1956 से दे दिये गये । ये नागरिक अधिकार समय की मांग के साथ बदलते रहने चाहिएं । कोई भी ऐसा अधिकार स्थायी नहीं रह सकता । वह प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शासन-काल में और प्रत्येक दशक में बदल जाया करता है । चूंकि मूल अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों के साथ नागरिक अधिकार भी रख दिये गये हैं इसलिए मूल अधिकारों में निहित नागरिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार तो हमें प्राप्त करना ही होगा ?

जीने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है किन्तु विभिन्न देशों में इस पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे फांसी दे दी जाती है । किसी किसी देश में चोरों और चोरबाजारी करने वालों को भी मृत्यु-दंड दिया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकार समय-समय पर बदलते रहते हैं । यदि संविधान को ही लें तो उसमें अनुच्छेद 22 है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है । यह प्रावधान बंगाल की स्थिति के सन्दर्भ में आज तो ठीक लगता है, किन्तु एक दिन वह आयेगा जबकि जनता के प्रतिनिधि इस संसद में ही उक्त अनुच्छेद को संविधान से हटाने की मांग करेंगे ।

हमारे कुछ मूल भूत अधिकार हैं । लेकिन हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं उसमें नौकरी, छुट्टी, आमोद-प्रमोद, शिक्षा, चिकित्सा सहायता के मूलभूत अधिकार प्राप्त होंगे ।

प्रत्येक मूलभूत अधिकारों में समाज, विचार धारा और समाज के ढांचे में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन होता है । ये परिवर्तन होंगे और अवश्य होंगे ।

1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों ने एक मत से निर्णय दिया था और बताया था कि संसद् सर्वोपरि है और उसे मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है । इसके पश्चात् सज्जन सिंह के मामले में इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की मांग की गई । उस समय मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर, न्यायाधीश श्री वांचू और न्यायाधीश श्री रघुवीर दयाल थे ।उन्होंने निर्णय दिया था कि संसद् को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का पूरा अधिकार है । न्यायधीश श्री हिदायतुल्ला और श्री माधोलकर ने इस बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये थे । अतः उस समय तक 8 मत इसके पक्ष में थे और दो मत विरोध में थे । इसके बाद गोलकनाथ के मामले में 5 के मुकाबले में 6 मत थे । इन तीन मामलों में कुल 21 न्यायाधीश थे और उनमें से 14 न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि संसद् को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है । केवल 7 न्यायाधीशों ने इसके विरुद्ध मत व्यक्त किये ।

यदि गोलकनाथ के मामले में वर्ष 1961 के बजाये 1951 में निर्णय लिया गया होता तो स्थिति क्या होती ? हम किसी प्रकार का भूमि सुधार नहीं कर पाते । जमींदारी को हटाना अभी तक स्वप्न ही होता, बीमा कानून में भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया होता । गोलकनाथ के मामले में लिये गये निर्णय के ये भयंकर परिणाम हैं ।

यह भी कहा जाता है कि हम न्यायपालिका से संघर्ष कर रहे हैं । हमने उच्चतम न्यायालय से संघर्ष करने का प्रयास नहीं किया है । हमने गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय को स्वीकार किया है और हम निर्णय के अनुसार कार्यवाही करके अपनी उन भूलों और गलतियों को अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई गई हैं ।

गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया था कि संसद् को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत ऐसे संशोधन को कानून समझा जाता है। इसे मूल-भूत अधिकारों की कसौटी पर पूरा उतरना पड़ता है।

हमारा न्यायाधीशों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम उनका आदर करते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र में न्यायालयों को महत्व पूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। लेकिन जब कभी वे गलती पर हों तो सांविधिक तरीकों से हमें उनकी गलती को दूर करना होगा। हम इस विधेयक द्वारा यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुब्बाराव का विचार था कि अनुच्छेद 368 में संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है।

श्री सुब्बा राव के न्याय की आलोचना केवल हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी आलोचना महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री सीरवाई ने भी, जो इस देश के सुविख्यात वकील हैं, की है।

मैं इस सम्बंध में 19 वीं शताब्दी के ड्रैड स्पाट के मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। अमरीका में उस समय एक महत्वपूर्ण सिसौदी समझौता हुआ था। इस समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा था कि दासता समाप्त कर दी गई है। वहां के लोग तुरन्त न्यायालय में गये। अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टैने ने निर्णय दिया कि दासता को कैसे समाप्त किया जा सकता है ? दास सम्पत्ति है और पांचवें संशोधन का उल्लंघन किये बिना किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को कोई कैसे छीन सकता है। इसलिये मिसौदी समझौता असंवैधानिक एवं अवैध है, इसके बाद गृह युद्ध हुआ। लिंकन ने एक संशोधन प्रस्तुत किया ? गृह युद्ध के बाद 13 वां और 14 वां संशोधन पास किया गया जिनमें दासता समाप्त किये जाने और समान अधिकार और समान रूप से कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की थी। तत्पश्चात लीगल टेंडर एक्ट पास हुआ जिसे असंवैधानिक घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप अमरीका के आर्थिक ढांचे के लिये खतरा पैदा हो गया था। राष्ट्रपति ग्रांट ने सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश नियुक्त किये और उसके बाद अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहला निर्णय बदल दिया गया था।

वर्ष 1933 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील लेजिस्लेशन प्रस्तुत किया था। यह समझा जाता था कि न्यू डील लेजिस्लेशन की उद्घोषणा के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दोबारा चुनाव नहीं होगा। उन्हें साम्यवादी बताया गया था। मार्च 1937 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम से सम्बंधित पहला निर्णय बदल दिया था। संविधान में संशोधन करने का हमारा आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ सम्बंधी निर्णय में बताई गई त्रुटि को दूर किया जा सके।

फ्रांस में विधान पर न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं है। इसके चार कारण बताये जाते हैं। इनमें से मुख्य कारण यह है कि लोगों का न्यायालयों की अपेक्षा संसद पर अधिक विश्वास है।

यह कहा गया कि हम सम्पत्ति के अधिकार के विरुद्ध हैं। हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम सम्पत्ति के अधिकार के विरुद्ध नहीं हैं। कुछ सदस्यों ने कहा था कि कांग्रेस सम्पत्ति का अधिकार छीनने लगी है और छोटे किसानों, कम जोत के मालिकों और मध्य जोत के मालिकों को उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया जायेगा। यह एक झूठा प्रचार है। इनके पीछे राजनीतिक कारण हैं।

10 सितम्बर 1949 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जमीनदारी उन्मूलन के सम्बंध में कहा था कि जो सीमाएं हैं, उनके अन्तर्गत कोई भी न्यायाधीश तथा कोई भी उच्चतम न्यायालय अपने आप को तीसरा सदन नहीं बना सकता। समस्त समाज के संकल्प का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की प्रभुसत्ता सम्पन्न इच्छाओं के आधार पर किये गये निर्णय में कोई उच्चतम न्यायालय तथा कोई न्यायपालिका बाधा नहीं डाल सकती। यही बात हम कहते हैं।

हमें यह विधेयक प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव होता है। यदि हम जनता को दिये गये वचनों के अनुसार कार्यवाही नहीं करते तो हम अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहते हैं। संविधान में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन लाये जाते हैं जिससे हम उस प्रकार के समाज का निर्माण कर सकें जिस प्रकार का हमने जनता को वचन दिया था। अतः इस विधेयक को पास करना बहुत आवश्यक है। संसद को मूल-भूत अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति देने की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। हमारी संसद सर्वोच्च है और वह सर्वोच्च बनी रहेगी।

श्री एम० मुहमम्द इस्माइल (मंजेरी) : जब से संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों में संशोधन की बात चली है, अल्पसंख्यकों के मन में संविधान के अल्पसंख्यकों सम्बंधी अनुच्छेदों के बारे में काफी चिन्ता पैदा हो गई है। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि संविधान में संशोधन करने से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आश्वसन के लिये हम उनके आभारी हैं और हमें आशा है कि वह और उनकी सरकार इस आश्वासन को पूरा करेगी। परन्तु परिस्थितियां बदल सकती हैं और अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक ही रहेंगे। उनका बहुमत कहीं भी नहीं हो सकता। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के लिये संविधान के भाग 3 में कुछ अधिकारों का उल्लेख किया था जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता।

गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से स्थिति बदल गई है। सरकार इस निर्णय से उत्पन्न बाधा को दूर करना चाहती है। इसीलिये वह संविधान में संशोधन करना चाहती है। इस सम्बन्ध में हमारी राय यह है कि उनका प्रयोजन संविधान के किसी अनुच्छेद या भाग में संशोधन करने की निर्बाध शक्ति प्राप्त किये बिना भी सिद्ध हो सकता है। 24 वें संशोधन विधेयक के प्रभाव क्षेत्र से कुछ अनुच्छेदों को हटाया जा सकता है और उससे सरकार के आर्थिक और समाजवादी कार्य-क्रम में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हमने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनमें हमने अनुच्छेद 17, 19, 25, 26, 49 और 30 को इस विधेयक के प्रभाव से निकाल देने की मांग की है। इनका सम्बंध धार्मिक विश्वास और संस्कृति, अस्पृश्यता आदि से है। इससे सरकार के आर्थिक कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी, बल्कि जनता की खुशहाली बढ़ेगी।

अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

श्री संत बख्श सिंह (फतेहगढ़) : यह दुख की बात है कि यहां ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिस पर आज से 20 वर्ष पूर्व संविधान के प्रथम संशोधन प्रस्तुत करते समय विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह संशोधन संसद को वे अधिकार दिलाने के अतिरिक्त और कुछ महत्व नहीं रखता जो उसे संविधान द्वारा पहले ही प्रदत्त हैं। यह कहा गया था कि संविधान सभा के अधिकार सीमित थे और उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उत्तर दिया था कि संविधान बनने के उपरान्त यह इतना पूर्ण समझा गया कि संविधान बनाने वालों ने ही इसमें संशोधन करना ठीक नहीं समझा।

गोलकनाथ मामले में दिये गये निर्णय का यह परिणाम निकला है कि उससे देश में न्याय के प्रति असम्मान की भावना पैदा हो गई है। संविधान ने राज्य के विभिन्न अंगों को विभिन्न कृत्य सौंपे हैं और यह निर्णय इस संतुलन में हस्तक्षेप करता है। मैं श्री के० सुब्बाराव के वाक्य को दोहराऊंगा जिससे यह पता चलेगा कि इस प्रकार का संशोधन न लाने से हम कितने खतरे में पड़ जायेंगे। उन्होंने कहा था कि "केवल क्रमिक सामाजिक समायोजन से ही संविधान में प्रदत्त सामाजिक व्यवस्था को लाया जा सकता है"। श्री सुब्बा राव ने स्पष्टतः कहा है कि उच्चतम न्यायालय न केवल व्याख्या करता है अपितु कानून भी बना सकता है। क्या देश इस स्थिति में पहुंच रहा है जहां उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के कानून बनाये जिसमें सम्पत्ति को महत्व पूर्ण स्थान दिया जाये।

गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय न केवल संसद पर आक्षेप करते हैं अपितु वे भारत की जनता पर भी आक्षेप करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार यहां की जनता पर्याप्त जागरूक नहीं है। श्री सुब्बाराव और उनके अन्य साथियों का मन्तव्य यह है कि वे लोग ही यह निर्णय करने के सक्षम हैं कि जनता के लिये क्या ठीक है और क्या गलत है।

मैं संविधान के व्याख्याकारों से पूछ सकता हूं कि क्या पाकिस्तान का संविधान तथा वहां की न्यायपालिका पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को उसके आधारभूत अधिकारों को दिलाने में समर्थ रही है? क्या वहां की न्यायपालिका पाकिस्तान की बहुसंख्यक जनता को उसके प्राकृतिक मानवीय अधिकारों को दिला सकी है? वैमर गणराज्य के संधिधान का दुरुपयोग हिटलर द्वारा किया गया था। उस समय क्यों नहीं न्यायाधीशों ने जनता के अधिकारों की रक्षा की। जनता के अधिकारों की गारंटी केवल जनता द्वारा ही दी जा सकती है और वह इसे संसद द्वारा ही दिला सकती है।

प्राकृतिक अधिकारों को अब पवित्र तथा चिरस्थायी नहीं माना जाता है। समाज ही आपको अधिकार दे सकता है। समाज से बाहर आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समाज ही उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कोई व्यक्ति यह विचार कर सकता है कि बहुसंख्यक जनता की इच्छा के विरुद्ध वह अधिकारों का प्रयोग कर सकता है?

प्राकृतिक अधिकारों को पवित्र बताना या मौलिक अधिकारों को चिरस्थायीरूप देना आध्यात्मिक व्याख्या देने के समान है। यदि मनु के नियम या वैदिक समय के नियमों में परिवर्तन हुआ है तो 1949 को पारित संविधान चिरस्थायी कैसे माना जा सकता है।

आचार्य कृपालानी ने 30 मई, 1951 को कहा था कि "यदि सरकार के विचार में मौलिक अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, हमें प्राकृतिक अधिकारों की कोई आवश्यता नहीं है और हमें मौलिक अधिकारों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए"। न केवल

श्री आचार्य कृपालानी ने अपितु एक अन्य राजनीतिज्ञ प्रोफेसर एन० जी० रंगा ने बहुत पहले आने वाले खतरों से हमें आगाह कर दिया था। प्रोफेसर रंगा ने कहा था कि "हमें यथासम्भव उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मनमाने रवैयों से बचना होगा इसलिये हमें संसद को ऐसे अधिकार प्रदान करने चाहिये जो उस पर अंकुश रख सकें"। मुझे आशा है कि श्री पी० के० देव और श्री पीलू मोदी अपने दल के नेता के इस कथन पर ध्यान देंगे।

यह सर्वविदित है कि न्यायालयों ने कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मैं अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कथन दोहराऊंगा क्योंकि वह बड़ा तर्क संगत है। वहां के न्यायमूर्ति श्री डगलस ने कहा था कि विधायक स्वतंत्रता के अच्छे संरक्षक रहे हैं और उन्होंने उन न्यायाधीशों पर अंकुश लगाया है जिन्होंने अत्याचारी बनने का प्रयत्न किया था। मेरा उन लोगों से जो इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, अनुरोध है कि वे इस पर सही ढंग से विचार करें। यहां ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो यह कहेगा कि भारतीय संसद जनता द्वारा दिये गये विश्वास को बनाये नहीं रख सकती है। यह जो आलोचनाएं की जा रही हैं उससे संविधान की स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश में जनता की प्रवृत्ति किसी वस्तु या बात को पवित्र बनाकर उसे भूल जाने की है। अतः यदि हमें संविधान को जिन्दा रखना है तो उसे जनता को आकांक्षाओं के अनुरूप ढालना होगा। संसद द्वारा ही जनता की स्वतंत्रता की गारंटी दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शमीम।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं इस विषय पर अपने विचार जनता को दृष्टिकोण में रखकर व्यक्त करूंगा। कई सदस्यों ने न्यायाधीशों आदि के उद्धरण दिये हैं। मेरे विचार में यदि सभी न्यायाधीश साथ मिलकर संसद को मौलिक अधिकार आदि में संशोधन करने से रोकें तो सभा को चाहिए कि वह इसका विरोध करे और कहे कि यह अधिकार जनता का है और यह उसे मिलना ही चाहिए। इस विषय में बिना अधिक वाद-विवाद में पड़े मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जनता का अधिकार है।

यह स्थिति, कि संसद सर्वोच्च है और मूलभूत अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, 1951 से है। 1951 में जिस प्रश्न पर चर्चा हुई थी वह आज भी ठीक बैठती है। मैं श्री गोलकनाथ को धन्यवाद देता हूं कि वे इस मामले को न्यायालय ले गये और इस विषय पर उन्हें निर्णय मिला। न्यायाधीश सुब्बाराव ने इस विषय पर निर्णय देने के उपरान्त जनता में इसका प्रचार करना आरम्भ कर दिया। यदि वे निर्णय देने के उपरान्त इस विषय पर कुछ नहीं कहते तो वह अधिक ठीक रहता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस बात की वकालत कर रहे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है।

यह कहा जा रहा है कि संविधान का कई बार संशोधन किया गया है। मैं पूछता हूं कि इसमें बुराई क्या है। यदि संविधान में इतने शीघ्र परिवर्तन लाये जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह ही है कि समाज में तेजी के साथ परिवर्तन आ रहे हैं।

यह 'पवित्रता' शब्द कई बार प्रयोग किया गया है। मैं नहीं समझता कि दैवी पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु पवित्र है। ऐसे भी लोग हैं जो इनका भी विरोध करते हैं और संविधान तो उनके द्वारा बनाया गया है।

हमारे संविधान को ऐसी संविधान सभा ने बताया था जिसे इतना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था जितना इस सभा को प्राप्त है। यह कहना ठीक नहीं है कि संविधान हमें अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया था और हम उसे बदल नहीं सकते हैं।

संविधान में परिवर्तनों का कोई भी विरोध नहीं करता है। विरोध केवल उसके संशोधन की विधि के बारे में है। कानून के विद्यार्थी के नाते मुझे धारा 13 और 368 में कोई विरोध दिखाई नहीं देता है।

यदि यह सभा कोई भूल करती है तो इसे उसे सुधारने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय कोई भूल करता है तो उसे क्या सही मान लिया जायेगा। संसद को उसका अधिकार शीघ्र मिलना चाहिए। शंकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1951 में निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किये जा सकते हैं। उस समय संविधान सभा के सभी सदस्य सदन में उपस्थित थे। इस संसद को अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करे अथवा नया संविधान तैयार करे। संविधान एक ही होता है और उसको जनता की इच्छा समझा जाना चाहिये। यह देश इसलिए स्वतन्त्र नहीं हुआ कि उच्चतम न्यायालय तीसरे सदन का रूप धारण कर ले। देश अपने भविष्य का निर्माण करने के लिये स्वतन्त्र हुआ था।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : विचित्र बात यह है कि कुछ सदस्यों को इस विधेयक के बारे में निराशा ही हुई है। इस संशोधन द्वारा फरवरी, 1967 के पूर्व की स्थिति लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके द्वारा विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय के क्रान्ति से बचने के निर्देश का पालन कर रहे हैं।

न्यायाधीश सुब्बाराव ने अपने निर्णय को ज्यादा बहुमत वाला बनाने की चेष्टा की थी परन्तु वे केवल बहुमत प्राप्त करने में ही सफल हो सके थे।

गोलकनाथ के मामले के निर्णय में न्यायाधीश वांचू ने भी मत अभिव्यक्त किया था कि यदि संविधान को अधिक कठोर बनाया जायेगा तो जंनता को उसके प्रति उग्र व्यवहार करना पड़ेगा।

मौलिक अधिकार पूंजीपति समाज का अंग हैं जबकि निदेशक सिद्धांत समाज के व्यापक हितों के संरक्षक हैं। धारा 37 में केवल उन्हें कार्यान्वित करने का राज्य पर उत्तरदायित्व लादा गया है।

धारा 38 के द्वारा जनता के लिये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षत्रों में न्याय को प्रभावशाली ढंग से संरक्षण का निदेश दिया गया है। भले ही यह निदेश न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इन्हें राज्य द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

धारा 39 समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा देने के लिए रखी गई है। धारा 41 के द्वारा कार्य तथा शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि स्कूलों पर राज्य का ही नियंत्रण रहना चाहिए। यदि किसी संस्था पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है तो ऐसे अधिकार के दुरुपयोग किए जाने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः संविधान के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा जाना चाहिए। समाजवादी देश में व्यक्ति के अधिकारों को समाज के अधिकारों से कम ही रखा जाना चाहिए।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं अन्त में और अल्प समय में संविधान संशोधन सम्बंधी विधेयक पर अपने विचार भली प्रकार अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। गोलकनाथ के मामले में मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने कुछ विचित्र प्रस्थापनाएं निश्चित की हैं जैसे कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तथा धारा 248 और प्रथम सूची की प्रविष्टि 97 के अधीन संसद नई संविधान सभा बैठा सकती है। यह दोनों बातें विचित्र हैं। मैं समझता हूं कि जब संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है तब नई संविधान सभा कैसे बिठाई जा सकती है ? क्या संविधान सभा की शक्तियां संसद द्वारा कम की जा सकती है ?

संविधान देश का मूलभूत कानून है संविधान को लचीला होना चाहिए तथा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए।

केवल भारतीय संविधान में ही संशोधन की व्यवस्था नहीं है अन्यथा ऐसी व्यवस्था विश्व के सभी लिखित संविधानों में है।

संविधान में संशोधन के तीन तरीकें हैं। एक औपचारिक, दूसरे यायिक तथा तीसरे परम्परागत। अमरीका और स्विस संविधानों में उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया पहले ही लिखित रूप में निर्धारित है।

आयरलैंड, जापान और श्री लंका के संविधानों के सभी अनुच्छेदों का संशोधन किया जा सकता है। हमारी संसद को विधायी और संविधायी दोनों शक्तियां प्राप्त हैं जैसे कि ब्रिटेन में है। साधारण विधान बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया नियम पृथक पृथक हैं।

मूल अधिकार अन्तिम और अपरिवर्तनीय नहीं हैं, यह अनुच्छेद 19 से ही स्पष्ट है कि इनमें संशोधन किया जा सकता है। हां अध्याय-चार जिसमें राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख है, विशेष हैं और आयरिश संविधान के सिवाय किसी देश के संविधान में इनका उल्लेख नहीं है।

वास्तव में इस विधेयक द्वारा संसद को संविधान के सभी भागों का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी।

श्री सीरवाई ने सीतलवाद भाषण-माला में स्पष्ट कहा था कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति पर अनुच्छेद 368 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इस विधेयक द्वारा भारतीय जनता समाज के शोषण से मुक्ति प्राप्त करेगी और जड़ता छोड़कर समाजवाद की ओर बढ़ेगी।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : यदि संविधान के संशोधनों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद को मना कर दे।

स्वतंत्र दल जैसे दल चाहते हैं कि मूल अधिकार जड़ और स्थिर बने रहें चाहे परिस्थितियां कितनी ही क्यों न बदल जाएं। परन्तु जब एक मूल अधिकार द्वारा दूसरों के मूल अधिकारों का हनन होता हो तो उसे समाप्त करना ही पड़ता है। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय इस अधिनियम को रद्द कर देगा, परन्तु यह भय तो बना ही रहेगा।

सर्वप्रभुतासम्पन्न कोई पुस्तक नहीं हो सकती यह तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था ही हो सकती है जैसे संसद और जनता। हमारा दृढ़ विश्वास है कि देश में सबसे बड़ी प्रभुतासम्पन्न संस्था संसद् ही है जिसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये। आशा है उच्चतम न्यायालय कोई बाधा नहीं डालेगा।

इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : आज हमारे समक्ष संविधान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत है। इसकी आवश्यकता गोलकनाथ केस पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न चुनौती से उत्पन्न हुई है। श्री हिदायतुल्ला के निर्णय से यह बात स्पष्ट है कि यह निर्णय भय पर आधारित था। यह टिप्पणी देते हुये न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला एक राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे थे, न्यायाधीश की तरह नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कानूनों की व्याख्या करने की है। यदि संसद् संविधान के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय बाधा नहीं डाल सकता है।

पंडित जवाहरलाल की राय उद्धृत की गई है। संविधान सभा के सदस्यों का क्या आशय था? क्या उन्होंने संविधान के किसी भी भाग को कठोर बनाना चाहा था? इस संदर्भ में मैं श्री कामथ और श्री महावीर त्यागी के नामों का उल्लेख करता हूं जिन्होंने संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 304 जो वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार है, पर चर्चा करते हुये, कहा था कि यदि संविधान हमारे देश की अग्रेतर प्रगति में बाधक होता है और यह लचीला नहीं है तो लोग इसे भंग कर देंगे। हम कठोर संविधान नहीं चाहते हैं अतः हम यह संशोधन लाये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन संविधान सभा बुला कर ही किया जा सकता है। यह कह कर सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने के मामले में बाधा डालता हैं। मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ताकि हम चुनाव में जनता से की गई प्रतिज्ञायें पूरी कर सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : अध्यक्ष महोदय, हम निःसन्देह एक महत्वपूर्ण विधान कार्य पर चर्चा कर रहे हैं। एक नागरिक के रूप में हमें यह कहने का अधिकार होना चाहिये कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गलत है और संसदीय प्रभुता के लिये हमें कार्यवाही करनी चाहिये।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि हमें इस विधेयक के द्वारा देश के संविधान में संशोधन कर जनता की मनोकामनाओं को पूरा करना है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिये गये असंवैधानिक और मनमाने निर्णय को हमें समाप्त करना चाहिये।

हम विधि और न्याय मंत्री से इस बात पर सहमत हैं कि संवैधानिक उपायों से प्रगति प्राप्त करने में संविधान का कोई भी उपबन्ध बाधक नहीं हो सकता। मेरे विचार से कोई भी संवैधानिक कानून जनता की प्रभुता से ऊपर न होता है अथवा न हो सकता है।

ब्रिटेन और अमरीका में कम से कम अमरीका में संविधान में संशोधन करने का संसद् को अधिकार है।

जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा संविधान में संशोधन करने के कार्य न्यायालयों द्वारा जांच के लिये नहीं होते हैं। जहां कहीं भी लिखित संविधान हैं, वहां न्यायालय किसी विधान की वैधानिकता निर्णीत कर सकते हैं परन्तु जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की शक्तियों को कम नहीं कर सकते हैं। अमरीकी लेखक, स्ट्रोंग ने अपनी पुस्तक "अमेरिकन कांस्टीट्यूशनल ला" में कहा है कि संविधान में रखे जाने वाले मामले के औचित्य पर न्यायालय द्वारा निर्णय देना जनता को उसके संप्रभु अधिकारों से वंचित करना होगा और अत्यधिक अवांछनीय न्यायिक नियंत्रण प्रस्तुत करना होगा। अत: गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय द्वारा संविधान के लचीलेपन को समाप्त करके उसे कठोर बना दिया है।

गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया स्थिर बन गई है। हमें सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उत्पन्न स्थिरता लाने वाले प्रभाव को समाप्त करना चाहिये जिससे संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति समाप्त हो गई है। मैं शंकरी प्रसाद और साजन सिंह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है परन्तु मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन मामलों में भी गोलकनाथ के मामले जैसी ही बात थी और उन दोनों मामलों ने सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिये थे, उन निर्णयों के विपरीत निर्णय उन्होंने गोलकनाथ के मामले में दिया है। गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसी धारणायें व्यक्त की हैं जो केवल खतरनाक ही नहीं हैं अपितु संसदीय प्रजातन्त्र के स्वरूप और प्रणाली की भी जड़ें काटती हैं। संविधान सभा, जो वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों से नहीं बनी थी, के निर्णय से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय अधिक प्रभावशाली होने चाहियें। सम्पत्ति के अधिकार को बनाये रखना राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों और उद्देश्यों को अस्वीकार करना है, ऐसी स्थिति में जब ये अधिकार समाजवादी राज्य प्राप्त करने में बाधक हों।

हमें संसद् के अधिकारों के बारे में प्रकट किये गये सन्देह को दूर करना चाहिये। हम ऐसा विधान बनाना चाहते हैं जो समाजवादी राज्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप हो क्योंकि हम समझते हैं कि संविधान जनता के लिये है, किसी और कार्य के लिये नहीं।

सरकार को उचित विधान लाना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि सामाजिक प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिये इस संसद् को पंगु बना दिया जाये। हम संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करने के लिये तत्पर हैं परन्तु कतिपय आधारभूत अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिये। उस उद्देश्य के लिये हमने संशोधन दिया है। विधि और न्याय मन्त्री उस पर सद्भावना पूर्वक विचार करें क्योंकि हम संसद् की संप्रभुता का समर्थन कर रहे हैं परन्तु जनता को घाटे में रख कर नहीं।

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

सभापति महोदय : मुझे सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से अध्यक्ष के नाम प्राप्त निम्न-लिखित पत्र की सूचना देनी है :

"मुझे आप को यह सादर सूचित करना है कि श्री ईश्वर चौधरी, सदस्य, लोक सभा को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एफ० आई० आर० संख्या 1259 दिनांक 3 अगस्त, 1971 देखिये) के अधीन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस द्वारा नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटेल चौक के निकट आज 13.30 बजे और 14.15 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष विचारने के लिए तुरन्त पेश किया जा रहा है।"

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री बी० वी० नायक (कन्नारा) : संसद के समक्ष मामलों को दो भागों में बांटना होगा। एक भाग तो यह है कि चाहे हम इसे स्वीकार करें अथवा न करें परन्तु तथ्य यह है कि यह संसद और न्यायपालिका में टकराव का चरण है।

पिछले महीने की 17 और 18 तारीख को इस विषय पर एक वाद विवाद तथा विचार गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में इस विषय पर सर्वांगीन चर्चा हुई। उस गोष्ठी तथा सत्ताधारी दल का प्रतिनिधित्व करने वालों का सर्वसम्मत मत यह था कि निजी सम्पत्ति को समाप्त करने के मामले में कोई अनावश्यक जल्दी नहीं की गई है। वास्तव में इस संशोधन का मूल उद्देश्य निजी सम्पत्ति को देश की असीमित जनसंख्या के लिए लाभकारी बनाना है।

उक्त विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारत के भूतपूर्व उच्च न्यायाधीश ने स्पष्टतया यह स्वीकार किया कि न्यायाधीशों से भी गल्तियां हो सकती हैं। अपरोक्ष रूप से इस का स्पष्टतया अर्थ यह है कि गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गल्ती थी।

यदि हम इन परिस्थितियों के संदर्भ में इस मामले पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई गल्ती को सुधारने का संसद का यह प्रयास है। इस के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु इसमें अभी भी एक रुकावट है और वह यह कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरान्त भी हमें मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। समझ में नहीं आता कि यह स्थिति क्यों रहने दी गई है। हमारे पास समय बहुत कम है। आगे ही देर हो चुकी है। अतः सरकार को इस दिशा में शीघ्रता करके यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन संशोधनों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाना है।

Shri M. C. Daga (Pali) : If Constitution of the country is not amended in accordance with the changed time then in that case the said Constitution becomes useless. If, as has been said we wish to establish socialism in the country, we have to overcome the difficulties on the way. During the midterm elections our Party had declared that necessary changes would be brought forward in the Constitution. This Bill is a step forward for fulfilment of our assurance. If we have to put an end to the exploitation of masses we have to amend Fundamental Rights. Constitution is a road through which we can reach our destination. And if there are certain obstacles in the way, we have to remove or overcome those. It has also to be admitted that sovereignty rests in people i.e. Parliament. Moreover when we want a society in which there is no exploitation, we have to give right to our Parliament to amend the Constitution.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhuna) : No section of the House has opposed the amendment of the Constitution. Whatever opposition has been there it is due to the methods adopted to effect the amendments. In fact every body has spoken about the need for amending the Constitution. It has been stated here that Constitution should be amended with the approval of the Supreme Court of India. I want to submit that Constitution is meant for public and it is not vice-versa. Public is sovereign in this country and High Courts, Supreme Court and Parliament are subordinate to it. Today we are talking about the sacredness of the Constitution. We feel that Constitution should provide protection to those who are underfed, who sleep on pavements and those who have no clothes to cover their bodies. A little misunderstanding has cropped up in this regard. Supreme Court judgement in Golaknath Case created a doubt about the sovereignty of Parliament. This doubt is sought to be removed through this amendment.

A demand is made to obtain referendum about the measure. But it may be stated that during the mid-term elections the Prime Minister had clearly raised this issue and she got clear verdict from the people. There should not, therefore, be any doubt about it.

Those who support the supremacy of the Supreme Court should realise the feelings of the people also. They should realise that we have come here to represent people. We do not want to criticize the Supreme Court or its judges but if they do not pay any attention to the feelings of people and change its attitude there is bound to be criticism of judiciary.

Fundamental rights are there not only for a selected few but they are for the masses at large. 54 crores of people should get whatever they need. Due to faulty social set up power, be it political or economic, got concentrated into the hands of a few. Now they are fearing that they may lose it. This amendment was necessary for bringing about necessary changes. Parliament had this power earlier but now it is sought to be written in clear terms so that there may not be any ambiguity in this regard.

सभापति महोदय : सभा अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 4 अगस्त, 1971/13 श्रावण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, August 4, 1971/ Sravana 13, 1893 (Saka).